राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दो सौ सोलहवां दिवस [संख्या: 22

सोमवार,

13 सितम्बर 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 14.30 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): साहब, कोरम पूरा नहीं हो रहा है। कोरम का अभाव है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): घंटी बजा दो।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री कालीचरण सराफ एवं 03 अन्य सदस्यों की ओर से सरकार द्वारा जयपुर शहर के व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस थोपे जाने से व्यापारियों में व्याप्त भयंकर आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस के नाम पर नया टैक्स थोपे जाने से व्यापारियों में व्याप्त भारी आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जालौर जिले में बारिश नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में किसानों द्वारा बुवाई की गई फसल नष्ट होने से जालौर जिले में अकाल घोषित किये जाने के संबंध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रहे झूठे मुकदमों की आड़ में पैसे वसूलना व मानसिक प्रताड़ना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी का रेगुलेशन निर्धारित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री सभापति)

(6) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों, व्यापारियों की दुकानों एवं मकानों में हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कम मात्रा में पोषाहार वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री प्रताप सिंह एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से छबड़ा में हुए दंगे के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने तथा मुआवजे से वंचित पीड़ितों को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अघोषित विद्युत कटौती तथा उपभोक्ताओं को विद्युत के संबंध में आ रही परेशानियों के संबंध में।

(10) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से बीसलपुर में वर्षा का पानी नहीं आने से अजमेरवासियों को हो रही पेयजल की समस्या के संबंध में।

(11) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से कोरोना काल में कोरोना के कारण हुई चिकित्साकर्मियों की मृत्यु पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये राशि की सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से डीवाई.एस.पी. के वायरल हुए अश्लील वीडियो में उच्च अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर विपरीत असर पड़ने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार की गलत नीतियों एवं लापरवाहियों के कारण बिजली उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती और अधिक राशि वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 09 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में 6 से 8 घंटे विद्युत कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री सभापति)

(15) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली आपूर्ति में अघोषित कटौती किये जाने एवं घरेलू कनेक्शनों के बिलों में अत्यधिक वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में उपभोक्ताओं को 13 रुपये प्रति यूनिट के महंगे भाव पर बिजली दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं 08 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से हो रही अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रतिदिन अघोषित बिजली कटौती किये जाने से आमजन को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(19) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में घरेलू बिजली के दामों में की गयी वृद्धि से आम उपभोक्ता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती किये जाने एवं उपभोक्ताओं से अधिक बिजली की राशि वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री मदन दिलावर, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री अविनाश, श्री बलवान पूनियां एवं श्री अमृतलाल मीणा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिवाना-सिणधरी के राजस्व गांव, ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पोकरण-फलसूंड-बायतु-बालोतरा-सिवाना

(श्री सभापति)

परियोजना को नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किये जाने के संबंध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए सभी व्यक्तियों को कोरोना मृतक मानकर आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के चीरवा घाटे में स्थित फूलों की घाटी में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की आडिट कराये जाने के संबंध में।

(4) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति आमेर एवं जालसू को भी ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना में शामिल किया जाकर आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

(5) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गुलाबपुरा में स्थित स्पिनफैड मिल में कार्यरत कार्मिकों का अब तक समायोजन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के 118 गांवों की नहरी परियोजना में कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों का पात्रता की सूची में से नाम काटे जाने एवं लाभार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की कालोनियों में सीवरेज व नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

(10) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से पुलिस प्रशासन उदयपुर द्वारा

आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों की सूची बनाकर उन्हें डराये-धमकाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति, मुंडावर में पेयजल की गम्भीर समस्याग्रस्त ग्रामों को ईसरदा बांध परियोजना में शामिल किये जाने हेतु सर्वे कराये जाने के संबंध में।

(12) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की जीर्णशीर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा में अकाल राहत कार्यों की शुरुआत तथा व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को काम-के-बदले-अनाज की योजना को प्रमुखता देने के संबंध में।

(14) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नहरी किसानों को कंवरसेन लिफ्ट योजना से पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की क्षतिग्रस्त माइनिंग सड़कों का पुन: डामरीकरण किये जाने के संबंध में।

(16) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से ठेकेदारों को मिलने वाले टेण्डरों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर तथा पूर्ण करने अन्यथा उस ठेकेदार को टेण्डर निरस्त कर दूसरे ठेकेदार को टेण्डर करने के संबंध में।

(17) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से जोधपुर में इमारती निर्माण एवं विकास कार्यों को देखते हुए Building And Construction Engineering Department को स्थायी रूप से पुन: प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(18) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकानों तथा फसलों का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(19) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(20) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यू.आई.टी. पेरीफेरी क्षेत्र उदयपुर जिले के 132 गांवों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास

(श्री सभापति)

निर्माण हेतु यू.आई.टी. द्वारा आवासीय पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप प्रतिपक्ष के नेता को स्थगन पर अपनी बात कहने के लिए पुकारें, इससे पहले मैं छोटा-सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कई बार आसन से व्यवस्था दी गई है कि जब कभी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, आफिसर गैलरी में संबंधित अधिकारियों को रहना चाहिए। सर, आप मुलाहिजा फरमाएं कि आफिसर गैलरी सारी खाली पड़ी है। आज ऐसे समसामयिक विषय पर प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे तो किसको सुनायेंगे? कम से कम आप उनको हिदायत दीजिये, बुलाइये उनको। न कोई एमडी है यहां, न इनके चैयरमेन हैं, न इनके प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ...(व्यवधान) आज कई लोगों की बात सुनी मैंने, इसके कारण से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। आपका कथन संज्ञान में आ गया। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अघोषित बिजली कटौती और बिल में अधिक राशि की वसूली

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, राजस्थान का कोई भी ऐसा उपभोक्ता नहीं है अगर हम सच्चाई से इस बात को मनन करें तो ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे उपभोक्ता से लेकर, किसान से लेकर, इण्डस्ट्री से लेकर, व्यापार से लेकर सब लोगों को जिस प्रकार से इस बिजली के बिल ने करंट मारा है, मैं सोचता हूं इस पर सरकार केवल जिद्द पर नहीं रहे, ईमानदारी से इसका विश्लेषण करे कि वास्तव में यह जो बिल आ रहे हैं यह उस व्यक्ति की क्षमता में हैं भी या नहीं। कोरोना के इस कालखण्ड में व्यक्ति जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है, ऐसे समय में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी चाहे आपके घर का बिल का आया हो चाहे मेरे घर का बिल आया हो, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, सबसे पहले हम नीचे का आंकड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं भले ही मेरे पड़ोसी का बिल डाल गया हो तो मैं नाम बाद में पढूंगा, कारण क्या है कि बिजली के बिलों में जिस प्रकार से पैसे जुड़कर आ रहे हैं, वह वास्तव में लोगों को हिला देने वाला आपको लग रहा है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं यह विषय अभी हम 7-8 लोग उठायेंगे लेकिन मैं आसन से निवेदन करता हूं कि यह विषय इस प्रकार का नहीं है कि केवल हमने चर्चा की और चला गया। मैं सोचता हूं सरकार अपनी मजबूरी के बारे में अगर कुछ कहना चाहे, सरकार अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहे, बताए, लेकिन अधिकारियों के भरोसे इस डिपार्टमेंट को छोड़कर जनता को लूटने का जो धंधा चल रहा है, इस पर जरूर अंकुश लगना चाहिये। इसके लिए मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं। कारण क्या है कि जब भी इसका निर्माण किया था, आपने जितनी भी जो कम्पनियां बनाई हैं, सोचा यह था कि शायद उपभोक्ता को अच्छी बिजली मिलेगी, सस्ती मिलेगी, लेकिन इसके हाल चाल देखकर ऐसा लग रहा है कि हम बरबादी की ओर जा रहे हैं। मेरे कहने के कारण से नहीं, राजस्थान के किसी भी उपभोक्ता से अगर आप पूछोगे तो आपको लगेगा और सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज की तारीख में अगर हिन्दुस्तान के किसी राज्य में है तो वह राजस्थान में है। आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बिल लाकर भी बता दूंगा कि वास्तव में हमारे उपभोक्ता को किस रेट से आपकी बिजली जा रही है। यह राजस्थान पहला राज्य है जिसमें 8.13 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली जा रही है। बाकी हिन्दुस्तान के जितने भी राज्य हैं शायद बिजली के संकट में वह भी हो सकते हैं लेकिन किसी में 7.76 रुपया है, किसी में 5.65 रुपया है। इसमें भी जिस प्रकार से आपने सेस लगाया है, आपने अरबन सेस 15 पैसे प्रति यूनिट लगाया है। इसी तरह से आपका जल संरक्षण उप कर 10 पैसे प्रति यूनिट और इसी तरह से विद्युत कर 40 पैसे प्रति यूनिट है। यह सारे जोड़कर जब बिल जाते हैं, मैं केवल आपको इतना ही बताऊं कि जो 50 यूनिट जलाता है, 50 यूनिट वह जलाता है जिसका एक बल्ब होता है, एक घर होता है, कमरा ही एक होता है और ज्यादा से ज्यादा उसका एक पंखा हो सकता है, उसके बिल का जो पैसा जाता है वह तो 5 रुपया प्रति यूनिट जाता है और उस पर दूसरे खर्चे जुड़कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यही बिल 10 रुपया बन जाता है अर्थात् उसने जितना भी यूनिट जलाया प्रति यूनिट के हिसाब से अगर वह हिसाब लगाये तो 10 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से जा रहा है, जिसको वह दे नहीं सकता है।

आपने एक नया तमाशा और किया है कि इंडस्ट्री को तो आप लोड फैक्टर के आधार पर मार ही रहे हो और उसके कारण से भिवाड़ी की 10 इंडस्ट्री बिलकुल बंद हो चुकी हैं। आयरन की फैक्ट्रियां बंद हो गईं। ऐसा का ऐसा एक नया खेल कर रहे हैं कि अब घर का बिल भी लोड फैक्टर के आधार पर देने की योजना बना रहे हो और उसके कारण से जो बिल जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति बिजली जलायेगा ही नहीं, केवल और केवल कनेक्शन ले रखा है, उस व्यक्ति को भी आप 800 रुपया स्थायी शुल्क का बिल पकड़ा रहे हैं जिसने अपनी एक यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, केवल बिजली का कनेक्शन है, इसलिए कि कट जायेगा तो वापस नहीं जुड़ेगा, उसको आपका 800 रुपये का बिल जा रहा है, वह स्थायी शुल्क लगकर जा रहा है।

अब आप बार-बार कह रहे हो कि डिस्काम घाटे में जा रहा है, डिस्काम घाटे में जा रहा है। रोज आप यह कहते हो कि आपने घाटा छोड़ा। मैं आपसे कृपा करके इतना निवेदन करूं कि जब 2008 में हमने सरकार छोड़ी थी तब आपको हमने 15 हजार करोड़ का घाटा दिया था, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब आपने छोड़ी तब यह 80 हजार करोड़ हो गया और बाद में एक तरह से लोन लेकर आपको उदय योजना के तहत हमने 82 हजार करोड़ रुपया चुकाया और आज की तारीख में मैं सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, यह कम्पनियां आज की तारीख में 86 हजार करोड़ रुपये के घाटे में वापस आकर खड़ी हो गई हैं। यह जो बिजली की दशा है यह वास्तव में राजस्थान को चौंकाने वाली है और इसलिए, मंत्री महोदय, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर यह कंपनियां, जिनको हमने कर्जे से मुक्त किया था, वह वापस उसी स्थिति में पहुंच गईं। इतना लोड लोगों पर डालने के बाद भी यह स्थिति है।

एक आपने अभी और नया काम शुरू किया है बिल के पीछे मुख्य मंत्री जी का एक फोटो छपकर जा रहा है। मैं सोचता हूं कि आपने वह इसलिए छपाया है कि आपने किसानों को महीने का एक हजार रुपया उसको फ्री करने की बात करी। यह तो पिछली सरकार ने 880 रुपये का फ्री भी कर दिया और फ्री का बिल भी दे चुके थे, आपने दो-ढाई साल तक उसको तो किया बंद और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब उसकी जगह एक हजार रुपये प्रति महीने की छूट का नाटक करके जो श्रेय ले रहे हो, उसके पीछे फोटो छपा रहे हैं, किसान को जाये तो समझ में आ सकता है लेकिन मैं जो घर का कंज्यूमर हूं, मेरे को वह फोटो आप किस कारण से भेज रहे हो? अगर यह फोटो भेजकर प्रचार का ही माध्यम है तो आखिर घर के कनेक्शन वाले भी इतने लोग हैं, उनको भी आपका यह फोटो जा रहा है, कृपा करके विचार कर लो। फोटो छपने से सरकारें मजबूत बनती हैं तब तो खूब छापकर लगाओ, बाकी इस प्रकार के घिनौने काम भविष्य के लिए ठीक नहीं होंगे।

कोयला आपके पास है नहीं, कोयले के कारण से आपकी कंपनी बंद हो रही है। आपने तो कहा 10 रेक रोज चाहिये, 4 रेक भी आपके पास नहीं पहुंच रही हैं। सूरतगढ़ के प्लांट बंद हैं, बाकी भी आपने देखा होगा कि छबड़ा का 660 मेगावाट क्षमता का आपके पास पड़ा है। कालीसिंध का बिजलीघर बंद पड़ा है। मैं सोचता हूं कि यह फ्यूल चार्ज के नाम से जो आपने अतिरिक्त भार लगाया, बाकी राज्यों में भी फ्यूल चार्ज लग रहा है लेकिन उन्होंने कोविड को देखते हुए इस फ्यूल चार्ज में छूट दी है। पहले जो बाकी राज्यों में 37 पैसा लगता था, किसी ने उसमें 19 पैसा किया, किसी ने उसमें 15 पैसा किया और हमारे यहां उसको बढ़ाकर फ्यूल चार्ज के नाम से प्रति यूनिट 40 पैसे के हिसाब से बिल में जुड़कर जा रहा है। मैं सोचता हूं कि यह उसकी क्षमता में नहीं आयेगा। कैसा अजीब काम है कि आपको जब सस्ती बिजली मिल सकती है, दुर्भाग्य देखो, डिपार्टमेंट का सोच देखो कि जिनके कारण से आपको 3 रुपया और 3 रुपया 50 पैसे में बिजली मिल जाती, उसकी जगह आप 12 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हो और अभी इमरजेंसी में जब आपके यह सारे शटडाउन हुए तो आपने 20 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदकर इन सारे बिजली पैदा करने वाले लोगों को लखपति बनाने का प्रयास किया और उस छोटे मोटे कंज्यूमर को लूटकर आपने यह किया है। फिक्स चार्ज को आप फिर से देखो, यह फिक्स चार्ज जिस ढंग से आप बिलों में लगा रहे हो, इसका विश्लेषण करो।

मुख्य रूप से 8 लोग इसमें बोलने वाले हैं। इसका मतलब सारे सदन को इस बात से चिंता है। केवल मैं बोल रहा हूं इसलिए इसको आप नकारो मत। ईमानदारी से इस हकीकत पर आप आओ कि वास्तव में छोटे से छोटा जो कंज्यूमर है, जिसके घर में मुश्किल से 60 यूनिट, 70 यूनिट, 90 यूनिट आता होगा, उसका बिल भी एक हजार से लेकर पन्द्रह सौ रुपया है। जिसकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महीने की आमदनी मुश्किल से 5 हजार रुपया भी इस कोरोना टाइम में नहीं रही, वह आपका यह बिल कैसे चुकायेगा? फिर जो आप कनेक्शन काटने के लिये अभियान चला रहे हो, मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय, कम से कम इस कोरोना काल में यह जो छोटा कंज्यूमर है, इस छोटे कंज्यूमर को इस बिजली की मार से मुक्त करो, नहीं तो वह यह कहेगा कि मेरा कनेक्शन भले ही काट दो, मैं फिर से वापस दीपक में जाकर रहूंगा लेकिन यह पैसा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। जो 6-8 हजार रुपये का काम कर रहा है, वह आपका यह डेढ़ हजार से दो हजार का बिजली का बिल नहीं दे पायेगा।

बिजली सप्लाई है नहीं, गांवों में बिजली समय पर पहुंचती नहीं, किसान इस समय त्राहि-त्राहि कर रहा है। अभी तीन दिन में बारिश हुई, इसके पहले बारिश में बिजली की आवश्यकता पड़ी थी और उस समय आपका शटडाउन हो गया, उसके कारण से उसकी खेती बरबाद हो गई। मैं समझता हूं कि इतने बड़े-बड़े लोगों को आपने इन कंपनियों में बैठा रखा है, उसके बाद भी अगर यह स्थिति नहीं सुधरती है, इसको हल्के-फुल्के में नहीं लेकर इसकी तह में जाओ कि आखिर यह कंपनियां दिवाला निकाल रही हैं और उस कंज्यूमर को लूट रही हैं तो कहीं तो उसका निदान निकालना पड़ेगा या केवल उसको आप लूटने का ही काम करोगे? यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इस विषय पर मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आप इसमें एक बार मंत्री जी का वक्तव्य जरूर कराना कि राजस्थान में वास्तव में बिजली की स्थिति है क्या, कंपनियों की स्थिति है क्या? आप किस रेट से खरीद रहे हो? सस्ती रेट पर मिलने के बाद भी आप महंगी रेट से बिजली खरीदकर इन कंपनियों को क्यों मालामाल कर रहे हो? यहां तक कि आपने देखा होगा, एक कंपनी को 4700 करोड़ रुपया मुकदमा हार जाने के कारण से आपको देना पड़ा। मैं समझ नहीं पाया हूं कि छोटी-छोटी गलती आपके अधिकारी करते हैं और 4700 करोड़ रुपये का घाटा राजस्थान की जनता के माथे मढ़ दिया गया है। मैं सोचता हूं कि आप आज इस बारे में बात करके खतम मत करना। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि एक दिन, जैसा भी समय निकले, इस बिजली के बारे में कम से कम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है?

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष की बात को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आगे बढ़ाते हुए, मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने आपके अनेकों वक्तव्य सुने हैं। आपने कहा कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। 24 हजार 959 मेगावाट बिजली आज राजस्थान के पास उपलब्ध है। आपने इस बात को कई बार कहा और, सभापति महोदय, जो साढ़े तीन महीने का समय निकला है, इस राजस्थान के 1 लाख 52 हजार उपभोक्ताओं ने वह मंजर देखा है, जब आठ से दस घंटे की कटौती..। अभी नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे थे कि पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली अगर कहीं है, 8 रुपये 13 पैसे। मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगस्त महीने का बिल और देख लेना। नियामक आयोग की सिफारिश पर आप फ्यूल चार्ज के आठ पैसे और बढ़ा रहे हैं, यह बिल और बढ़कर आने वाला है।

सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि सबसे महंगी बिजली देने के बाद भी क्या कारण रहा कि 8 महीने से आपने कोयला उत्पादन कंपनियों के 1785 करोड़ रुपये बकाया रखे? एन.ए.सी.एल., ए.सी.सी.एल., पी.के.सी.एल. ने आपको कोयला आपूर्ति बंद कर दी।

मंत्री महोदय, आप कई बार वक्तव्य देते हैं कि हमने सूरतगढ़ की एक और यूनिट को प्रारम्भ कर दिया, कोटा की यूनिट को बंद नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सूरतगढ़ थर्मल पावर के छह प्लांट बंद रहे, कितने समय से बंद रहे, क्यों बंद रहे? 1500 मेगावाट बिजली का जो खुद का उत्पादन था, उससे राजस्थान महरूम रहा। काली सिंध की एक 600 मेगावाट की यूनिट बंद रही। कोटा थर्मल की 110-110 की दो यूनिट बंद रही। मंत्री महोदय, आपने अडाणी पावर प्रोजेक्ट से एमओयू किया है। आपने 1200 मेगावाट का एमओयू किया है। जब पीक-आवर्स था, बिजली की जरूरत थी, तब इस निजी विद्युत उत्पादन कंपनी ने भी आपको पूरी बिजली नहीं दी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको मालूम है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, इसकी गाइडलाइन है और गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि कोयले के लिए 25 से 30 दिन का भण्डारण आप रखें। गाइडलाइन आपके सामने थी, परन्तु आप यह देखते रहे कि भण्डारण कम होता जाए, कम होता जाए और बंद होता जाए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अभी जो प्रतिपक्ष के नेता ने महंगी बिजली खरीदने की बात की, आप या तो सदन में यह कह दें कि आप जो झुनझुना बजाते हो कि हम विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गये, ये 24 हजार 959 मेगावाट का हमारा खुद का हिस्सा है, तो आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बताएं कि पीक आवर्स में आपको 13 हजार 172 मेगावाट की आवश्यकता थी, यानी आधी, उसके बाद भी आपने विद्युत में कटौती की और महंगी बिजली खरीदी। यानी आप इस बात के दोषी हैं कि 3700 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसका निर्माण राजस्थान की गरीब जनता के पैसे से किया गया, उसे बंद करने का दोषी अगर कोई है तो आप हो, मंत्री महोदय और आपने इसी अगस्त महीने तक 41 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी। रेट क्या है? प्रतिपक्ष के नेता ने सही फर्माया, 17 रुपये से 20 रुपये। सभापति महोदय, यह पैसा कहां जाएगा? मंत्री महोदय, यह वेरिएबल कोस्ट में आता है। नियामक आयोग यह कहता है कि वेरिएबल कोस्ट उपभोक्ता पर आती है। वेरिएबल कोस्ट में कोयले की दरों में अन्तर आता है तो उपभोक्ता से आप फ्यूल चार्ज के नाम पर लेते हो। टी एंड डी लोस का पैसा भी उपभोक्ता से लेते हो। यह जो महंगी खरीदी हुई बिजली है, सभापति महोदय, भूतो न भविष्यति। इस विधान सभा में मैं कई वर्षों से आ रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि 17 रुपये से लेकर 20 रुपये तक बिजली खरीदी। यह भार भी राजस्थान के उपभोक्ता पर आयेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है।

सभापति महोदय, अगर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलते तो सही में 3 रुपये 20 पैसे से लेकर अधिकतम हमारे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, उनकी पर-यूनिट कोस्ट 3 रुपये 78 पैसे है। अब आप बताइये, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से बिजली खरीदी, आपने निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदी। आज भी कोयला कंपनियों का 971 करोड़ रुपया बाकी है, एनएसीएल का 393, एसीसीएल का 300 और पीकेसीएल का 400 करोड़ बाकी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महंगी बिजली खरीदने में एक गिरोह बन गया है। इस सदन में मैं जिम्मेवारी से आरोप लगाता हूं। वह गिरोह राजस्थान के उपभोक्ता को लूटने का काम कर रहा है। यह पहली बार नहीं है। मंत्री महोदय, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के आंकड़े मैंने ऑनलाइन निकाले। आप मुझे बतायें, 2019-20 में कितनी बिजली खरीदी? 12 हजार 470 करोड़ रुपये की बिजली इन्होंने खरीदी। ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गये। 2020-21 में आपने 13 हजार 993 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी, 3 रुपये 62 पैसे से 5 रुपये 25 पैसे औसत एवं अब इन्होंने जो खरीदी 7 रुपये में, वह अलग है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर इसमें किसी का दोष है, यह छोटी बात नहीं है। बात यह है कि सबसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्यादा पैसा दें, आज अगर उपभोक्ता के पास बिजली का बिल आता है तो वह करंट मारता है और उसके बाद भी अगर हम बिजली की कटौती का दंश झेलें। अभी आप कहेंगे कि इन दिनों में बहुत ठीक है। आपकी क्या मेहरबानी है? यह तो मौसम ने कृपा कर दी, इंद्रदेव ने कृपा कर दी, बरसात हो गयी, थोड़ा-सा रिलीफ मिला।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति, इस बात को आपने भोगा है, आपको कितना दर्द रहा होगा और कारण क्या है, आपने एमओयू किया। मंत्री महोदय, निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से हमारे समय में भी एमओयू हुआ और आपके समय में भी हुआ। आपने एमओयू किया जितने मेगावाट का, मेरा आरोप है कि क्या एक भी निजी विद्युत उत्पादन कंपनी आपको उतनी बिजली का उत्पादन करके दे रही है? राजवेस्ट से आपका 1080 मेगावाट का एमओयू है और आज वह 761 मेगावाट दे रहा है, पीक आवर्स में जब हम 17 रुपये महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अडाणी के साथ आपका 1100 मेगावाट का एमओयू है, 600 मेगावाट दे रहा है। आपका डीबी पावर प्रोजेक्ट के साथ 250 मेगावाट का एमओयू है, इसको पैदा करके देनी है, इसका हमारे साथ एमओयू किया, वह 122 मेगावाट दे रहा है। सीजीपीएल 380 मेगावाट में से सिर्फ 72 मेगावाट दे रहा है। मैं समझता हूं यह जान-बूझकर जो एमओयू किया, निजी विद्युत कंपनियों से विद्युत नहीं ले रहे हैं, ये राजस्थान के थर्मल पावर प्रोजेक्टों को कोयले की आपूर्ति के नाम पर बंद कर रहे हैं, ताकि महंगी बिजली खरीदें और बिजली किससे खरीद रहे हैं? निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से भी ले रहे हैं, परन्तु बड़ी संख्या में निजी विद्युत कंपनी को आप चूना लगा रहे हैं, चांदी कूट रहे हैं। मैं जिम्मेवारी से आप पर आरोप लगा रहा हूं।

सभापति महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बड़ी बात की। मैं आपका ध्यान मुख्य मंत्री जी के 2020-21 के बजट पैरा 75 की ओर दिलाना चाहता हूं। लिखा है, किसानों को पर्याप्त बिजली, बिजली खरीद में पारदर्शिता रखने के लिए कृषक विद्युत वितरण कंपनी खोलने की घोषणा आपने की। आपने फिर 24 फरवरी को कहा कि इस वर्ष हम किसानों को 12 हजार 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी कृपा कर रहे हैं। आगामी वर्ष में 16,000 करोड़ का प्रावधान है। खेती हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता और अच्छे विद्युत प्रबंधन के लिए, वाह, आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बड़ा अच्छा विद्युत प्रबंध किया। आपने कृषि विद्युत वितरण कंपनी नहीं खोली। आपने बजट के अंदर यह कहा कि 16 हजार करोड़ का प्रावधान आपने किसानों को सस्ती बिजली देने के बदले में किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डिस्काम के जो 18 हजार करोड़ रुपये बाकी रहे और निगमों के और सरकारी अन्य कार्यालयों के जो 2 हजार करोड़ रुपये बाकी रहे, उसका दोषी कौन है? आप अगर सदन के अन्दर, बजट के अन्दर जो घोषणा करो, उससे मुकर जाओ, मैं समझता हूं कि आप सदन की सैंक्टिटी खतम करने की बात कर रहे हैं। आप अगर समय पर यह पैसा दे देते तो शायद आज इस तरह की हालत नहीं होती कि आपके थर्मल पावर, कोयले की आपूर्ति कंपनियां, कोयला नहीं देने के कारण बंद होतीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस योजना की बात प्रतिपक्ष के नेता ने की, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। पूरे राजस्थान को आपने कटआउट से पाट दिया। बड़े-बड़े विज्ञापन आ गये। आपने क्या किया, 12 हजार करोड़ की योजना है, आपने कहां से वित्त पोषित की? 12 हजार करोड़ की योजना का कहते हुए आपके मन में थोड़ा बहुत भी नहीं था कि वसुन्धरा राजे जी के समय की पुरानी योजना, 834 रुपये प्रति महीना डायरेक्ट सब्सिडी देने की योजना, बिल के अन्दर पैसे का समायोजन करने की योजना, उस योजना को अगर 19 महीने बंद करने का पाप किया है तो आपने किया है। कल्ला साहब, मैं समझता हूं कि आप इससे बच नहीं सकते।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, यही नहीं, अब हालत क्या है? प्रतिपक्ष के नेता ने सही कहा कि 88 हजार करोड़ के नीचे आपके डिस्काम आ गये। नेता जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें आपने विद्युत उत्पादन निगम का पैसा नहीं जोड़ा। विद्युत उत्पादन निगम, शोर्ट टर्म लोन है 25 हजार करोड़ का और लोंग टर्म लोन है 24 हजार 600 करोड़ का, यानी विद्युत उत्पादन का 49 हजार 600 करोड़ का ये आपका घाटा और कर्जा जोड़ लेंगे तो ये जाता है 01 लाख 37 हजार करोड़, कहां जाएंगे? कैसे चलेंगे?

इसके साथ ही मेरा आरोप है आप पर, आत्मनिर्भर भारत योजना आई, 90 हजार करोड़ रुपये पूरे देश में डिस्काम की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने इस पैकेज के माध्यम से देना चालू किया, आप दोषी हैं। 2 हजार करोड़ रुपया पहले ट्रैंच में आपको लेने थे, आप विफल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे। आपको 2,490 करोड़ रुपये दूसरे ट्रैंच में मिलने थे, आप विफल रहे। भारत सरकार पैसा दे रही है 90 हजार करोड़ के पैकेज में परन्तु आप पैसा लेने के नहीं रहे।

अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बिजली की दरों के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि आपने जिस प्रकार का सेस लगाया, शहरी सेस, क्या गुनाह किया है शहर के उपभोक्ताओं ने? 15 पैसे प्रति यूनिट देंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसे प्रति यूनिट, जल संरक्षण कर 10 पैसे और ये अडाणी कर 5 पैसे, जो अडाणी के नाम से आप कई बार बात करते हैं, कौन है दोषी? 5200 करोड़ रुपये जो सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आपने राजस्थान के 1 लाख 52 हजार उपभोक्ताओं पर 36 महीने के लिए लगाया और अब फिर आगे लगाना चाहते हैं। ये जजिया कर लगाने के दोषी हैं तो आप हैं।

मैं समझता हूं, अभी 8 पैसे और बढ़ने की बात कही। अब इन्होंने किया क्या है कि पैसा ज्यादा बढ़ा, 17 से 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और थर्मल पावर बंद कर रहे हैं। उसके बाद में भी इन्होंने क्या किया कि ओ एंड एम के अन्दर जो मेंटीनेंस के लिए 126 करोड़ का बजट था, उसको 63 करोड़ का कर दिया। न जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलेंगे, न 75 हजार किसानों को जो कनेक्शन देने की बात की, वह पूरा करेंगे, न टूटा हुआ खम्भा बदलेंगे। मैं समझता हूं जिस प्रकार की अराजकता है, राजस्थान में पहले कभी नहीं रही। ये अराजकता यों ही नहीं है। मेरा आरोप है कि जान-बूझकर कोयला आपूर्ति की कमी की गयी। हमारे थर्मल पावर बंद किये गये। जान-बूझकर निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से जो एमओयू किया है, उससे पूरा विद्युत लिया नहीं इन्होंने। सिर्फ एक ही कारण था कि किस प्रकार 17 से 20 रुपये लेकर डिमांड सप्लाई के गैप को कम करने के बहाने से हम भ्रष्टाचार करें। ये भ्रष्टाचार का तांडव राजस्थान के इस इतिहास में हो रहा है। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें वर्ना ये सारे आरोप आपकी छाती पर रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे लोग बोल जाएं, उसके बाद मंत्री जी का वक्तव्य कराएं।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मुझ से पूर्व सदन के प्रतिपक्ष के नेता महोदय और उप नेता महोदय ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से सारे आरोप लगाए हैं। मैं बहुत ज्यादा उनका दोहराव करके सदन का समय खराब नहीं करूंगा।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मुझे अच्छे-से याद है कि इस सदन में मुख्य मंत्री बनने के बाद आदरणीय अशोक गहलोत साहब का पहला भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा था कि बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान सरप्लस है। वह सरप्लस बिजली कहां गई? अचानक से ये क्या हो गया? क्यों बिजली की त्राहि-त्राहि मच गयी? वह भी तब जब वर्षा की कमी हो गयी, फ़सलें सूखने लगीं, जिनके पास ट्यूबवैल थे, कुएं थे, कनेक्शन थे, वे किसान लोग अपनी जलती हुई फसल को बचा सकते थे, उस समय में आपने बिजली कटौती करके जघन्य अपराध किया है और त्राहि-त्राहि उससे मची है। राजस्थान में एक कहावत है कि 'राज रूठे तो रूठे, राम नहीं रुठना चाहिए' परन्तु बरसात नहीं करके राम रूठा और बिजली नहीं देकर राज भी रूठ गया। किसान की हत्या आपने करने का जघन्य अपराध किया है। आपकी उस सरप्लस की घोषणा के बाद सब कुछ हुआ है।

दूसरी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन बढ़ रही है, चोर दरवाजे से बढ़ रही है, कई तरीकों से बढ़ रही है। घरेलू और कामर्शियल में तो बढाई ही बढ़ाई, किसानों की भी बढ़ाई जा रही है। जिन किसानों को हमने फ्लैट रेट कनेक्शन दे रखे हैं, उनका पर होर्स पावर चार्ज लगता है। फिक्स है वह। होर्स पावर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा लेकिन उन काश्तकारों का जब भी ट्रांसफार्मर जलता है, वह ट्रांसफार्मर लेकर बदलवाने के लिए एईएन आफिस आता है और वहां से उसको जब दूसरा ट्रांसफार्मर मिलता है, उस पर मीटर लगा हुआ होता है। दो महीने बाद उसको जब बिल जाता है, उस मीटर से जाता है। आपने उसके साथ अनुबंध कर रखा है फ्लैट रेट का, उस अनुबंध को आप बिना बताए, बिना उसकी सहमति के कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन आप तोड़ रहे हैं चोर दरवाजे से और उस फ्लैट रेट वाले काश्तकार को भी मीटर से बिल बनाकर लम्बी-चौड़ी आर्थिक क्षति उसको पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी आप जघन्य अपराध करने के अपराधी हैं।

जो ट्रांसफार्मर जलते हैं, घोषित रूप से नीति है कि 72 घंटे में बदला जाएगा किसान का ट्रांसफार्मर। 5 साल तक वसुन्धरा जी के राज में हुआ। मेंटेंन हुआ बाकायदा, अब क्यों नहीं हो रहा है? सात-सात दिन, दस-दस दिन, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक नहीं बदलते। चार-चार बार काश्तकार को आना-जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से कई सिफारिशें लगाने के बाद, हाथा-जोड़ी करने के बाद और भेंट-पूजा करने के बाद ट्रांसफार्मर काश्तकारों को मिल रहे हैं। ये

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सामान की कमी की स्थिति भी आपने बनाई हैं। जो नये कनेक्शन हैं, जिनके डिमांड नोट जमा हो गये, डिमांड नोट जमा होने के बाद उसको सामान मिलना चाहिए। सामान की हालत, आपके स्टोर की ये है कि खम्भा है तो केबल नहीं, केबल है तो कैंची नहीं, कैंची है तो इंसुलेटर नहीं। उस आधे-अधूरे सामान को लेकर ठेकेदार वहां पटक देता है और कनेक्शन होता नहीं है। ये भी एक सिनेरियो आप लोगों ने खड़ा किया है। सामान की सप्लाई करना भी आपके बूते के बाहर की बात हो रही है।

पावर ट्रांसफार्मर भी जब जलते हैं तो कई-कई दिन तक वह नहीं मिलते हैं। यह भी एक समस्या आपने खड़ी की है। आपने किसानों को वादा किया था कि सर्दी की रात में आपको खेत में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। हम दो शिफ्ट में बिजली सप्लाई देंगे। वह काम भी ठप हो गया, नहीं के बराबर चल रहा है। इसीलिए नहीं चल पा रहा है कि उसके लिए साधन चाहिए, ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगाने पडेंगे, लाइनें एक्स्ट्रा डालनी पड़ सकती हैं, वह सब आपसे नहीं हो पा रहा है। जो कुओं पर सिंगल फेज कनेक्शन होते थे, किसान अपने खेत पर रह रहा है, वहां पर सिंगल फेज देने की नीति राजस्थान में पहली बार 2003 से 2008 के बीच में भाजपा सरकार, वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में जो चल रही थी, उस समय पहली बार ये योजना लायी गयी और उसमें हजारों कनेक्शन हुए। उसके कारण खेत पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जो कृषि लाइन से 6 घंटे बिजली मिल रही है, उसके अलावा बाकी 18 घंटे में सिंगल फेज लाइन उसको मिलती थी, उसके बच्चे पढ़ सकते थे, वह भी पंखा, कूलर चला सकते थे, टीवी देख सकते थे। उस कनेक्शन को देने का काम भी आपने बिलकुल बंद कर दिया।

दीनदयाल योजना भारत सरकार की चल रही थी, तब तक तो खूब कनेक्शन हो गये। दीनदयाल योजना बंद हो गयी है डेढ़-दो साल से, तो उसके बाद वह कनेक्शन होने ही बंद हो गये। सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की ही है? आप कुछ नहीं करेंगे? लाखों कनेक्शन, करोड़ों कनेक्शन भारत सरकार ने कर दिये, जो थोड़े बहुत बचे हैं वे तो आप कर लें, लेकिन वे भी आपसे नहीं हो रहे हैं। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वे महीनों तक नहीं बदल पा रहे हैं आप लोग, आपके स्टाक में है ही नहीं। यह भी आप जघन्य अपराध कर रहे हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बिजली की कमी से बचाने के लिए सोलर सिस्टम है, वह बहुत उपयोगी है। मैं मेरे घर पर सोलर सिस्टम लगाना चाहूं तो भी आपके अधिकारी को-आपरेट नहीं कर रहे हैं। उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे तो मुझे फायदा मिलेगा। सरप्लस बिजली होगी तो आपको जाएगी, आपको भी फायदा मिलेगा, हमको भी फायदा मिलेगा, लेकिन वह कनेक्शन करने में भी आपके अधिकारी बिलकुल रुचि नहीं ले रहे हैं। डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को। ये भी एक सिनेरियो आपने खड़ा किया है।

एक आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं आपके बहुत हो रही हैं। आपके सरकारी नौकरी वाले हेल्पर तो बहुत कम रह गये हैं वर्कचार्ज वाले या ठेकेदारों वाले लड़के काम कर रहे हैं। आफिशियली वह अनअथोराइज्ड होते हैं, वे खम्भे पर चढ़ते हैं, लापरवाही की हद यह है कि शटडाउन लेकर खम्भे पर चढ़ता है और पीछे से लाइन चालू हो जाती है, वह गरीब मारा जाता है और उसका कोई धणी-धोरी नहीं है। न डिस्काम उसको अपना कर्मचारी स्वीकार कर रहा है, न ठेकेदार उसको स्वीकार कर रहा है। ये तो अनअथोराइज्ड था, ऐसे ही चढ़ गया जबकि चढ़ा आपके लोग रहे हैं। वह मर रहा है। उसको मुआवजा भी आप लोग नहीं दे रहे हैं। काश्तकारों के साथ भी दुर्घटना होती है, उसमें भी आपकी सरकार मुआवजा देने में पूरी कोताही कर रही है।

इस प्रकार से बिजली के मामले में पूरी तरह से आपकी सरकार विफल रही है, विफल रही है, बुरी तरह से विफल रही है। आप सुविधा देने में नाकाम रहे हैं और जनता का गला घोंटने में भारी-भरकम बिल देकर इसमें आप शूरवीर साबित हो रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान आपने जनता का किया है दोनो तरफ से, महंगी बिजली खरीदकर जनता का घाटा कर रहे हैं और बड़े-बड़े बिल देकर जनता का गला और घोंट रहे हैं। इसके लिए राजस्थान की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वक्तव्य दे। जनता को आश्वस्त करे कि इन सब बातों के ऊपर सही काम करेंगे, ठीक से काम करेंगे, जनता को राहत प्रदान करेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, गैलरी में कोई नहीं है, अधिकारी कोई नहीं है, हम किसको सुना रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, प्लीज आप विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसकी व्यवस्था तो करें।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। आप विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम किसको सुनाएं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम किसको सुनाएं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपको पता नहीं है, हमारे एनर्जी के सैक्रेटरी बैठे हुए हैं, +++। मैं बैठा हुआ हूं, हम दोनों बैठे हुए हैं, प्रिसिंपल सैक्रेटरी एनर्जी बैठे हुए हैं। आप गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिए। मंत्री जी ...(व्यवधान) विराजिए, विराजिए। बिना कारण उत्तेजना पैदा मत कीजिए। बिजली का वैसे ही करंट लग रहा है। बिजली के करंट में उत्तेजना पैदा करना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज शांत रहें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, पूरा प्रदेश जानता है...

श्री सभापति: मदन दिलावर जी के बोलने के बाद आप लोग बोल रहे हैं, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हमारा प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है और बिजली सरप्लस हो रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है, मैं भी निवेदन कर रहा हूं। आत्मनिर्भर हो गया था तो हमको बाजार से 41 करोड़ यूनिट महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ी? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इनकी मोन्टिरिंग ठीक नहीं है, कमांड ठीक नहीं है और न ही आकलन ठीक है। इसके कारण से आप देख रहे हैं, बहुत दिनों तक हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं आया। कोयला उपलब्ध नहीं हुआ। अब राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर कोयला क्यों नहीं आया? कोयला इसलिए नहीं आया क्योंकि कोयला सप्लायर्स को राजस्थान सरकार ने या कम्पनियों ने कोयले का भुगतान नहीं किया। 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा उनका बकाया होने के कारण से उन्हें आंखें दिखाईं कि आप कोयले का पैसा दीजिए, तब हम आपको

(श्री मदन दिलावर)

कोयला देंगे। यह भी आकलन नहीं कर पाए कि हमारा कितने दिन का कोयला है। जिस तरह से बाद में इन्होंने आपाधापी में भुगतान किया, वह पहले भी किया जा सकता था। पहले क्यों नहीं किया? यह लोगों से बिजली के पूरे दाम ले रहे हैं, बढ़ा-चढ़ाकर ले रहे हैं, फर्जी बिजली मीटर लगाकर ले रहे हैं, ऐसे बिजली मीटर जो बिजली सप्लाई नहीं हो, तब भी बिजली सप्लाई खर्च करना दिखा रहे हैं, उपभोग करना दिखा रहे हैं। फर्जी वीसीआर भरकर यह लोग किसानों से, आम उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं। कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां नहीं चलीं, जो उद्योग नहीं चले, जो संस्थान बंद रहे, उनसे भी फिक्स चार्ज लेकर उनको लूटने का प्रयास किया। इन्होंने चारों तरफ से प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूटा। पैसा वसूल किया, परन्तु कोयला कम्पनियों को भुगतान नहीं किया। न अपनी छीजत को कम किया, न चोरी को कम किया, कुछ भी नहीं कर पाए, परन्तु आम उपभोक्ताओं को लूटते रहे।

माननीय विपक्ष के नेता, हमारे गुलाब चन्द जी कटारिया साहब ने भी बताया था कि किस प्रकार से लगभग 20 रुपये प्रति यूनिट की बिजली खरीदनी पड़ी। हमारे जो प्लांट 3 रुपये, 4 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली उत्पादन कर रहे थे, उनको तो बंद किया गया और महंगी बिजली खरीदी गई। जब महंगी बिजली खरीदने के लिए पैसा दे सकते थे फिर कोयले का भुगतान क्यों नहीं कर सकते थे? +++ इसका मतलब कहीं न कहीं घालमेल हुआ है कि आखिर में घालमेल क्या हुआ है। आखिर में यह घोटाला कहां हुआ है। यह जबरदस्त घोटाला हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, सैकड़ों लोग बिजली का काम करते हुए मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? इनके कंडक्टर्स पुराने हैं, उनको ठीक करने के नाम पर, बदलने के नाम पर पता नहीं पैसा कहां जा रहा है। कागजों में दिखाया जा रहा है, वह बदले नहीं जा रहे हैं। इंसुलेटर इनके पास नहीं हैं। मंदिरों, स्कूलों, सरकारी संस्थानों के ऊपर से बिजली के तार निकल रहे हैं। कई जगह पर बच्चे-बच्ची चिपक रहे हैं, कई जगह पर श्रद्धालु चिपक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, तार इतने नीचे लटक रहे हैं कि यदि छोटा-सा बच्चा छत पर खड़ा हो जाए तो उसके सिर पर लगता है। यही नहीं, जब किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जाता है तो उससे चिपक कर मर जाता है, क्योंकि वह डाउन है, इनके पास उनको टाइट करने के लिए पैसा नहीं है। खम्भे टेढ़े हो गए, उनको ठीक करने के लिए पैसा नहीं है। आखिर में क्या

(श्री मदन दिलावर)

करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही आत्मनिर्भरता होती है क्या, यही आपकी सरप्लस बिजली है क्या? आप पटवारी को पकड़ रहे हो, आप एसडीएम को पकड़ रहे हो, एक्सईएन को पकड़ रहे हो तो मंत्रियों और एमएलएज को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? एसीबी से पूछना चाहता हूं, कौनसी किताब में लिखा है कि राजस्थान में मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा, एमएलएज को नहीं पकड़ा जाएगा। मैं समझता हूं कि +++ सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और +++

श्री सभापति: विलोपित कर देना, जितनी भी इर्रेलेवेंट बात कही है, सब विलोपित कर देना। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली के बारे में चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि हम यहां से निकलकर गांव की जनता के हाल जाने तो हाल बहुत बुरे हैं। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बारे में चर्चा करी। मैं यह बात नहीं जानना चाहती, आम जनता को इस बात का पता लग चुका है कि किस तरह से हम करीब 90 हजार करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं, कर्जा दिखा रहे हैं, वह सबको पता लग चुका है। गांव का किसान हमसे यह बात पूछता है कि जब-जब भी किसानों को खेतों के लिए, चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता हुई, तब-तब अघोषित बिजली कटौती हम लोग करने लग जाए, उसमें भी एक ही ज़िले में दुर्भावनावश भेदभाव किया जाए, मुझे लगता है कि हम जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

अभी मेरे से पूर्व सम्माननीय गुलाब जी भाईसाहब ने कहा कि वास्तव में बिजली का बिल करंट दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरी विधान सभा, जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, चावल की खेती बूंदी ज़िले में होती है। अगर आपको मैं वर्तमान स्थिति बताऊं कि जिस किसान ने कनेक्शन के लिए एप्लाई किया, तीन माह बीत जाने के बाद भी जो किसान ट्रांसफार्मर का इंतजार कर रहा है, उसे आज तक बिजली का सामान भले ही दे दिया गया हो, पोल लग गये हो, केबल डल गई होगी लेकिन उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है। बूंदी की मैं बात करूं, हिण्डोली, केशोरायपाटन, नैनवां की मैं बात करूं तो 2155 ट्रांसफार्मर्स की हमें जरूरत है, जो अभी तक नहीं दिये जा रहे हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, बड़ा दु:ख होता है जब गांव का किसान हमसे यह बोलता है कि शहरों में रहने वाले लोगों को तो बिजली मिल जाए, लेकिन गांव में रहने वाली जनता आपको बिल का भुगतान नहीं करती क्या? आखिर क्या कारण है? आप बोलते हैं कि हम 24 घंटे उसको सिंगल फेज दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ इस सदन में बोल सकती हूं कि पूरे राजस्थान का हमारा ग्रामीण इलाका है, अगर हम जीएसएस से उसका पूरा डिटेल निकलवा लें कि किस जीएसएस पर कितने घंटे सिंगल फेज बिजली दी गई, तो मुझे लगता है कि हम असत्य साबित होंगे। गांव की जनता को दो घंटे भी सिंगल फेज बिजली नहीं मिल पा रही और हम छह घंटे की बात कर रहे हैं कि हम थ्री फेज बिजली छह घंटे दे रहे हैं। छह घंटे में से कट-कट कर तीन घंटे ही थ्री फेज बिजली मिल पा रही है। मेरा निवेदन है, क्या हम इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सदन में बैठने वाले हर सदस्य ने इस बात को कहा होगा और सरकार ने भी इस बात को कहा कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गये। हमने सोचा कि हमारी छह इकाइयां कोटा में चल रही हैं, छबड़ा का हमारा थर्मल पावर प्लांट चल रहा है। झालावाड़ का हमारा प्लांट चल रहा है, अडाणी वाला चल रहा है। उसके बावजूद भी मात्र कोयले के अभाव में हमारी इकाइयां बंद रहें और हम, जो थर्मल पावर प्लांट हमें 3 से 4 रुपये पर-यूनिट की रेट से हमें बिजली दे रहा है, 3-4 रुपये पर-यूनिट, उसको हम महंगी बता रहे हैं और हमें जब आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी हमें पता लगा, 17 रुपये पर-यूनिट के हिसाब से हमने एक यूनिट बिजली खरीदी, आखिर इसमें कारण क्या है? क्या बिजली कम्पनियां, जो लगातार इस राजस्थान के ऊपर हावी होती जा रही हैं, उनको कहीं न कहीं हम मुझे लगता है, लाभ पहुंचाने के लिये यह काम कर रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने इन कम्पनियों पर लगाम कसी तो निश्चित तौर पर राजस्थान का किसान, हाड़ौती का किसान मजबूत होगा।

आज हम बात कर रहे हैं किसान को बिजली देने की। मैं आपको कल ही की बात बताऊंगी, मेरी सारसला पंचायत का सरपंच मुझे बोलता है कि, बहिनजी, मेरे 17 बीघा जमीन है और लगातार दो बार से हम लोग देख रहे हैं, पिछली बार भी हमारे क्या हालात हुए, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से फसल नहीं हो पाई। इस बार हमारे बारिश इतनी हुई कि पूरे गांव के गांव,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

खेत के खेत समुद्र बन गये। उसके बावजूद भी दो लाख रुपये का बिल उनको थमा दिया। मुझे लगता है, अगर इस तरह का हो रहा है तो यह बहुत गलत है। हम स्थायी शुल्क के नाम से भी उनसे राशि वसूल रहे हैं। जैसा कि अरबन सेस हम लोग लगा रहे हैं, जब हमारे बिल दो महीने में आते थे, अब प्रति माह हमारा बिल आयेगा तो उपभोक्ता 800 रुपये का जो स्थायी शुल्क दे रहे हैं, वह डबल हो जायेगा। इससे उपभोक्ता का बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है, इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ इस बात को बोल रही हूं। मुझे लगता है कि हम जन प्रतिनिधि हैं हमारी सरकार के प्रति यह निष्ठा होनी चाहिए कि सरकार को जनता को किस तरह की सुविधा देनी है, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन बड़ा दु:ख होता है जब जी.एस.एस. पर हम लोगों को जाकर बैठना पड़ता है। मैं आज यहां सदन में बैठी हूं। आप कल की जानकारी ले लें कि मेरी करवाला पंचायत हैडक्वार्टर, 15 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ पड़ा है। जिस गांव की आबादी 500 की है, वहां का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम कौनसी कल्पना कर सकते हैं? 52 ट्रांसफार्मर किसानों के जले हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हैं अभी भी, आज ही की पेंडिंग सूचना मैं आपको बता रही हूं। अगर ऐसे हालात रहें, हम जब एक्स.ईएन. साहब को फोन करें, एक्स.ईएन. साहब हमें बोल दें कि हमारे पास 16 की डी.पी. नहीं है, हमारे पास 25 की नहीं है, तो ऐसे में कैसे हम व्यवस्था दे सकते हैं गांव के किसानों को, गांव के आम नागरिक को, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूं, कि आप करिये, अघोषित बिजली कटौती कीजिये लेकिन उसकी समय सीमा तय कीजिये। आप एक दिन पहले अख़बार में निकाल दीजिये कि हमारे पास बिजली नहीं है, हम एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटे बिजली बंद रखेंगे लेकिन 4-4 घंटे तक, 5-5 घंटे तक लगातार त्यौहार पर भी लाइट बंद रहना, मुझे लगता है यह हमारा दुर्भाग्य है।

मैं वी.सी.आर. की बात करूंगी। आप वी.सी.आर. भरिये, आप अधिकारियों के घर की भरिये, आप किसान की भी भरिये लेकिन मुंह देख कर वी.सी.आर. भरना, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास ऐसे-ऐसे सबूत हैं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं अधिकारियों को फोटो तक भेजकर, व्हाट्सएप पर डाल रही हूं कि ये-ये आपके बिजली कर्मचारी हैं जो लगातार गांवों में अपने रिश्तेदारों से, जिनके छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनसे, किसानों से लगातार बिजली चोरी करवा रहे हैं। उनकी वी.सी.आर. नहीं, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भावनावश वी.सी.आर. भरना और खास कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेहरबानी रखना, मुझे लगता है, इसमें भी मुझे बू आती है। एक जिले में दोहरी राजनीति चलना, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, के.डी.एल. का क्या खेल चल रहा है? मुझे लगता है, यह कोटा का दुर्भाग्य है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे लगता है कि दिलावरजी भाई साहब अभी वहां उपस्थित थे, हमारे और भी नेतागण उपस्थित थे। आप देखिये, एक कर्मचारी कांट्रैक्ट बेस पर, जिन्होंने काम पर उसको लिया है, उसका पी.एफ. कट रहा है, वह लगातार दो साल से काम कर रहा है। अब उस कर्मचारी की कहीं न कहीं मृत्यु हो जाये तो यह तो उनका दायित्व बनता है, के.डी.एल. कम्पनी का कि कोई एक अधिकारी हास्पिटल तक पहुंचे। उसे हास्पिटल में आम जनता लेकर जा रही है। वह मर भी गया और 7-7 घंटे तक कम्पनी का कोई भी कर्मचारी नहीं आये, यह कोटा का दुर्भाग्य है। उसके बावजूद आज तक उसको उसकी राशि नहीं दे पाना, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके साथ-साथ मुझे कल ही पता लगा कि बिजली बंद थी, जैसे ही वह पोल पर चढ़ा वह बिजली चालू हो गई। उसके बाद मुझे कल पता लगा, मुझे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां छोटा-सा कोई तेल का उद्योग लगा हुआ है। के.डी.एल. वाले इतनी चालाकी से उस पैसे की भरपाई करने के लिये, छोटा-सा जिसका उद्योग है, उसको बोल रहे हैं, उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि यह आपकी गलती से, आपका जो सिस्टम बिजली का यहां लगा हुआ है उससे वापस करंट दौड़ा और उसी से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पर के.डी.एल. पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। लगातार जनता के साथ लूट-खसोट करना, 50 वाट का एक बल्ब जिस व्यक्ति का जल रहा है, मुझे मालूम है, उड़िया बस्ती, भाई साहब यहां बैठे हैं, दिलावरजी भाई साहब, इनसे पूछिये, जो लोग दो हजार रुपये महीने कमाते हैं बरतन साफ करके, ऐसी गरीब बस्ती के अन्दर 20-20 हजार रुपये का बिल आ जाना, यह के.डी.एल. के द्वारा लूट-खसोट करना है। इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इसी के साथ में एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि हम छीजत छीजत कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं कि अगर इस छीजत को हम रोकना चाहते हैं, जो छीजत के नाम पर हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी, हमें यह तय करना पड़ेगा कि किस-किस जी.एस.एस. पर कितनी-कितनी छीजत है और उस छीजत के लिये कौन कर्मचारी-अधिकारी दोषी है? क्योंकि उन्हीं की शह से यह सब कुछ हो रहा है।

मीटर बदलने वाली बात चल ही रही थी। मुझे लगता है कि एक महीने के अन्दर, किसी व्यक्ति का दो महीने के अन्दर, तीन महीने के अन्दर अगर उसका नया मीटर लगा है, उसने नया कनेक्शन लिया है तो आखिर में हमें क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम दो महीने में उसके मीटर को चेंज कर रहे हैं? हो सकता है, हमारी स्कीम है लेकिन स्कीम होगी, पूरे केशोरायपाटन में मीटर चेंज करने के नाम से जिस तरह से दादागीरी की जा रही है, मुझे लगता है इस बात पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए।

एक और निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि कोटा से मेरा काफी नाता रहा है। ये कम्पनियां हमें दिवालिया करके छोड़ेंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन कम्पनियों का जितना बड़ा हाथ है, मैं कहूंगी कोटा में हम डेली अख़बार पढ़ लें, इन कम्पनियों के बारे में जनता लगातार आंदोलन कर रही है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। कम से कम, मैं निवेदन करना चाहती हूं, थर्मल पावर प्लांट की राख के बारे में भी मैं बताना चाहती हूं। इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी हुआ था, परसों की बात है, मुझे लगता है शायद परसों-तरसों की, कि राख को हम निकाल नहीं पाये और मजदूर वहां पर दबे के दबे रह गये। आखिर में सरकार अपने नोर्म्स के अनुसार जो बीस प्रतिशत हमारे छोटे उद्योग चलते थे, जो ईंट बनाने वाले उद्योग थे या और कोई दूसरे उद्योग थे, उन्हें 20 प्रतिशत फ्री में दी जाती थी, आज हम उसको टेंडर प्रक्रिया से दे रहे हैं। वह उठ नहीं पा रही है। आखिर में इसके पीछे भी कारण क्या है? और इतनी, सरकार कहीं न कहीं सब कुछ वसूलना ही चाह रही है, उसके बावजूद भी हमारे हालात ऐसे बने हुए हैं तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए।

एक मेरा निवेदन और है कि हमारे लगातार नये 33 के.वी. जी.एस.एस. के जो प्रस्ताव बनाकर हम लोगों ने भेज रखे हैं, उसे भी तुरन्त प्रभाव से सरकार के द्वारा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सैंक्शन किये जाएं तो हमारे वहां की जो बिजली की परेशानी है, उसे हम दूर कर पाएंगे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ एक यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान के अन्दर, हम कहने को तो बोल देंगे कि हमारे लाइनमैन हैं, हमारे जे.ईएन. हैं लेकिन नीचे के हालात यह हैं कि हमारे एक्स.ईएन. परेशान, हमारे ए.ईएन. परेशान। मैं जे.ईएन. के बारे में कहूंगी कि जितने भी, हमारे एक-एक फीडर पर हम काउंटिंग कर लें कि जितने हमारे लाइनमैन लगे हुए हैं, एक भी लाइनमैन मौके पर नहीं रहता। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे विधान सभा क्षेत्र माधोराजपुरा फीडर पर ये लोग जो प्राइवेट व्यक्ति को रखते हैं, उसकी मृत्यु हो गई, कोई उसको सम्भालने वाला नहीं आया। ऐसे ही लगातार मैं देख रही हूं, रात को, अभी 8 दिन पहले की घटना है कि प्राइवेट आदमी को भेज दिया और वह 2 हजार रुपये मांगने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे लाइनमैन कागजों में काम कर रहे हैं, मात्र पेमेंट उठाते हैं। 2-2, 3-3 हजार रुपये में और मुझे लगता है कि बहुत से जो इस तरह के उन्होंने कांट्रैक्ट बेस पर रख रखे हैं, बिना उसके, वे बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं देते, हमें कोई पेमेंट भी नहीं देते, हमें जनता से वसूलना पड़ता है तो आखिर में जनता से क्यों वसूला जाता है? इस बात पर भी हमें रोक लगानी चाहिए।

लास्ट में मेरा एक निवेदन और है। यह बहुत बड़ी घटना है। ऊर्जा विभाग का हमारा जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, मैं कहूंगी कि जयपुर मुख्यालय की कितनी बड़ी घटना है इस बारे में चर्चा पहले भी हुई है, पेपर में भी आया है। हमारे जो मुख्य अभियंता थे स्वर्गीय राजेशजी गुप्ता, मुझे लगता है कि इतने बड़े अधिकारी को और समझदार अधिकारी को कर्मचारी इस तरह से परेशान कर दें कि उसे आत्महत्या करने के लिये मजबूर होना पड़े, इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

जयपुर में वर्षों से इन विभागों में जो कर्मचारी, जो अधिकारी लगातार पूरी तरह से डटे हुए हैं और चिपक कर बैठे हैं, यह किस तरह से परेशान करते हैं, इनके ऊपर भी अगर सरकार का ध्यान रहेगा और इन्हें इधर-उधर करेंगे तो मुझे यह लगता है कि बहुत हद तक हमें इसमें लाभ मिल सकता है।

आप यह देखें कि किस तरह से एक थाने में, श्याम नगर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई, उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होना और उसके बाद, मृत्यु के बाद आप यह देखिये कि 31 मई, 2021 को रिटायर हुए हैं और जुलाई माह में उन्होंने सुसाइड किया और आठ दिन बाद ही सारा उनका

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जितना भी पैसा, जो भी उनका, जितने भी सेवानिवृत्ति के परिलाभ थे, उनका लाभ दे दिया गया। मुझे यह लगता है कि यह हमें शर्मसार करने वाली घटना है। जयपुर के अन्दर भी यदि ऐसी घटना घटित होती है तो इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

मेरा यही निवेदन है कि फीडर सुधार के नाम से जब भी हमारा कार्यक्रम चले तो उस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को रिलीफ मिले और आम आदमी को यह रिलीफ मिलेगी तो निश्चित तौर पर बिजली के जो हादसे होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ, दो वर्ष के अन्दर, चाहे मैं बूंदी जिले की बात करूं या कोटा जिले की बात करूं, ऐसे हादसे हुए हैं जो वास्तव में बिजली विभाग की गलती की वजह से हुए हैं। हम लोगों ने केस बनाकर भेज दिये। मेरे यहां का भी अभी झालीजी का बराना का एक केस था, तीन भैंसें मर गईं करंट से चिपक कर, उनका डी.पी. में से कोई तार टूटा और वह चिपक कर मर गईं, हमने केस बनाकर भेज दिये, आज तक उनको एक रुपया मुआवजा नहीं मिल रहा है। इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ, मैं यही निवेदन करती हूं कि बिना किसी रुकावट के किसानों को बिजली देंगे तो किसान सक्षम बनेगा। इसी के साथ, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार तीन साल का शासन पूरा कर रही है और दूसरी तरफ हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों के बाद भी गांव-ढाणी में अगर किसी गरीब को, किसी किसान को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान प्रदेश का नहीं हो सकता है।

वर्चस्व की लड़ाई से शुरू हुआ राजस्थान की सरकार का यह अंतर्कलह आज इन किसानों पर बिजली की अघोषित कटौती के माध्यम से एक दंश बनकर, एक जहर बनकर आम जनता पर, किसानों पर कहर बरसा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यहां इस राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, अब चूंकि यह राजस्थान प्रदेश की एक कामन समस्या है,

(श्री अविनाश)

उसके बारे में मेरे से पूर्व आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता, प्रतिपक्ष ने सारी बातें बता दीं लेकिन मैं फोकस करूंगा मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के ऊपर। मेरा जो जैतारण विधान सभा क्षेत्र है वह लगभग 120 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। एक तरफ जैतारण पंचायत समिति है और दूसरी तरफ रायपुर पंचायत समिति, एक तरफ मैदानी क्षेत्र और दूसरी तरफ मगरा इलाका और लगभग 68 पंचायतों का बहुत बड़ा भूभाग जो है, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र का है। पिछले तीन-चार महीनों से जो हालात बने हैं, उसमें लगभग गांवों के अन्दर शाम के समय एक अघोषित रूप से बिजली की कटौती हो रही है और जब दिन में किसान खेत में काम करके घर आता है, माताएं-बहनें घर आती हैं लेकिन उसके बाद में जब खाना बनाने का समय होता है, उस समय लाइट कट जाती है और रात को दस बजे, ग्यारह बजे, बारह बजे तक वह लाइट पहुंचती नहीं है, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोट किराणा से लेकर डिगरना तक, चावंडिया से लेकर कुर्की तक, पृथ्वीपुरा से लेकर सराधना तक और बावरा से लेकर गुड़िया तक यह जो चारों तरफ का इलाका है वहां के लोगों के रात को टेलीफोन आते हैं इस बात के कि लाइट कब आयेगी, मच्छर हमें काट रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, लाइट नहीं है और जब हम अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और यदि गलती से कोई अधिकारी फोन उठाता है तो उसका यही जवाब मिलता है कि आगे से लाइट कटी हुई है। हम ऊपर के अधिकारी से बात करते हैं कि जयपुर से लाइट कटी हुई है और जब पूरा प्रयास करते हैं इस बात का कि आखिर में परेशानी किस बात की है, लाइट की कटौती किसलिए हो रही है, तो वह यह बताते हैं कि राजस्थान सरकार के पास में कोयला नहीं है, कोयले की कमी के कारण राजस्थान सरकार बिजली नहीं बना पा रही है, कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इस बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जनता को देने के लिए शटडाउन के माध्यम से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही टाइम पर चार-चार, पांच-पांच घंटे शाम को बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। हमने कई बार अधिकारियों को यह कहा लेकिन आज दिन तक उन्होंने न तो हमें और न जनता को ही संतोषप्रद जवाब दिया है।

(श्री अविनाश)

मान्यवर, आपकी सरकार के बनने के बाद आपने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था लाइट के बिल, उसकी जो रेट है, वह हम लोग नहीं बढ़ाएंगे लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार को यह आग्रह करना चाहूंगा और एक चुनौती मैं आपको देता हूं कि अगर राजस्थान सरकार इस सुशासन के दावे के ऊपर आज यह तीन साल पूरा कर रही है, एक घंटे का कैम्प मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में इस बात का लगाए कि माननीय बी.डी. कल्लाजी वहां पर आएंगे, बिजली की परेशानी के ऊपर वह किसानों के साथ में संवाद करेंगे, अगर एक घंटा आप लोग मीटिंग वहां पर कर लोगे तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि राजस्थान सरकार सुशासन के रास्ते पर चल रही है। इतना आक्रोश जनता के अन्दर है, इतना गुस्सा जनता का आपके, राजस्थान सरकार के प्रति है।

इस बार दुर्भाग्य से राजस्थान में बारिश कम हुई है, पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी बरसात कम हुई है। लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है। थोड़ी बहुत जो खेती थी, बिना बारिश के वह चौपट हो गई। उसके बाद में आपके बिजली का जो बिल है, वह पांच गुना तक बढ़ा हुआ आ रहा है। मैं पेश करूंगा आपको कि जिस व्यक्ति के घर में एक बल्ब और एक पंखा चलता है, जिसका तीन सौ, चार सौ और पांच सौ रुपये का बिल आता था, आज उसका लगभग दस गुना बिजली का बिल आ रहा है और वह खून के आंसू रो रहा है। सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी को बोलते हैं तो अधिकारी हाथ जोड़ते हैं और मैं इससे बड़ी बात आपको क्या कहूं।

अभी पिछली दस तारीख को आपके ही विभाग का एक्स.ईएन. जो मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर लगा हुआ था, पिछले तीन साल से एक ही स्थान पर लगा हुआ था, मैंने आपसे दो साल पहले यह निवेदन किया था कि इस भ्रष्ट अधिकारी को यहां से हटा दें और अभी दस तारीख को ए.सी.डी. के हाथों 25 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। मैंने यह कहा था कि आप उसको हटा दो, उसकी कारस्तानी मैं आपको बताऊंगा। उसने सारे ए.ईएन., जे.ईएन. को वहां से हटा दिया, सारे लाइनमैन को वहां से हटा दिया, छोट-छोटे कर्मचारियों को हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह पैसे मांगता था और जो ईमानदार अफसर था वह पैसे नहीं देता था। किसी का चूरू ट्रांसफर करवा दिया, किसी का पाली जिले से बाहर ट्रांसफर करवा दिया और कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं की, उन्होंने यह कहा था कि नहीं, हम ईमानदार हैं, हम कहां से पैसे लाकर दें और आखिर में चालीस हजार का कनेक्शन था और

(श्री अविनाश)

25 हजार की रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ और अभी भी वह जेल के अन्दर है। यह कारस्तानी अगर कोई कर रहा है तो आपका ऊर्जा विभाग कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे यह कहा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप पनाह नहीं दें। इससे हमारा नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान सरकार का हो रहा है। आपके राजस्थान सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम अगर कर रहे हैं तो आपके वह भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं।

राजनीतिक दुर्भावनावश आपके अधिकारी लगे हुए हैं, आपके राजनेताओं के कहने पर वी.सी.आर. भरी जा रही है। आपको मालूम है? कभी आप पता करना कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी वी.सी.आर. भरी गयी हैं, 90 परसेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भरी गयी हैं और इसका जवाब इस जैतारण क्षेत्र की जनता ने दिया है। दोनों पंचायत समितियों में प्रधान में जैतारण कांग्रेस मुक्त हो गया है। नगरपालिका में कांग्रेस मुक्त हो गया है और आने वाले समय में इस राजस्थान में भी कांग्रेस यहां से मुक्त हो जाएगी, यह मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यह सिर्फ मैं मेरे लिए ही नहीं कह रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे राजस्थान सरकार से पैसे मिलते हैं, मुझे भत्ता मिलता है, मैं उस बिल को भर दूंगा लेकिन उस गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति यह बिल नहीं भर पाएगा। आज उसके जो बड़े-बड़े बच्चे हैं, उनका गुजारा नहीं हो पाता है तो आज वह पांच-पांच, दस-दस हजार के बिल कैसे भरेगा? इस बात की चिंता करने की आपको आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन गांव के अन्दर अगर कोई एक डी.पी. खराब हो जाती है, एक व्यक्ति डी.पी. खुद के साधन में लेकर जाता है और आपके विभाग वाले यह कहते हैं कि हमारे पास में साधन नहीं है, जब होगा तब हम कर देंगे। एक मीटर के कनेक्शन के नाम पर पैसे भर देते हैं लेकिन पैसे भरने के बाद में दो-दो महीने तक उसको घुमाया जाता है। अगर कोई मीटर खराब हो गया तो डाइरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं और लाइनमैन आकर उसकी शिकायत करते हैं और उसके बाद उसकी वी.सी.आर. भर देते हैं। उसके डिमांड के पैसे भरे हुए होते हैं लेकिन कनेक्शन उसको पर्याप्त टाइम पर मिल नहीं पाता है। कभी बोलते हैं कि केबल नहीं है। मेरे विधायक कोटे से मैंने रास गांव के अन्दर साढ़े छह लाख रुपये देकर गांव के अन्दर लाइट का कनेक्शन हो, रोड लाइट का, दो महीने बीत जाने के बाद भी, माननीय मंत्री महोदय, आज दिन तक यह जवाब मिलता आ रहा है कि

(श्री अविनाश)

जोधपुर में सामान नहीं है, जब सामान आएगा तब ही लाइट का कनेक्शन हम लोग देंगे और यह डिमांड राशि मेरी भरी हुई है।

माननीय मंत्री महोदय, यहां पर मैं और भी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं इनको बदलने की आवश्यकता है। आपका लगभग आधे से ज्यादा समय पूरा हो गया, अगर आप ईमानदारी से जनता की समस्या की ओर ध्यान करेंगे, उस गरीब किसान की कल्याण की अगर बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके नीचे अधिकारी हैं, उनकी ओर यह ध्यान दिलाना पड़ेगा कि उन गरीब लोगों की जो वी.सी.आर. हैं, वह नहीं भरे, किसानों के साथ में रहें, गरीब लोगों के साथ में रहें और यह जो विद्युत की कटौती हो रही है, उसको निश्चित रूप से आप खतम करें, पर्याप्त कोयले की उपलब्धता हो या नहीं हो, यह जनता कभी नहीं जानती है लेकिन सरकार के ऊपर जो इस प्रकार के आक्षेप लगते हैं, उनको बंद करने की आवश्यकता है।

मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के बारे में इतना ही निवेदन है कि समय पर जो विद्युत की आपूर्ति हो, वह सुचारु रूप से करवाई जाए और जो एक्स.ईएन. ट्रैप हुआ है, मुझे यह लगता है कि आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उसको तुरन्त प्रभाव से सस्पेंड करें और यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट। आप क्या फरमा रहे हैं?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, अभी सारे माननीय सदस्य बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं भी इस बात से बहुत दु:खी हूं कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसके अन्दर सबसे ज्यादा कच्ची बस्तियां हैं, माइंस हैं मगर इतने ज्यादा बिल आते हैं, एक झोंपड़ी में रहने वाले के 20 हजार का बिल आ जाए। अब बात ही खतम हो गयी, झोंपड़ी वाला क्या फैक्टरी चलाता है? उनके पास क्या है, वह क्या करेगा? बिजली के बिल की मैं बात बताऊं, मैं आपको ईमानदारी से कह रही हूं कि सुबह से बारह एक बजे तक तो यही काम चलता है मेरे यहां। सुबह से ही टेलीफोन या मुझे पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ईजी हूं मना करती नहीं किसी को, भले स्कूटर पर ही ले जाओ। अब तो मैं स्कूटर पर जा नहीं सकती हूं, बाकी मुझे

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

जाने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर जाकर देखो आज बिजली के क्या हाल हैं। मैं तो कहूं राजस्थान के मुख्य मंत्री के गृह जिले में बिजली बंद हो जाना, इतने बिल आना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे यह पूरे राजस्थान में हो रहा है।

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, विराजिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): बिजली व्यवस्था नाम की नहीं है। यहां बिजली मंत्री बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलती हूं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करिये। विराजिए आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): मैं मेरी बात कहना चाहूंगी। यही हाल पानी का है। जहां कहीं भी आफिसर लोग पाइप बिछाते हैं, कोई पता नहीं लगता कि कहां पाइप बिछे, क्या हुए? कहां पानी की लाइन गयी, कुछ भी पता नहीं। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मुश्किल से एक घंटा पानी आता है। बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर क्या करें? जनता को क्या चाहिए? जनता तो आपसे यही चाहती है कि पानी मिले, बिजली मिले।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज। आपको मैंने अलाउ कर दिया। प्लीज सहयोग करें आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): बिजली के बिल अब नहीं बढ़ें, इसके लिए सरकार बताये।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 32 महीने के कार्यकाल में सबसे पहले जो पॉजीटिव बात आयी थी, जब हम विधायक चुनकर आये कि छबड़ा के पावर सेंटर को हम बेच नहीं रहे हैं और हम निजीकरण के खिलाफ खड़े हैं। सभापति महोदय, 32 महीनों के बाद हमें यह समझ में आया कि ऐसे पाजीटिव प्रयास, जिसमें दीनदयाल योजना की जो बात कर रहे थे, इस सरकार ने चुनने के बाद ढाणियों में बेतहाशा कनेक्शन किये थे, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन आज परिस्थिति अलग है। मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने और आपने कोरोना काल के समय पिछले कार्यकाल में जो मदद की थी, दो-दो हजार रुपये गरीब के खाते में भेजने का काम किया, इस साल भी किया, लेकिन बिजली के बिल में वह पैसे हमने वापस ले लिये। हकीकत है, यह दर्द है।

(श्री बलवान पूनियां)

हमने पिछली बार जून में भी चिट्ठी लिखी थी और अब की बार आपको और मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी भेजी थी कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हैं। बिजली के दाम बढ़ने के साथ-साथ, अभी एक साथी कह रहे थे कि, लोग दीपक में चले जायेंगे, नहीं जायेगा कोई दीपक में। इस युग में यह बात सोचना ही नाकाफी है कि साहब, कोई बिजली का कनेक्शन कटा लेगा। कनेक्शन तो हमें और ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि यह बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आपके एफ.आर.टी. लगाने के बावजूद लोगों को सुविधा मिलने के बजाय नुकसान हुआ और धन्यवाद आपका, कि मेरे यहां से तो एफ.आर.टी. हट गयी, अब आप पूरे राजस्थान से भी हटाइये। किस तरह से दिल्ली में यह प्रयोग किया गया कि बिजली कम्पनियां जनता को लूट रही थीं और जब बिजली कम्पनियों की ऑडिट हुई तो दिल्ली में बिजली के दाम घट गये। आज हम क्यों सुनें सारी चीज पाजीटिव करने के बाद, कि राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े हुए हैं। आप कम्पनियों की आडिट करवाइये। एक उपभोक्ता, जो बिजली के बिल नहीं भरे, सभापति महोदय, एक बिल नहीं भरे, दूसरा नहीं भरे तो उस उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाए, तो ऐसी कौनसी नौबत आ गयी थी कि सारे थर्मल प्लांटों में कोयला खतम हो गया और किसी अधिकारी को हमने पनिश नहीं किया? क्यों प्रदेश बिजली के अंधेरे में चला गया और अघोषित बिजली कटौती हो गयी? जो गांवों में दर्द है, गांव के आदमी फोन करते हैं। अभी साथी सही कह रहे थे कि गांव के आदमी फोन करते हैं रात के समय, कि इतनी भयंकर उमस है। हम 800 रुपये स्थायी शुल्क दे रहे हैं, लेकिन बिजली चली गयी। हमें पता नहीं कितने घंटे में बिजली वापस आयेगी, एस.ई. को पता नहीं कि कहां से कट लगता है, शट-डाउन कहां से ले लिया? कहां से बिजली का कनेक्शन कट गया? पूरा ग्रामीण क्षेत्र, तहसील की तहसील बंद रहती है।

सभापति महोदय, बिजली को लेकर आज जो चिंता है, 28 महीने का कार्यकाल इस सरकार का और बाकी है। सभापति महोदय मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान सरकार को निर्देशित करें कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लें और जो ढाणियों में कनेक्शन की बात है, लोग मांग कर रहे हैं, एक बार सरकार फिर घोषणा करके सारी ढाणियों में, एक-एक तहसील में 100-100 ढाणियां जो नई बनी हैं, उनमें कनेक्शन करें। दूसरा जो स्थायी शुल्क के नाम पर बेतहाशा वृद्धि हुई है और 16 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक बिजली के दाम बढ़े हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, वह बढ़े हुए दाम को वापस लें।

(श्री बलवान पूनियां)

मेरा तो इतना ही निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में जनता के पक्ष में शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में जल जीवन मिशन में काम किया है, मैं समझता हूं कि बिजली के क्षेत्र में भी सरकार जनता की इस बात को पूरा करेगी। हमारी यह भावना, जो जनता की मांग है, जो हमने सदन में रखी है, सरकार इसको पूरा करेगी और बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको इसके लिये धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, लम्बे-चौड़े भी हैं, अति सुन्दर हैं। इनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, पानी का विभाग और बिजली का विभाग। माननीय सभापति महोदय, आपके समय, हमारे समय, हमारी माताएं-बहनें दिन-रात चक्की पीसती थीं, आज सारा काम बिजली से होने लग गया। कपड़े धोओ तो बिजली से, आटा पीसो तो बिजली से, छाछ बिलोओ तो भी बिजली से। मेरा इस मौके पर यह कहना है, वैसे मेरी आत्मा नहीं मान रही है लेकिन आप बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं अब आपसे यह विभाग नहीं चलने वाला है। आपसे यह विभाग नहीं चल पा रहा है। यह दोनों विभाग महत्वपूर्ण हैं बिजली और पानी का। आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, सैक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं, सारे इधर से उधर फेल करने में लगे हुए हैं, यह मेरा कहना है।

आपने कहा था और आपके घोषणा पत्र में था कि हम पांच वर्ष तक बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे। किसी तरह से आपने सरचार्ज लगा दिये उनकी गाइड-लाइन से। मेरा आपसे यह निवेदन है आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपभोक्ता परेशान हैं, व्यक्ति परेशान हैं, किसान परेशान हैं, दुकानदार भी बिजली से परेशान हैं, उद्योग-धंधे तो परेशान हैं ही। सबसे महंगी बिजली आज की तारीख में राजस्थान में मिल रही है। हमारे नेता, प्रतिपक्ष और उप-नेताजी ने और अन्य सबने इस सदन में इस बात की चर्चा की। मैं यह नहीं चाह रहा हूं, मेरी आत्मा से बोल रहा हूं, मैं सच्चा आदमी हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपके सत्ता पक्ष के भी, हम विपक्ष वाले तो आपके खिलाफ हैं ही, परन्तु सत्ता पक्ष वाले भी यह चाहते हैं कि यह मंत्रीजी चेंज हो जाएं और कोई दूसरा हट्टा-कट्टा मंत्री हो जाए, ऐसी भी चर्चा हमारे ध्यान में आयी है, मैं सबसे मिलता-जुलता रहता हूं।

(श्री अमृतलाल मीणा)

आज हमारे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 3 करोड़ 65 लाख 87 हजार का बिजली का एक बिल आना अपने आप में कम बात नहीं है। आपके मीटर रीडर नहीं हैं, आपके बिजली के वितरण करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं। कहीं दुकान पर दे रहे हैं, कहीं ऐसे ही होटल में डालकर जा रहे हैं। अंजना साहब, मैं सही बात कर रहा हूं या गलत? आप बिजली विभाग को संभाल लीजिए। (व्यवधान) मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज तरह-तरह के सरचार्ज लगा दिये। पता नहीं कौनसा सरचार्ज है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ठीक नहीं है। हर साल मेंटीनेंस के नाम पर, पोल सीधा करने के लिए, तार को खींचने के लिए और पेड़ काटने के लिए भी पैसा जारी करने के बाद भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में यह काम नहीं हो रहा है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के करंट से इंसान भी मरे, गाय-भैंसों का अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है।

मंत्रीजी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि कोयला नहीं देने का क्या कारण है? कोयला अगर बंद किया है तो कोई न कोई वजह होगी। सेठ या बणिया दुकान का उधार सामान नहीं देंगे तो इसका कारण भी अपने आप में अपन ही हैं। या तो समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या समय पर उसका लेनदेन नहीं हो पा रहा है। हमारी व्यवस्था सही नहीं है। इसमें मंत्रीजी के अलावा जितना भी इनका निचला स्टाफ है, अधिकारी हैं, वो सारे लूटने में लगे हुए हैं, वीसीआर बनाने में लगे हुए हैं, आपके कनेक्शन जबरदस्ती काटने में लगे हुए हैं, फेल करने में लगे हुए हैं। यह मेरा निवेदन है।

मैं इतना ही कहूंगा कि आज जिस प्रकार से बिजली का नुकसान उद्योग धंधों को हो रहा है, हमें स्वयं को हो रहा है। अभी हमारे दक्षिण राजस्थान में बारिश नहीं थी। पहला मौका है जो हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। चावल की खेती होती है, बिलकुल रुक गयी इस वर्ष, जिसकी वजह से लाखों टन अनाज पानी होते हुए भी बिजली की वजह से, आपकी अघोषित कटौती है, कोई मापदण्ड नहीं हैं और सहरिया क्षेत्र में मापदण्ड है। यह हमारी लड़ाई है। जयपुर में कभी लाइट नहीं कटेगी, उदयपुर में लाइट नहीं कटेगी, अजमेर में नहीं कटेगी, नागौर में नहीं कटेगी, मंत्री जी के बीकानेर में नहीं कटेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत खराब है, उसको बाकायदा घोषित करें। फूफाजी आपके भी ऐसा ही हो रहा होगा। सभापति जी, आपके भी समस्या तो है, आप गर्दन हिला रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): तो मेरा यही कहना है कि आज जो यह स्थगन प्रस्ताव आया है प्रक्रिया के नियम 50 के तहत, सबने लाइट पर दिया है, इसका मतलब दर्द तो है, ऐसा नहीं है और, माननीय मंत्री जी, इसका जवाब आप अवश्य दें। यही कहना है, धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बिजली की समस्या केवल मैं और मेरा दल ही फेस नहीं कर रहा, राजस्थान का प्रत्येक कन्जूमर महसूस कर रहा है। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है उसके बारे में अगर आपका वक्तव्य आयेगा तो सही स्थिति राजस्थान के कन्जूमर के पास पहुंचेगी नहीं तो यही रहेगा, कम से कम सरकारी पक्ष भी तो आए कि आप वास्तव में इस स्थिति में गये कैसे और इतने कर्जे में डूब रहे हैं निरन्तर और कन्जूमर परेशान हो रहा है, तो अगर जवाब देंगे तो मैं सोचता हूं कि आज दे सकें आज दें कल देना चाहें कल दें, दो घंटे बाद देना चाहें दें लेकिन आप अपना पक्ष जरूर रखें ताकि कम से कम कन्जूमर को यह अहसास हो कि वास्तव में इस स्थिति में राजस्थान बिजली की दृष्टि से क्यों आया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, कब देना चाहेंगे आप?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): जो भी प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में कल वक्तव्य दे दूंगा और कुछ बातें आज ही कहना चाहूंगा। जैसे अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था हम कृषि बिजली की दरों में पांच वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 90 पैसे में दे रहे हैं, लगभग 16 हजार करोड़ का अनुदान दे रहे हैं। (व्यवधान) और डीबीटी अभी लागू की है।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। प्लीज, प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप गुमराह क्यों करते हैं? आप उसको पढ़ें। उन्होंने साफ कहा था कृषि बिजली की दरों में पांच वर्ष तक हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम 90 पैसे में दे रहे हैं, बराबर अनुदान दे रहे हैं और कल वक्तव्य दे देंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय का स्टेटमेंट कल होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): समय फरमा दें कल का, अगर कल स्टेटमेंट देते हैं।

श्री सभापति: व्यवस्था देकर के दे देंगे। (व्यवधान) व्यवस्था देकर दे दूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कल दे देंगे जीरो आवर के बाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री सभापति: 295 पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री महेश जोशी। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 24)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को मध्याहन पूर्व 11.35 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 13 सितम्बर 2021 से शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2021 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

सोमवार, दिनांक 13 सितम्बर 2021	1. राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, एवं 2. राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 14 सितम्बर 2021	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2021-22 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। 2. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020,

(डा. महेश जोशी)

	3. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, एवं 4. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021	1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021, एवं 2. राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, दिनांक 16 सितम्बर 2021	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021	1. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2021, एवं 2. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण
शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2021	1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020, 2. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, एवं 3. दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मदन

(श्री सभापति)

प्रजापत, सदस्य, विधान सभा कागज की रद्दी एवं स्क्रैप लोहे में खरीद से रीसाइकल करने की प्रक्रिया तक निगरानी तंत्र स्थापित करने एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कागज की रद्दी एवं स्क्रैप लोहे में खरीद से री-साइकल करने की प्रक्रिया तक निगरानी तंत्र की स्थापना

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(15.58 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना प्रस्ताव दिया, उसके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कबाड़ व्यवसाय में कागज की रद्दी एवं स्क्रैप लोहे की खरीद से लेकर रीसायकल करने की प्रक्रिया तक निगरानी तंत्र बनाने एवं इससे राज्य का राजस्व बढ़ने सम्बन्धी प्रस्ताव नीतिगत है, तथापि उद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य में वैस्ट मैटेरियल का उपयोग कर यूज करने वाले योग्य डिफरेंट प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 अन्तर्गत एमएसएमई सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर मानते हुए अतिरिक्त परिलाभों का प्रावधान दिया गया है।

अतिरिक्त देय परिलाभों में 50% off amount paid to the suppliers for the plant, excluding civil Work, for establishing "Reuse and Recycling of Industrial Waste Plant", subject to maximum of rupees fifty lakh an shall be one time assistance" भी सम्मिलित है। साथ ही टैक्सटाइल सेक्टर की परिभाषा में fibre manufactured from recycling of PET bottles भी सम्मिलित है। यदि किसी इकाई द्वारा वैस्ट मैटेरियल का उपयोग कर यूज करने योग्य अथवा डिफरेंट प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है तो वह इकाई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के रूप में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के परिलाभों में पात्र है।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की कि गांव में जो वैस्ट प्रोडक्ट हैं वो सस्ते खरीदकर महंगे बेचे जाते हैं, इसका निगरानी तंत्र होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को कहना चाहूंगा कि अभी ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं है। गांवों में जाकर के जो कबाड़ खरीदने वाले हैं, वह अपनी मर्जी से मनमर्जी के दामों पर खरीदते हैं। इस तरह का कोई निगरानी तंत्र अभी तक राज्य में नहीं है। अगर इस तरह का कोई निगरानी तंत्र बनाने की बात है तो मैं विभाग से चर्चा करके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

(16.00 बजे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुद्दा है यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति पूरे हिन्दुस्तान में, विश्व में जो कचरा बीनने का काम करते हैं, इनको अगर हम पर्यावरण प्रेमी भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यह लोग नहीं होते तो आज कचरे की हालत क्या होती? उनको घृणा की नजर से देखते हैं। वह जो पर्यावरण में मदद कर रहे हैं, उनको 5-10 रुपया रद्दी में मिल रहे हैं और वही रद्दी जब व्यापारी के पास में जाती है तो 45-50 रुपये में बिकती है। इनका निगरानी तंत्र हो। इनका 64 हजार करोड़ का कारोबार राजस्थान में है। यह कोई मामूली बात नहीं है। 12 प्रतिशत रीसाइक्लिंग सिर्फ राजस्थान में हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी 2 ही बातें हैं। एक तो यह कि 12 प्रतिशत की जगह, चाहे पंजाब हो, यूपी हो, अन्य राज्यों में जो जा रहा है, इनकी बजाय अगर 100 परसेंट रीसाइक्लिंग यहां हो तो एक तो उन गरीब लोगों का जिनका कोई मुद्दा नहीं उठाते, जो सड़क पर सोते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और 50 से 100 रुपया भी उनको नहीं मिलता है। वह मालदार लोग है, जो मलाई खा जाते हैं। ई-स्क्रेप का निगरानी तंत्र है। जो लोहा है, राजस्थान में 31 हजार टन स्क्रैप जो पंजाब और अन्य राज्यों में जाता है, 15 हजार, 12 हजार टन जो अख़बार की रद्दी है, इनमें ईंधन की बचत होती है। कोयले में भी फायदा होता है। गरीब आदमी को निगरानी तंत्र के माध्यम से थोड़ी-बहुत राहत दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रीसाइक्लिंग के प्रयास जो जयपुर के कालाडेरा वगैरह में किये जा रहे हैं, 100 परसेंट रीसाइक्लिंग राजस्थान में हो। इससे राजस्थान सरकार को आय भी होगी तथा जो गरीब, जो सड़क पर सोने

(श्री मदन प्रजापत)

वाला है, उनका भी भला होगा। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि निगरानी तंत्र और रीसाइक्लिंग 100 परसेंट राजस्थान में हो।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि अभी गांव में जो कबाड़ खरीदते हैं, रद्दी खरीदते हैं, लोहे का सामान खरीदते हैं, उसके लिए अभी कोई निगरानी तंत्र नहीं है। जहां तक रीसाइक्लिंग का सवाल है, अगर हमारी एमएसएमई पॉलिसी में कोई भी रीसाइक्लिंग का प्लांट लगाएंगे, हम उनको रिप्स 2019 है, इसके परिलाभों का लाभ देंगे। हम इनको इस सेक्टर में मानते हुए कोई भी रीसाइक्लिंग का प्लांट लगाएगा, उसको 100 परसेंट जो हमारी 2019 की स्कीम है, उसमें लाभ देंगे। अभी तक इस पर कोई निगरानी तंत्र नहीं है। मैं विभाग से चर्चा करके सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का, सही बात है कि गांवों में रद्दी, रीसाइक्लिंग सामान हमारी फैक्ट्रियों का है, उसको खरीदने के लिए कोई निगरानी तंत्र बनाने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जिनको बात करनी हो वह बाहर पधारें।

सार्वजनिक स्थलों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों का विस्थापन

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत ढीली विद्युत लाइनों को ठीक करना, पुराने टेढ़े-मेढ़े व जर्जर पोलों को बदलना, चिह्नित अधिक विद्युत भार वाले क्षेत्रों में नये ट्रांसफार्मर लगाने सहित अन्य सुधार कार्य किये गये थे। फीडर सुधार के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्काम में क्रमश: 18.92, 17.47, 91.55 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिला/वृत्त में किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। फीडर सुधार के तहत बाड़मेर जिला/वृत्त में वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की गई राशि का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

विद्युत लाइनें विद्युत अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अनुसार रिहाइशी मकानों से निश्चित दूरी व ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं, तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद कालांतर में आमजन द्वारा विद्युत लाइनों के नीचे एवं पास में अवैध रूप से निर्माण कर लिया जाता है। यद्यपि विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु निगम प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में ऐसी बिजली की लाइनें जिनसे मानव जीवन व सम्पत्ति को खतरा हो, उन्हें किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा शिफ्टिंग हेतु निगम में नियमानुसार आवेदन करने पर उक्त कार्य हेतु बनाये गये तकमीने की लागत की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा जमा करवाने तथा राइट आफ वे उपलब्ध कराने पर शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन कर लाइन अन्यत्र शिफ्ट की जाती है। उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालय भवन के ऊपर से जा रही विद्युत लाइनों को हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित द्वारा आवेदन करने पर विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करने का सम्पूर्ण व्यय निगम द्वारा ही वहन किये जाने का प्रावधान है।

राजकीय अस्पताल भवन परिसर, सार्वजनिक स्थानों, राजकीय विद्यालय भवन परिसर तथा भवनों के पास से गुजर रही ऐसी विद्युत लाइनों जिनसे मानव जीवन व सम्पत्ति को खतरा हो, उनको स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित बिजली अभियान दिनांक 16.05.2016 से 15.06.2016 तक जोधपुर डिस्काम के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत चलाया गया था। उक्त अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 29 राजकीय विद्यालय भवन परिसरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों का सम्पूर्ण व्यय निगम द्वारा वहन किया जाकर अन्यत्र स्थानों पर शिफ्ट किया गया था, जिसका उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में चिह्नित 12 विद्यालय परिसरों यथा खेल मैदान अथवा चारदीवारी के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजर रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है एवं जिनका तकमीना बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। तकमीना बनाये जाने के उपरांत नियमानुसार विद्युत लाइनों को शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने सिवाना और बाड़मेर वाली जो लागत

(श्री हमीर सिंह भायल)

बताई है, इस वजह से स्कूलों में कई तरह का, जैसे सिवाना में माडल स्कूल है, वहां कम से कम 400 से 500 लड़के अध्ययन करते हैं, वहां से जो लाइन निकली हुई है, उससे कई बार हादसे होते-होते बचे हैं। इन तार ढीले और खम्भे टेढ़े होने की वजह से 7-8 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कम से कम 14 से 15 गाय और भैंसे जीएसएस जो बने हुए हैं उनकी चारदीवारी नहीं होने से मर चुकी हैं।

अभी आप जो कह रहे हैं कि 12 प्रस्ताव आये हुए हैं, यह कम से कम 3 साल से लंबित पड़े हैं। स्कूलों के ऊपर से तार जा रहे हैं, खेल मैदानों के ऊपर से लाइन जा रही है, धर्म स्थलों से लाइन जा रही है। जो आपका सरकार का यह आदेश है कि दूसरी जगह पर 50 परसेंट व्यय या तो खुद करें या कोई संस्था से करवाएं, लेकिन जहां पर स्कूल, खेल मैदान हैं उन पर सरकार करेगी। अगर यह जल्दी से जल्दी नहीं करेगी तो यह हादसे होते रहेंगे। इनको शीघ्र करवाने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 29 विद्यालयों के ऊपर से तो तार हटा दिये गये हैं। 12 के तकमीने बनाकर के जल्दी से जल्दी इसको करवाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: जल्दी से जल्दी का डिफाइन कर दो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 3 महीने के अन्दर-अन्दर करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त, आबकारी एवं आयोजना विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.5(18)वित्त/कर/2015-288 दिनांक 25.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में संशोधन कर मोबाइल टावर के प्रयोजनार्थ काम में ली जाने वाली भूमि की दरें निर्धारित की गई हैं।

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-289 दिनांक 26.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-155 दिनांक 24.02.2021 के अधिक्रमण में आधार प्रमाणीकरण से छूट प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-290 दिनांक 26.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-152 दिनांक 30.03.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर ई-चालान लागू किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-291 दिनांक 26.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसरण में राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2020 की धारा 13 में संशोधन को लागू किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-292 दिनांक 26.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-05 दिनांक 18.04.2018 के संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-293 दिनांक 26.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-20 दिनांक 28.06.2019 के संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.2(76)वित्त/कर/2017पार्ट-296 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 37(b) के तहत लोन दस्तावेजों के संबंध में एमनेस्टी योजना को लागू किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-297 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 में संशोधन कर एमनेस्टी योजना 2021 में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-298 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-153 दिनांक 30.03.2020 के प्रावधानों का पालन न करने पर देय जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-01 दिनांक 03.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में द्वितीय संशोधन किया गया है।

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-02 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में मार्च एवं अप्रैल 2021 के लिए ब्याज दर कम कर राहत प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-03 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-147 दिनांक 31.12.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विलम्ब शुल्क में छूट दिए जाने हेतु संशोधन किया गया है।

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-04 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-05 दिनांक 23.04.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-05 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-256 दिनांक 13.11.2020 में संशोधन किया गया है।

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-06 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में तृतीय संशोधन (2021) किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-07 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम की धारा 168ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.04.2021 से 30.05.2021 के बीच में विनिर्दिष्ट अनुपालन का विस्तार दिनांक 31.05.2021 तक करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.2(20)वित्त/कर/2017-08 दिनांक 10.05.2021 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों के पुनरीक्षण को स्थगित किया गया है।

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-09 दिनांक 24.05.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में चतुर्थ संशोधन (2021) किया गया है।

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-11 दिनांक 02.06.2021 जिसके द्वारा जीएसटी परिषद् की 43वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-12 दिनांक 02.06.2021 जिसके द्वारा जीएसटी परिषद् की 43वीं बैठक में की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-13 दिनांक 02.06.2021 जिसके द्वारा वस्तुओं की आरजीएसटी दरों में परिवर्तन हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-172 दिनांक 29.03.2019 में संशोधन किया गया है।

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-14 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-III-256 दिनांक 13.11.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-15 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा मार्च, अप्रैल और मई, 2021 की कर अवधि हेतु ब्याज कम कर राहत देने के संबंध में अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-16 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-147 दिनांक 31.12.2018 में संशोधन किया गया है।

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-17 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा फार्म GSTR-1 को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क की दर में परिवर्तन करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-159 दिनांक 23.01.2018 में संशोधन किया गया है।

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-18 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा फार्म GSTR-4 को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क की दर में परिवर्तन करने हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-19 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा फार्म GSTR-7 में रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लागू विलम्ब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में अधिसूचित किया गया है।

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-20 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा सरकारी विभागों और प्राधिकरणों को ई-इन्वाइस जारी करने से छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-V-152 दिनांक 30.03.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(29) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-21 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-07 दिनांक 04.05.2021 में संशोधन किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(30) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-22 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-05 दिनांक 23.04.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(31) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-23 दिनांक 04.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में पंचम संशोधन (2021) किया गया है।

(32) अधिसूचना संख्या: एफ.12(76)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-24 दिनांक 08.06.2021 जिसके द्वारा आरवेट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II की प्रविष्टि संख्या 81 में संशोधन किया गया है।

(33) अधिसूचना संख्या: एफ.12(76)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-25 दिनांक 08.06.2021 जिसके द्वारा खनन डीलरों को एचएसडी की बिक्री पर लागू कर की दर में परिवर्तन हेतु अधिसूचना संख्या: एफ.12(76) वित्त/कर/2017-102 दिनांक 20.12.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(34) अधिसूचना संख्या: एफ.12(77)वित्त/कर/2014-26 दिनांक 14.06.2021 जिसके द्वारा भारत से बाहर निर्यात हेतु सोनामुखी की खरीद पर कर में 100% छूट प्रदान की गई है।

(35) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-27 दिनांक 14.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(36) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-28 दिनांक 14.06.2021 जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर 30.09.2021 तक रियायती जीएसटी प्रदान करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

(37) अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-29 दिनांक 23.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-28 दिनांक 14.06.2021 में शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

(38) अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-36 दिनांक 01.07.2021 जिसके द्वारा एमनेस्टी योजना के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या: एफ.12(29)वित्त/कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 में संशोधन किया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(39) अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017-37 दिनांक 01.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य वर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

(40) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2018-38 दिनांक 02.07.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)वित्त/कर/2021-277 दिनांक 24.02.2021 के अधिक्रमण में 50 लाख रुपये तक फ्लैट्स के दस्तावेजों पर देय छूट की अवधि को दिनांक 30.09.2021 तक बढ़ाया गया है।

(41) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 17.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन कर नियम 75 में नया उप नियम (2A) जोड़ा गया है।

(42) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 17.03.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर नेफेड से प्रत्यक्ष उपापन का प्रावधान किये जाने हेतु बिन्दु संख्या-15क जोड़ा गया है।

(43) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 19.11.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर अनुसूची को अद्यतन किया गया है।

(44) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) की सामान्य शर्त संख्या 4 को संशोधित किया गया है।

(45) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.04.2021 जिसके द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर के प्रबन्धन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग व जिला कलेक्टर कार्यालय को आरटीपीपी के प्रावधानों की पालना से छूट प्रदान की गई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(46) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 26.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर राजीविका के महिला स्वयं सहायता ग्रुप से प्रत्यक्ष उपापन का प्रावधान किये जाने के लिये बिन्दु संख्या-56 को जोड़ा गया है।

(47) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 04.05.2021 जिसके द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर के प्रबन्धन के लिए आक्सीजन प्लान्ट, आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स व अन्य सहायक उपकरणों का उपापन व स्थापना के लिए स्थानीय व स्थापना के लिए स्थानीय निकाय विभाग व अन्य उपापन संस्थाओं को आरटीपीपी के प्रावधानों की पालना से छूट प्रदान की गई है।

(48) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में बिन्दु संख्या-1क में बोली लगाने वालों के स्रोत/प्रवर्ग को संशोधित किया गया है।

(49) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.07.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन कर पंजीकृत व अनुमोदित स्टार्ट अप्स से 15 लाख रुपये तक का माल व सेवायें का प्रत्यक्ष उपापन का प्रावधान किये जाने के लिए बिन्दु संख्या-57 को जोड़ा गया है।

आबकारी विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा अधिक उठाने पर आबकारी शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा राज्य में संचालित Hotel Bars, Clubs Bar and Restaurant Bars की लाइसेंस फीस में 10% की छूट दी गई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.3(4) वित्त/आब/2015 पार्ट-लूज दिनांक 02.06.2020 के क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 को दिनांक 01.04.2021 से विलोपित किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.03.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम, 48, 49, 67-I, 68, 69, 69AA, 69B एवं 74 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्राण्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में नियम 3 में संशोधन किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्राण्ट आफ रेस्टोरेंट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में नियम 3 में संशोधन किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में बीयर निर्माताओं को दिनांक 01.04.2021 से 31.07.2021 तक Bringing into permit fee में छूट दी गई है।

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019 पार्ट-II दिनांक 30.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-III दिनांक 12.05.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021 पार्ट-I दिनांक 11.06.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021-पार्ट-I दिनांक 01.04.2021 में संशोधन कर होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में 25% की छूट दी गई है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021 पार्ट-I दिनांक 04.08.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.03.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2021/पार्ट-I दिनांक 10.08.2021 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1950 के तहत महुआ फूल से उत्पादित मदिरा को देशी मदिरा की श्रेणी में शामिल किया गया है।

आयोजना विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ17(8)11/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो. दिनांक 27.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 3, 4 व 14 तथा केन्द्रीय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तांतरित लाभों हेतु आधार अधिप्रमाणित किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या: एफ17(8)15/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो./नियम/2020 दिनांक 28.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 40 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 विरचित किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या: एफ17(8)14/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो./अधिसूचना-आज्ञा/2019 दिनांक 05.08.2021 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 19 के तहत पूर्व में दिनांक 05.05.2020 को जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या: एफ17(8)14/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो./अधिसूचना-आज्ञा/2019 दिनांक 05.08.2021 जिसके द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 23 के तहत पूर्व में दिनांक 05.05.2020 को जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला। ऊर्जा मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

ऊर्जा विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम-139 दिनांक 17.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामले) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम/140 दिनांक 03.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य सम्पादन मानदण्ड) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि. 141 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कार्यदक्षता के मापदण्ड) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या: सचिव/राविविआ/विनियम/142 दिनांक 17.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का संपादन) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि. 143 दिनांक 05.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता पक्षकारी) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(6) अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम-144 दिनांक 08.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र) विनियम, 2021 विरचित किये गये हैं।

(7) अधिसूचना संख्या: रा.रा.वि.आ./सचिव/फ.../विनियम/दिनांक 09.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (मीटरिंग) विनियम, 2007 व उनके संशोधन को निरस्त किया गया है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन की...

श्री अध्यक्ष: बाद में, बाद में। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

परिवहन विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: प.6(96)परि/कर/मु./उर्स/10/3581 दिनांक 18.02.2021 जिसके द्वारा उर्स मेले में आने-जाने वाले वाहनों को कर मुक्त किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(266)परि/कर/मु./2006/4411 दिनांक 01.03.2021 जिसके द्वारा IATO/RATO से सम्बद्ध वाहनों को कर मुक्त किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या: प.6(179)/परि/कर/मु./2021-22/2A/7431 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या: प.6(229)/परि/कर/मु./11/11083 दिनांक 29.06.2021 जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, मालवीय नगर, जयपुर के तीन वाहनों को देय मोटरवाहन कर में छूट प्रदान की गई है।

(5) अधिसूचना संख्या: प.6(327)/परि/कर/मु./2020/13514 दिनांक 04.08.2021 जिसके द्वारा कोविड-19 के चलते यात्री वाहनों को मई एवं जून, 2021 के मोटरवाहन कर में छूट प्रदान की गई है।

(6) अधिसूचना संख्या: प.7(47)/परि/नियम/मु./87/पार्ट-I/7448 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा ई-रवन्ना चालानों हेतु एमनेस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या: प.9(63)/परि/आर.टी.ए./मु./87/10678 दिनांक 23.06.2021 जिसके द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार के मार्ग सं. 24 में चौपहिया वाहनों की अनुज्ञापत्रों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

(8) अधिसूचना संख्या: प.7(198)/परि/नियम/मु./2006/पार्ट-I/10712 दिनांक 23.06.2021 जिसके द्वारा पुराने यान पर आबंटित किसी पंजीयन क्रमांक को नये यान पर रखने (Retain) हेतु शुल्क में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या: प.9(922)/परि/आरटीए/मु./2002/पार्ट-III/13649 दिनांक 29.07.2021 जिसके द्वारा जयपुर शहर में चलने वाले एल.पी.जी./सी.एन.जी. चलित आटो रिक्शा/ऑटो तांगा के अनुज्ञा पत्रों की संख्या का निर्धारण किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या: प.6(320)/परि/कर/मु./2018/15569 दिनांक 02.09.2021 जिसके द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के तहत कर चुकता प्रमाण-पत्र ऑनलाइन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

षष्ठ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का अंतरिम प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से षष्ठ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला, ऊर्जा मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें, मंत्री महोदय राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन अधिनियम, 2015 का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21, मतलब अब भी यह 2021-22 का रख देते तो हम संतोष कर लेते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप श्रीमान् ने इनको कितनी ही बार हिदायत दी है कि उसी वित्तीय वर्ष में प्रतिवेदन आ जाना चाहिए और यह 2018-19 का रख रहे हैं, मतलब कुछ तो हो, मैं समझता हूं कि अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी तो लेना चाहिए, वह हिम्मत भी आपमें नहीं है।

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन The Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation)(Amendment) Bill, 2021 पर विचार कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो The Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Bill, 2021 की धारा 27 में एक संशोधन, मंत्री महोदय, आप लेकर आये हैं। धारा 27 में 27 (क) के बाद आप एक प्रोविजो के माध्यम से, एक परंतुक के माध्यम से इसी अधिनियम की धारा 13(3), 13(4) में कारित अपराध जो पूर्व में काग्निजेबल थे, बेलेबल थे, उनको मूल रूप से आप संशोधित करके नोन बेलेबल और नोन काग्निजेबल करने का प्रस्ताव सदन के सामने लेकर आए हैं। मंत्रीजी, यह बात भी सही है कि ये जो संशोधन प्रस्ताव आये हैं, इनमें माननीय उच्च न्यायालय का वह निर्णय जो रिट याचिका संख्या 2246/2016, जो 2017 के अन्दर मोहम्मद हनीफ वर्सेज राजस्थान सरकार में पारित किया गया था, उसके अन्दर जब यह एफआईआर क्रेश हुई और उसके साथ जब कोर्ट ने यह कहा कि The Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Bill, 2021 मूल जिसमें आप संशोधन लेकर आये हैं, उसमें सेक्शन 13(1) और 13(2) के अन्दर जो वर्तमान में सज़ा का प्रावधान है वह 3 महीने और 3 हजार रुपये का है और यह सीआरपीसी के शिड्यूल सैकंड के अन्दर यह नोन काग्निजेबल और नोन बेलेबल है। यानी अगर इसमें आप कार्यवाही करेंगे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी अपराधी के विरुद्ध में तो आपको सीआरपीसी के सैक्शन 41 के तहत नोटिस देना पड़ता है। यह भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सही है कि जो सैक्शन 13(1) है, वह मूल रूप से कोई व्यक्ति पर्यटन स्थल पर अनधिकृत रूप से बिक्री करता है, पर्यटकों को सामान बेचता है, पर्यटन स्थल पर भीख मांगता है या किसी प्रकार से पर्यटकों को दलाली करता है, तो उसमें 13(2) के अन्दर ऐसे व्यक्ति को पुलिस को अधिकार था कि पुलिस गिरफ्तार करे बिना वारंट के और उस पर अपराध सिद्ध होने पर तीन महीने और तीन हजार रुपये तक का जुर्माना हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13(2) के अन्दर अगर वह दूसरी बार अपराध कारित करता है तो तीन वर्ष और तीस हजार के जुर्माने का प्रावधान है और अगर वह बार-बार अपराध कारित करता है तो 13(4) के अन्दर उसको सात वर्ष और एक लाख रुपये की सज़ा का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 11 वर्ष पश्चात् आप इस एक्ट के अन्दर संशोधन लेकर आये हैं और अभी आप पौने तीन वर्ष से शासन में भी हैं। मुख्य रूप से यह जो एक्ट है यह उन गरीब भिखारियों के खिलाफ है, उन असहाय लोगों के खिलाफ है जो लोग आज सबसे असहाय हैं, समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो भिक्षावृत्ति के अन्दर लिप्त हैं। मैं समझता हूं कि आप इतना सख्त कानून बना रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय, 2010 से आपका यह एक्ट राजस्थान में प्रचलित है, आप इसका संशोधन अब लेकर आये हैं 2017 के हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार तो निश्चित तौर पर आपके पास इस सदन को बताने के लिए वो प्रकरण तो होंगे ही कि आपने कितने लपकों के विरुद्ध, कितने भिखारियों के विरुद्ध, कितने अवैध वस्तु विक्रेताओं के विरुद्ध इन ढाई साल में कार्यवाही की होगी और वह कार्यवाही इसलिए कारगर नहीं हुई कि वो नोन काग्निजेबल और नोन बेलेबल थे, वो आंकड़े जिनके कारण से आधार बना कि आप सदन का समय जाया करने के लिए इस प्रकार के बिल में संशोधन लेकर आए हैं, मैं समझता हूं कि जब आप उत्तर देंगे तो इसके बारे में बताएंगे।

आपको याद होगा कि आपने जन घोषणा पत्र और बजट में यह कहा था कि आप पर्यटन पुलिस लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सेक्शन 13(1) और 13(2) में सज़ा के प्रावधान को तो आप कड़ा कर रहे हैं पर आप यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जरूर बताएं कि आपके कितने घोषित पर्यटन स्थल हैं और उन पर आपने कितनी पर्यटन पुलिस को लगाया? निश्चित तौर पर बताएं कि आपके पास मैकेनिज्म क्या है? आप एक्ट लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करने के लिए पर्यटन पुलिस के नाम पर आपकी घोषणा थोथी साबित हो गई। किस मैकेनिज्म से आप इस एक्ट को एनफोर्स करेंगे? आप उत्तर दें तो बताएं तो ठीक होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में जिसके कण-कण में त्याग, तपस्या, मान मर्यादा की कहानियां, शूरवीरता की कहानियां, विदेश से जो भी पर्यटक आता है, हर छठा पर्यटक राजस्थान में आता है और यह भी सही है कि हमारे प्रदेश की जीएसडीपी में 22 परसेंट का योगदान पर्यटन उद्योग का है। आज राजस्थान में 50 हजार से ज्यादा होटल हैं, इनमें 30 से 40 लाख लोग प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं। 2019 का ही आंकड़ा मेरे पास है। आपके 5 करोड़ से ज्यादा देशी पर्यटक आए और 1 करोड़ 7 लाख के करीब विदेशी पर्यटक आए। इन सबमें लगभग 42 हजार करोड़ रुपये की आय पर्यटन उद्योग से राजस्थान को होती है। परन्तु वैश्विक महामारी कोरोना आई, इन दो सालों के अन्दर 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान इस सेक्टर को हो गया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपने अभी पर्यटन नीति भी घोषित की है और यह भी सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यदि राजस्थान में पर्यटन विभाग और पर्यटकों से मिलने वाली आय है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने वैश्विक महामारी के बाद दम तोड़ते पर्यटन विभाग के लिए कौनसा पैकेज दिया? आप नीति लेकर आए, तो निश्चित तौर पर मैं निवेदन करूं, कभी जयपुर शहर का परकोटा यूनेस्को से वर्ल्ड हैरिटेज सूची में शामिल हुआ, दुर्भाग्य से 60 परसेंट से ज्यादा परकोटे पर अवैध कब्जा है और उसकी हालत खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप पर्यटन मंत्री हैं निश्चित तौर पर पर्यटन के सम्बन्ध में जो घोषणाएं की गईं, बजट में जो-जो घोषणाएं की गईं, उनका तो ध्यान निश्चित तौर पर आपको होगा ही।

(16.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि आपने 2021-22

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर इसी सदन के अन्दर यह घोषणा करवा दी कि 500 करोड़ रुपये पर्यटन विकास कोष की घोषणा करी है। कहां है वह घोषणा? आपने कहा, 200 करोड़ रुपये आप टूरिज्म डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग के लिए और 300 करोड़ रुपये आप आधारभूत संरचनाओं के लिए खर्च करेंगे। एक धेला भी आपने खर्च किया हो तो बता दें।

मंत्री महोदय, आज प्रदेश के अन्दर हालात क्या हैं, आपके इस विभाग के अन्दर हैरिटेज कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है और उसके बाय-लाज भी 2020 में बन गये। आज 40 शहरों के अन्दर, जिसमें आपका शहर लक्ष्मणगढ़ भी है, 10 हजार से ज्यादा ऐसी इमारतें और हवेलियां हैं जो राजस्थान कंजर्वेशन हैरिटेज एक्ट के अन्दर प्रोटेक्टेड होनी चाहिए थीं। ढाई वर्षों में हवेलियां तोड़ने का जो सिलसिला चालू हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, आप जिस जगह से आते हैं, सीकर के अन्दर धड़ाधड़ धरोहरें टूट रही हैं, हवेलियां टूट रही हैं, शेखावाटी में दो वर्षों में 500 हवेलियां टूट गयीं, बीकानेर में 2,000 में से 1,100 हवेलियां बची हैं और लक्ष्मणगढ़ की तो बात ही क्या कहनी।

मैं समझता हूं, पर्यटन विभाग पर बात कर रहे हैं, एक्ट लेकर आ रहे हैं और आप इसलिए लेकर आ रहे हैं कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को आप सज़ा देना चाहते हैं। उनके पुनर्वास की बात अगर आप लेकर आते हैं इसमें, अमेण्डमेंट के साथ ही लेकर आते हैं ऐसे लोग जो पर्यटन स्थलों पर जाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, असहाय लोग हैं, उनको हम वहां से हटाने के लिए सेक्शन 13 के 2, 3 और 4 के अन्दर सख्त प्रोविजन कर रहे हैं। आप साथ में उनके पुनर्वास की बात करते तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अच्छा होता।

आज आरटीडीसी की तो बात ही क्या करूं? मैं आपके वक्तव्य पढ़ रहा था, आपने अभी एनएमपी, जो भारत सरकार की योजना है, उसकी आलोचना की। भारत सरकार हिन्दुस्तान के असैट्स को बेच रही है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उत्तर दे दें और स्पष्ट कर दें कि आरटीडीसी की ये 44 होटलें, 40 नजूल सम्पत्तियां आप 99 साल की लीज पर देने की जो योजना बना रहे हैं, उसके पीछे हेतु क्या है? मैं समझता हूं, हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इसका हश्र क्या होगा? जो संशोधन आप लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, मुझसे भी बात कर लें, यह तो फिर मतलब ही क्या है, साहब, ये यहां भी अगर पीसीसी का दफ्तर खोलेंगे, मैं समझता हूं कि यह विधान सभा नाथी जी का बाड़ा थोड़े ही है। अगर यह गम्भीरता रहेगी, लगातार मैं बोलता जा रहा हूं और मंत्री महोदय लगातार किसी न किसी ट्रांसफर के कागज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, फिर बोलना बंद कर दें हम। आज विधान बनाने वाली विधान सभा के अन्दर कांग्रेस के इतने बड़े नेता, जो मंत्री पद पर भी हैं, गम्भीर नहीं हैं तो इसके साथ क्या होगा? इसीलिए, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं परव्यू में बोलूं, सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि यह जो पर्यटन स्थलों पर भिखारियों के झुण्ड खड़े रहते हैं, ये समाज के पिछड़े लोग, समाज के असहाय लोग हैं। इन पर डण्डा चलाने के लिए तो आप काम कर रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस पर भी दिलाना चाहता हूं कि आपने 2019-20 के बजट में पैरा 113 में यह कहा था कि राज्य भिखारी या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आप जयपुर को भिक्षा मुक्त शहर बनाएंगे। आप जयपुर को भिक्षा मुक्त शहर बना देते, आज जयपुर में भिखारी नहीं होते, इनके पुनर्वास का इंतजाम आप कर लेते तो शायद आपको इस एक्ट के अन्दर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के हालात हैं, सभापति महोदय, मैं क्या कहूं, अभी आपने जितनी घोषणाएं कीं, आपने घोषणा की थी, 2019-20 में पैरा 149 में जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैरिटेज बाग़, बन गया हैरिटेज बाग़? आपने व्हीकल फ्री जोन की बात की, बन गया व्हीकल फ्री जोन?

जिस पुरानी विधान सभा में आपकी और हमारी यादें जुड़ी हैं, राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाने की घोषणा कागजों से बाहर नहीं आयी। आपने 2019-20 में 100 करोड़, जिसको 500 करोड़ किया, वे आपने आगे नहीं किये। अभी यह जो आपने कहा था, हम 6 हजार गाइड्स को नियुक्त करेंगे, मैं समझता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप और कुछ बात करें या न करें, कुछ मांगने का अधिकारी तो मैं भी हूं। मेरा भी अधिकार है तो इस नाथी के बाड़े

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को आप पर्यटन स्थल घोषित करें। नाथी के बाड़े को पर्यटन स्थल घोषित करें और उसके अन्दर इस प्रकार के अधिकारियों को लगा दें कि नाथी के बाड़े में जो आये, वह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अन्दर सर्वप्रिय बन जाए। यह काम तो कर दें कम से कम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नाथी का बाड़ा तो पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, कभी पाली जाकर तो आएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नाथी के बाड़े में इस सरकार ने आने के बाद अगर एक रुपया खर्च किया हो और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आप दोनों को इस सदन को नाथी का बाड़ा बिलकुल नहीं बनाने दूंगा। कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कुल-मिलाकर यह कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार के हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ हैं। ये गरीब लोग, भिखारी लोग जो राजस्थान में हैं, उनके पुनर्वास के लिए इसी सदन में ये कानून लेकर आये, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में लेकर आये, इन्होंने पुनर्वास का वादा किया, उन व्यक्तियों का पुनर्वास करने की बजाय सज़ा के प्रावधान को सख्त करके उन पर कहर ढाने का काम किया, इसलिए यह कानून खोटा कानून है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जिस कानून पर यहां चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, जैसा अभी माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सरकार बनने के बाद ढाई साल से कानून बनाने के छोटे-छोटे बहाने ढूंढकर एक बाढ़-सी सरकार लेकर आती है। कभी एक लाइन में संशोधन, कभी कोमा में संशोधन, कभी परन्तुक में संशोधन। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस कानून का संशोधन करने के लिए लेकर आ रही है, उस कानून की सारी धाराओं को एक बार पढ़कर देख ले कि इस पूरे विभाग में क्या-क्या संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी और यदि उन्हें एक साथ लाया जाए तो यह सरकार सदन का समय भी बचाएगी और जनता का पैसा भी बचाएगी।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, 2010 में जो यह अधिनियम बना, उसकी धारा 27 (क) का अंत:स्थापन 27 (क) अपराधों का संज्ञेय होना- इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, इन दो शब्दों पर यह बिल लाया गया है- जमानतीय और अजमानतीय, लेकिन, सभापति महोदय, यह जमानतीय और अजमानतीय बिल लाने से, जैसा अभी उप-नेता प्रतिपक्ष ने कहा, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना जो आपके ऊपर लगी, उसकी पालना, खानापूर्ति तो आप जरूर कर देंगे, पर वाकई मनन करें कि क्या आप इसमें कुछ कर पाएंगे?

जिस पर्यटन पुलिस के नाम से यह राजस्थान टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स (टीआरएफ) बना, वह 2002 में बना और आज उसमें मात्र 125 भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनके ऊपर यह पूरा बिल लाया गया है। कौन तो उन्हें पकड़ेगा, कौन-सी जमानती धाराएं लगेंगी, किसमें जमानत होगी और किसमें गैर-जमानतीय धाराएं लगेंगी? यह पूरा निर्धारण, इस राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर का निर्धारण वो 125 भूतपूर्व सैनिकों के हाथों में जो विभाग चल रहा है, उसके लिए यह बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं सदन में एक आंकड़ा भी बताना चाहूंगा कि पर्यटन बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और राजस्थान ही नहीं, दुनिया के हर पर्यटन में सबसे ज्यादा है पर्यटक सुरक्षा। यदि पर्यटक की सुरक्षा है तो ही वहां पर्यटन बढ़ता है। 2002 में जब यह एक्ट बना, तब यहां पर्यटकों की संख्या 87 लाख थी और आज संख्या है 5 करोड़ 38 लाख। ऐसे में बिना किसी कानूनी अधिकार के हम मनन करें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक पर्यटकों का कितना-सा सहयोग कर पाते होंगे, जिसका हम बिल संशोधन लाये हैं।

सभापति महोदय, पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ 1989 में, आज अच्छा होता यदि ये बिल लेकर आते, 1989 में जब आप ही की पार्टी के मुख्य मंत्री थे शिवचरण माथुर साहब, उन्होंने पहली बार राजस्थान में घोषणा की थी कि हम टूरिज्म को इण्डस्ट्री का दर्जा देंगे। आज जब मंत्री जी जवाब दें तो मैं यह पूछना चाहूंगा, वे यह भी बताएं कि आज तक इस टूरिज्म सेक्टर में, वाटर में, इलैक्ट्रिसिटी में, टैक्सेज में, फाइनेंस में सिक्योरिटीज के नाम पर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी भी चीज में इंडस्ट्रियल नियम कहीं पर

(श्री अशोक लाहोटी)

लागू किये हैं क्या? इण्डस्ट्रीज को फायदा दिया है क्या या फिर इस पर्यटन क्षेत्र के टैक्सेशन में कहीं पर इण्डस्ट्रीज का समावेश किया गया है क्या? इण्डस्ट्रियल एक्ट के तहत कहीं पर रूल्स एण्ड रैगुलेशंस बनाये गये हैं क्या? इन सब चीजों का समावेश करके यदि बिल आता तो निश्चित रूप से यह बिल राजस्थान के लिए बहुत फायदेमंद होता।

सभापति महोदय, चूंकि आज पर्यटन की बात हो रही है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी बार जब लाल किले से देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने आजादी के 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव की चर्चा की तो उन्होंने एक अपील की कि पहली बार इस देश के 130 करोड़ लोगों को प्रण लेना चाहिए कि वे हिन्दुस्तान के कम से कम 15 पर्यटक स्थलों पर घूमने जाएं। जब ऐसे प्रण की देश के प्रधान मंत्री ने घोषणा की हो तो मानो कि टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है और उस बूम का फायदा राजस्थान, जिसके कण-कण में टूरिज्म है, जिसकी मिट्टी की सुगन्ध टूरिज्म है। राजस्थान के लिए कहते हैं कि हमारा रिच कल्चर, हमारा हैरिटेज, हमारी विरासत, हमारी स्थापत्य कला, भव्य किले, हवेलियां और पूरे विश्व को ग्रीन आर्किटेक्चर का संदेश देने वाला राजस्थान का टूरिज्म है।

इसके साथ-साथ, हमारे फोक सान्ग्स, हमारे फोक डान्स, हमारा कलरफुल कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे मेले, हमारे प्राचीन मन्दिर, हमारे धार्मिक आयोजन, हमारी झीलें, ये सब हमारे टूरिज्म का पार्ट है। आज जीडीपी की बात करो तो इस बिल में समावेश होना चाहिए था कि हमारी जीडीपी का 14 परसेंट अकेले टूरिज्म सेक्टर से है जो 9 हजार करोड़ रुपये है। आज यदि एक्चुअल में राजस्थान के टूरिज्म को इन सब समाविष्टों के साथ केवल एक चीज यदि पर्यटन मंत्री महोदय, जिसका अभी आप काम संभाल रहे हो, नाथी के बाड़े में तो आप करो या नहीं करो, वह तो आपकी इच्छा है लेकिन यदि केवल एक चीज आपने कर दी...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बस सभापति महोदय, दो मिनट और। जो हमारे किले और जो हमारे पास संरक्षण है, उनकी यदि सुन्दरता और स्वच्छता हमने कर दी...

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह (अनुपस्थित)।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 30 परसेंट पर जायेगा जो राजस्थान में बहुत बड़ा हमें फायदेमंद होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं यह कहूंगा कि इस बिल को 6 महीने के लिये जनमत जानने के लिये जरूर भेजें, जल्दबाजी में इसको नहीं करें वरना यह भी नाथी का बाड़ा बन जायेगा।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। 2010 के बिल राजस्थान अधिनियम संख्या 9 व धारा 27 और 28 के बीच में, 27 (क) का अंत:स्थापन किया जा रहा है। इस विषय पर माननीय उप नेता प्रतिपक्ष जी ने, हमारे विधायक साथी ने एक बात कही। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को एक छोटा-सा प्रदेश के हित का सुझाव देना चाहता हूं और पीछे जिस संकट को हमने झेला है, पर्यटन जो हमारी अर्थव्यवस्था का राजस्थान में बहुत बड़ा आधार है, जिस प्रदेश में कला और संस्कृति, जिस प्रदेश की धरोहर को देखने दुनिया आती है, क्यों न राजस्थान की सरकार जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में ऐसा सांस्कृतिक केन्द्र हमारे प्रदेश का वहां चले ताकि वहां से हमारे प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी भी उन प्रदेशों में हो और वहां से पर्यटक भी आये और निवेश भी आये। इस तरह का 2019 के सत्र में मैंने प्रस्ताव रखा था कि राजस्थान के प्रवासी साथी जो यहां से दिसावर दूर कोने-कोने में बैठे हैं और आपकी शेखावाटी का तो क्या मुकाबला, देश और दुनिया के कोने-कोने में हमारे शेखावाटी का प्रवासी बैठा है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अपना योगदान करता है और पीछे कोरोना काल में जो संकट आया, कोरोना फर्स्ट और कोरोना सैकण्ड, उसमें मजदूरों का पलायन, प्रवासियों का पलायन और उस संकट और पीड़ा को आपने, पूरे देश ने, हम सबने देखा, भुगता और महसूस किया, उससे रूबरू हुए। उस समय अगर ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र और प्रशासनिक केन्द्र दूसरे प्रदेश की राजधानियों में राजस्थान सरकार के होते तो उनको कितनी बड़ी मदद मिलती। यह एक आग्रह मैं आज करना चाहता हूं कि इस तरह का एक बिल और लेकर आयें जिससे राजस्थान का भी भला हो और हमारे पर्यटन का भी विकास हो, प्रवासी साथियों की भी वहां मदद मिले।

(श्री बिहारीलाल)

एक आग्रह मैं और करना चाहता हूं। शेखावाटी की धरती से मंत्री जी आते हैं, आज हमारे सदन के लिए और हम सबके लिये बड़ा सौभाग्य का विषय था कि दो महानुभाव आदरणीय नितिन गडकरी जी और गुलाम नबी आजाद साहब हमारे बीच में आये। गडकरी जी ने कहा कि राजस्थान में जिसने भी जो मांगा, वह देने का प्रयास किया, धन की कहीं कमी नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप राजधानी क्षेत्र के गलता जी से शुरू कीजिए, सीकर का खाटूश्याम विश्व प्रसिद्ध मंदिर, आपका लक्ष्मणगढ़, पड़ोस में सुजानगढ़ सालासर बालाजी का विश्व प्रसिद्ध धाम, आगे पर्यावरण चिंतक गुरु जम्भेश्वर भगवान का मुक्ति धाम, आगे गोरखनाथ की धरती, शाहगंज धोरा, वहां से आओ तो करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, वहां से आगे चलो तो कपिल सरोवर का बहुत बड़ा स्थान और आगे चलो तो साम्प्रदायिक सौहार्द्र का स्थान रामदेवरा और आगे तनोट राय सीमावर्ती, जयपुर से सीमा तक यह पांच जिलों में 8 ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको आप धार्मिक डेजर्ट पिलग्रिम के नाम से एक सर्किट बना सकते हो और उसमें मैंने तकनीकी विशेषज्ञों से भी बात की है। कहीं बीच में सड़कें नहीं हैं, तो मात्र 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का धन खर्च नहीं होना और बहुत बड़ा संदेश जायेगा। मेरा यह निवेदन है कि इसको भी शामिल कीजिए और गडकरी जी तक की मदद लेनी पड़े तो वह सहर्ष इसमें आपकी मदद करेंगे। निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में मेरे बीकानेर में भी जूनागढ़, हमारा करणी माता का मंदिर, इन पर्यटक स्थलों को भी उस नक्शे में जोड़िए और इनके विकास में भी राजस्थान सरकार मदद करें और सिर्फ नाथी के बाड़े की ही बात न करे, उसको पर्यटन स्थल बनाने की बात न करे, ऐसा पर्यटक स्थल जहां जाते ही लोग आरएएस बन जाते हैं और इन पर्यटन स्थलों पर भी ध्यान दें और माननीय मंत्री जी इनके विकास की भी बात करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, पर्यटकों की सुविधा के लिये आप संशोधन विधेयक लाये हैं। धारा 27, 28 में धारा 27 (क) को जोड़ा आपने। मेरा आपसे निवेदन है पहले भी अनेक कानून बने हुए हैं अगर सख्ती से पालना हो। विशेषकर इसमें मेरा सुझाव था, क्योंकि मैं झीलों की नगरी के शहर से आता हूं, माउंट आबू भी हमारे पास में है और मैंने पहले भी इस सदन में आपके माध्यम से निवेदन किया था कि राजस्थान

(श्री धर्मनारायण जोशी)

को केवल पर्यटन पर राजस्थान सरकार जोड़ दे तो राजस्थान का अर्थ प्रबंध हमारे पर्यटन की नीति कर सकती है क्योंकि हमारे पास माउंट आबू और उदयपुर ऐसे स्थान हैं जहां पर बर्फ नहीं गिरती है, बाकी सब कुछ वहां पर है। हम कश्मीर से कम नहीं हैं। आपको इस संशोधन विधेयक में गाइड के लिये कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये थी।

राजस्थान सरकार के पहले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम भिखारी मुक्त जयपुर करेंगे। उसके बाद केवल घोषणा हुई, कुछ नहीं हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अनेक पर्यटन स्थल ऐसे हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं सरदार पटेल की गुजरात में स्टेच्यू बनी, आलोचना हुई। हर किसान के घर से लोहा गया परन्तु आज ताजमहल से ज्यादा सरदार पटेल के स्टेच्यू की इनकम गुजरात सरकार को हो रही है। हमारे यहां राजस्थान के कण-कण में शौर्य छिपा हुआ है, पर्यटन छिपा हुआ है। जिस क्षेत्र में जायेंगे, जैसलमेर जायेंगे। गुजरात में कुछ भी पर्यटन स्थल नहीं है और उसके बाद भी उन्होंने कच्छ के रण को और माननीय मोदी जी ने अमिताभ बच्चन से विज्ञापन करवाया 'जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, 'एक रात तो गुजारिए गुजरात में।'

मैं सुखाड़िया जी को धन्यवाद देता हूं, उस जमाने में जब राज्यों का विलयीकरण हो रहा था और बंटवारे में माउंट आबू गुजरात में जा रहा था। माननीय सुखाड़िया जी ने कोशिश करके उसको राजस्थान में रखा। आज केवल मात्र चार-पांच स्थलों को, क्योंकि पुरानी वसुंधरा सरकार ने, भैरोंसिंह जी शेखावत से लेकर मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना बनी, भैरोंसिंह जी ने मेवाड़ के सारे तीर्थ स्थल डवलप किये। उसके बाद वसुन्धरा जी ने पैनोरमा बनाया, सांवरिया जी, त्रिपुरा सुंदरी, चारभुजा जी, श्रीनाथ जी, सारे स्थान डवलप करने की उन्होंने कोशिश की। आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय को प्रार्थना है, राजस्थान में आप केवल पर्यटन पर जोर देकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था ऊंची आयेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार एक संशोधन राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम, 2010 में लेकर आई है। सभापति महोदय, संशोधन भी इतना कि जमानती और अजमानती के फेर में यह सरकार पड़ी हुई है। सभापति महोदय, मेरा सीधा-सीधा निवेदन इतना ही है कि सरकार कोविड के दौरान प्रदेश में पर्यटकों के क्षेत्र में काम करने वाले

(श्री रामलाल शर्मा)

लोगों की जो स्थिति बनी हुई है, उसके लिए कोई बिल लेकर आती तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, घोषणाओं की क्रियान्विति करने की मंशा सरकार की नहीं है। सभापति महोदय, जिस तरह से 2019-20 के बजट में पहले कहा कि हम 100 करोड़ का पर्यटक कोष बनाने का काम करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि पर्यटक कोष को बढ़ाकर हम 500 करोड़ करने का काम करेंगे, फिर सरकार ने घोषणा की कि हम जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ने का काम भी करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, एक कदम भी चलने का काम सरकार ने नहीं किया।

सरकार यह बिल लेकर आती कि कोविड के दौरान पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले कई गाइड बेरोजगार हो गये, हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता पर सभापति महोदय, जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में आज भी होटलों में काम करने वाले, टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार हुए हैं आज भी होटल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक महीने में 10 दिन बुलाया जाता है, 20 दिन वे बेरोजगार हैं। किसी की तनख्वाह अगर 10 हजार रुपये थी, उसको दो हजार रुपये महीने के दिये जा रहे हैं। अगर सरकार इस तरीके का बिल लेकर आती और उनकी आजीविका को ध्यान में रखने का काम करती तो वह मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया था।

आपने घोषणा तो जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की की थी लेकिन आज भी जयपुर में भिक्षावृत्ति करते हर चौराहे पर कोई न कोई मिल जायेगा। उनके पुनर्वास की घोषणा भी आपने इस सदन में की थी, उस क्षेत्र में भी एक कदम सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन तो इतना ही है कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में बहुत अधिक गुंजाइश है, उन गुंजाइशों में भी अच्छे से अच्छा कर सकते थे लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, आप सिर्फ पर्यटन स्थल के ऊपर अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्यवाही कर लेंगे इस एक्ट के तहत, लेकिन क्या पर्यटकों के साथ उस स्थल के बाहर जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे? राजस्थान के अन्दर सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि राजस्थान की सरकार सुरक्षा मुहैया कराने का काम करे, लेकिन आज राजस्थान का आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसकी असुरक्षा का प्रमुख कारण है सरकार की उदासीनता

(श्री रामलाल शर्मा)

और सरकार का एक भी व्यक्ति इस विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि हम आमजन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी।

सभापति महोदय, अंतिम बात मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र के अन्दर भी एक वीर हनुमानजी का मंदिर है। एक महीने के अन्दर एक लाख से अधिक यात्री उस मंदिर के अन्दर दर्शन करने के लिए जाते हैं, 800 सीढ़ियां उस मंदिर के अन्दर हैं। उस मंदिर की 800 सीढ़ियां कोई बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ नहीं सकता। गम्भीर बीमारी, असाध्य व्यक्ति उस मंदिर की 800 सीढियां चढ़ नहीं सकता। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपये लगाकर उस मंदिर का विकास किया, एक प्राइवेट कम्पनी ने वहां रोप-वे लगाने का काम भी किया। इस सरकार की अस्थिरता के कारण, इस सरकार के असंतोष के कारण वीर हनुमानजी मंदिर के रोप-वे को इस सरकार ने बंद कर रखा है। अब भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, उस रोप-वे को चालू करें, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं मिल सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार जो बिल लेकर आई है, उसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के ऊपर एक छोटा-सा संशोधन लेकर सरकार आई है और यह सतत प्रक्रिया है संशोधन करने की, लेकिन छोटे-छोटे संशोधन से सदन का समय जो जाया होता है, उसके बजाय जो विषय की गम्भीरता है, जैसे पर्यटन जैसा विषय है, जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, अपार संभावनाएं पर्यटन में राजस्थान में हैं, माइन्स एंड मिनरल्स के अन्दर भी अपार संभावनाएं हैं। पूरे देश के अंदर यदि राजस्थान पर्यटन को गम्भीरता से ले तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बेलेबल, नोन-बेलेबल कोर्ट की अवमानना के कारण आपको इस विधेयक में संशोधन लेकर आना पड़ रहा है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, लेकिन यह छोटे-छोटे जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, रेहड़ी वाले, दुकान करने वाले लोग हैं या वहां पर जो गाइडिंग का काम करने वाले लोग हैं, पर्यटन स्थल के बारे में बताने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए इसके अन्दर इतना सुदृढ़ीकरण किये जाने की बात की जा रही है।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें कह दी हैं। उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। फिर भी, सभापति महोदय, मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन पुलिस की बात हम लोगों ने की थी, पर्यटन पुलिस के बारे में माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने बहुत पूछ लिया। मैं समझता हूं पर्यटन मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उसके बारे में पूरी गम्भीरता के साथ में इस विषय के ऊपर जवाब देने का काम करेंगे।

राजस्थान के अंदर यदि टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से अपार संभावनाओं वाला राज्य राजस्थान बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो टूरिज्म की इकाइयां हैं या टूरिज्म के स्पाट हैं या हमारे राजस्थान टूरिज्म के लिए जो स्थान बने हुए हैं उनको भी लीज पर देने की बात की जा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण ये सब काम हो रहे हैं। शेखावाटी की बात करें, पर्यटन मंत्री महोदय शेखावाटी से आते हैं, हम सब लोग शेखावाटी से आते हैं, हवेलियां नहीं टूटनी चाहिए। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए।

आज, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय आपको मालूम है, मंडावा के अन्दर एक हवेली में फीस लेकर हवेली का अन्दर से अवलोकन करने की इजाजत दी जाती है, ऐसे ही मंडावा के साथ फतेहपुर में भी है। ये हवेलियां इतनी अच्छी स्थापत्य कला के साथ में बनी हुई हैं कि यदि राजस्थान सरकार गम्भीरता के साथ इनको तोड़ने के ऊपर प्रतिबंध लगा दे, आज क्या होता है, उन हवेलियों का संरक्षण हो नहीं रहा है और लोग-बाग़, भूमाफिया लोग उन हवेलियों को खरीदकर वहां पर बड़े-बड़े काम्प्लैक्स बना रहे हैं, जहां पर न पार्किंग की सुविधा है, न अन्य किसी तरह की कोई सुविधा है, इसलिए यह जो पर्यटन की दृष्टि से हमारे दूर-दूर से विदेशों से पर्यटक आते हैं उन हवेलियों को देखने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार की उदासीनता के कारण इसमें नहीं हो रहा है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, बजट के अन्दर जो घोषणाएं थीं और जो टूरिज्म के लिए भी थीं। मैं समझता हूं टूरिज्म की बात तो करना बेमानी है बजट की 70 परसेंट घोषणाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं, राजस्थान सरकार की उदासीनता इतनी गम्भीर है।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दीं, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर दिया, उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहता हूं कि पर्यटन किस तरह से आगे बढ़े और पर्यटन की अपार संभावनाओं का दोहन किस तरह से हम लोग कर सकें, इसके ऊपर राजस्थान सरकार गम्भीरता से विचार करे और कोई इस तरह का बिल लेकर आए जिसके अन्दर इसको बढ़ावा मिले। ये छोटे-छोटे बिल लाकर के कोमा, फुल-स्टाप और कुछ-कुछ परिवर्तन करके, मेरे हिसाब से इसमें कोई होने वाला नहीं है। इसको 6 महीने के लिए परिचालित करने का मैं कहता हूं और इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबु लाल झाडोल।

श्री बाबु लाल (झाडोल): सभापति महोदय जी, राज्य सरकार राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 लेकर आई है। सभापति महोदय जी, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उप नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं, वे अक्षरशः सही हैं। जो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, वे किस कारण से करते हैं? क्या कारण है जो भिक्षावृत्ति करते हैं? या तो उनकी मजबूरी है या फिर कुछ लोग ऐसे गिरोह बने हुए हैं, जो गिरोह असहाय लोगों के या तो उनके किसी अंग को काटते हैं या विकलांग करके और उनसे भिक्षावृत्ति कराकर वे अपना परिवार चलाते है, एक उद्योग चला रहे हैं। इस विषय पर भी कुछ विचार करते तो ज्यादा अच्छा था।

सभापति महोदय जी, पिछली बार मैंने एक बात कही थी माननीय मंत्री जी को ध्यानाकर्षण के माध्यम से और आपने यह भी कहा था कि हम वहां पर कोशिश करेंगे कि पर्यटन स्थल के रूप में घोषित-विकसित करें। एक कमलनाथ, राणा पुंजा, रामकुंडा ये बहुत महत्व के स्थान हैं और महत्व मैंने समझाया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, आगे कोई कार्यवाही बढ़ी नहीं।

मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि आप अगर पर्यटन को विकसित करना चाहते हो तो उसे करिये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा यह कहना कि

(श्री बाबु लाल)

आप यह जो बिल लाए हैं, इस बिल को जनता के सुझाव के लिए, जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज का बिल देखकर लगता है, जो बिल में आपने संशोधन किया, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, इस संशोधन को देखकर लगता है कि सरकार पर्यटन या पर्यटन के प्रति किसी प्रकार से गम्भीर नहीं है। आज सरकार के पास पूर्णकालीन कोई पर्यटन मंत्री नहीं है। इनको तो अतिरिक्त चार्ज दे रखा है, उसके कारण से जल्दबाजी में लाकर और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाह रहे हैं, केवल जमानती एवं अजमानती शब्दों में उलझे हुए हैं। यदि करना है तो पर्यटन व्यवसाय से किस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, उसको लेकर कोई बात करते।

मैं अजमेर से आता हूं और अजमेर एक पर्यटन स्थल माना जाता है। वहां पर दरगाह शरीफ भी है, पुष्कर भी अजमेर जिले में आता है और बाकी भी कई स्थल हैं, लेकिन उन स्थलों पर आज तक आपने कभी एक रुपया भी पिछले ढाई, पौने तीन साल में खर्च किया हो तो आप बता दें? यानी, पर्यटन स्थल का विकास नहीं करना, आय के स्रोत की चिंता नहीं करना और केवल यहां पर कानूनी औपचारिकताएं करते हुए, केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि अभी दो साल आपको टाइम पास करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, जिस प्रकार की स्थिति निर्माण हो रही है, पता नहीं कभी भी कोई परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार के जो बिल में संशोधन लाए हो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): वसुन्धरा जी वाला डायलाग बोलो, न जाने कहां क्या दिख जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उसकी चिंता आप मत करो, आप तो सचिन पायलट को ढूंढ लो।

इसीलिए मैं जो आपसे आग्रह कर रहा था कि कम से कम ये जो असहाय और गरीब भिखारी हैं, उन पर इस तरह के गैरजमानती करके या तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

आप उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हो ताकि पुलिस उनसे पैसे खा ले या फिर आप इनको परेशान करना चाह रहे हो।

भिखारीमुक्त पर्यटन स्थल होने चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आप जयपुर को तो बना नहीं पाये और मैं समझता हूं कि अजमेर को भी यदि बनाने के लिए प्रयत्न करो तो मेरा आग्रह है कि अजमेर को भिखारीमुक्त बनायें और उसके लिए सबसे पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था है, उसके लिए कोई कानून लाओ। यानी पुनर्वास की कोई चिन्ता नहीं है, पुनर्वास की कोई सोच नहीं, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और केवल हम इसको भिखारीमुक्त बनायेंगे, यह तो केवल थोथी घोषणा होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं भी कोविड के कारण होता तो जो पर्यटन व्यवसाय वालों को नुकसान हुआ है, उसके भरण के लिए उस प्रकार की कोई योजना बनाते ताकि पर्यटक बढ़ते, कुछ उन पर पैसा खर्च करते, कुछ योजना बनाते लेकिन उसकी तुलना में केवल उन गरीब भिखारियों के पीछे पड़े हो कि इनको किस प्रकार से हम इनके प्रति कानून लागू करें और करना है तो जरा पर्यटन पुलिस की व्यवस्था करो न। पर्यटन में पुलिस है नहीं, अब ये व्यवस्थाएं कौन करेगा? वहां पर कौन इसको गैर जमानती या जमानती तय करेगा और गैर जमानती लाकर के कौन इनके ऊपर केस दर्ज करेगा? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

अत: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बिल में किसी प्रकार का कोई तंत नहीं है, इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। जब कोई स्थायी पर्यटन मंत्री आ जाए तब कोई सोच-समझ करके यदि आप कानून लायें, तब तक मैं समझता हूं कि शायद ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा कि साल भर तो हो गया, शायद अगले छह महीने में कोई नया मंत्री या मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, शायद आपके भाग्य का कोई छींका टूटे और आपको उससे मुक्ति मिले और आप अध्यक्ष और सब प्रकार के दायित्व निभाने में जो मजबूरी महसूस कर रहे हो उससे आपको निजात मिले। इसके लिए मैं समझता हूं कि इसको 6 महीने के लिए आगे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

बाकी मैं अजमेर की एक बात कहूंगा कि वहां अजयपाल का मंदिर है। अजयपाल एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, उसको भी आप विकास के लिए कहीं न कहीं जोड़ें क्योंकि आपके समय काल में हो जाएगा तो हो जाएगा बाकी तो कोई मंत्री शायद बनेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन आपके

(श्री वासुदेव देवनानी)

मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन यह पूरी सरकार ही नीचे आ जायेगी और गिर जायेगी, तब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसलिए आप पहले कर लें, ऐसा मेरा आग्रह है। इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (अनुपस्थित)। श्री सुमित गोदारा (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 लाया गया है। राजस्थान में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं है। गरीबों को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हमारी जैसी पुरानी आदत है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विपुल सम्भावना इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनको अभी पर्यटन के लिए खोला नहीं गया है या पर्यटन सर्किट से जोड़ा नहीं गया है। यह राजस्थान है और राजस्थान को महाराणा प्रताप से ही जानते हैं। महाराणा प्रताप के बिना राजस्थान का नाम अधूरा है और उनकी जन्मभूमि है कुम्भलगढ़। उनके किले की सीमाओं में बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जहां नमाज पढ़ी जाती है। बहुत सारे मकान बना लिए गये हैं। जहां अनैतिक कार्य हो रहे हैं। जहां पर चरस, स्मैक और

(श्री मदन दिलावर)

अश्लीलता परोसी जा रही है। पता नहीं क्यों इस सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है? छोटी-छोटी बातों पर जा रहा है लेकिन जहां महाराणा प्रताप की जन्मभूमि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र हो रहा है उस ओर इस सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे हमारी आन-बान और शान के जो प्रतीक रहे हैं महाराणा प्रताप, उनके बारे में इस सरकार का नहीं सोचना मैं कहता हूं कि निंदनीय भी है और आश्चर्यजनक भी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं उनको मुक्त करना चाहिए मांसाहार से, शराब से, चरस से, ब्राउन शुगर से, डोडापोस्त से, अनेक इस प्रकार के व्यसन हैं, उनसे मुक्त करने का विधेयक क्यों नहीं लाया गया? लाना चाहिए था। आपको सब पता है। पुष्कर में जो अभी घटना घटी। वहां के स्वीमिंग पूल में एक डीवाईएसपी और एक पुलिसकर्मी...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विषयवस्तु पर बात करें आप। माननीय सदस्य, विषयवस्तु पर बात करें। श्री अविनाश।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य। श्री अविनाश।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज। अंकित नहीं होगा। श्री अविनाश। मैं दूसरा नाम पुकारूं? आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है। प्लीज। काफी वरिष्ठ सदस्य हैं आप। विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। आसन पैरों पर, विराजिये। कुछ गम्भीरता सीख लीजिये। विषयवस्तु पर बोलने के लिए आपको समय दिया। आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। प्लीज अब सहयोग करें। विराजिये अब। मैं अलाउ नहीं करूंगा अब। श्री अविनाश।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री अविनाश, बोलें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। प्लीज सहयोग करें। विराजिये, माननीय सदस्य। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये। प्लीज विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है कुछ भी। सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं आप। वैसे भी आपको सब जानते हैं इस मामले में। प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आज जो संशोधन विधेयक राज्य सरकार द्वारा लाया गया है राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, मात्र इस विधेयक को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह विधेयक जिन संशोधनों के लिए लाया गया है, मेरा आप सभी से आग्रह है कि विषयवस्तु पर आप सीमित करें ताकि समय पर सदन की कार्यवाही भी पूरी हो। आपको पता है कि जो बात आपके पास में है नहीं, इधर-उधर घसीट करके केवल बोलने के लिए बोलना मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, विराजिये आप। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बिल के अन्दर अपराध के अन्दर बेलेबल से नोन बेलेबल आफेंस के रूप में इस बिल को लाया गया है। मूल अधिनियम की एक धारा में संशोधन करके इस राजस्थान विधान सभा में माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा यह पेश किया गया है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, पिछले तीन वर्षों में इस सरकार के बनने के बाद में राजस्थान प्रदेश ने पर्यटन में तो सफलता हासिल नहीं की लेकिन अपराध के अन्दर इस समय हिन्दुस्तान के अन्दर पहले नम्बर के पायदान पर अगर कोई प्रदेश है तो वह राजस्थान प्रदेश है और इस प्रकार के छोटे-मोटे संशोधन आप लाओगे, अपराध पहले से भी राजस्थान में ज्यादा है और आपके संशोधन लाने से राजस्थान में अपराध कम होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में लाया गया यह कानून, यह बिल निश्चित रूप से 6 महीने के लिए जनता को

(श्री अविनाश)

जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए और इसके बदले में मेरा सरकार से निवेदन रहेगा जैसे अभी माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने कहा कि राजस्थान की जीडीपी का एप्रोक्सीमेट वन फोर्थ जो हिस्सा है वह पर्यटन का है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी ने पर्यटन को बैकफुट पर लिया है और इस देश की और इस प्रदेश की इकोनोमी का सबसे बड़ा नुकसान इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हुआ है

अब जरूरत है राजस्थान सरकार को कि राजस्थान में पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दे सकें, पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ सकें ताकि राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मजबूत हो और इस मजबूती के कारण आम-अवाम गरीब जनता को लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

(17.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार से और केन्द्र की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। पिछले वर्ष में जिस प्रकार से राम मन्दिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और उस राम मन्दिर के निर्माण को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार ने सिर्फ एक मन्दिर ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की पुरातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केन्द्र, हमारी हिन्दुस्तान की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आस्था का केन्द्र स्थापित करने के लिए 130 करोड़ लोगों के प्रत्येक घर से सहयोग के रूप में लिया और आने वाले समय में जब पीढ़ियां याद करेंगी तो हर एक परिवार आराम से फख्र के साथ में यह कहेगा कि इस राम मन्दिर निर्माण में मेरा भी सहयोग रहा है। ऐसी की ऐसी नजीर इस राजस्थान की सरकार को भी पेश करनी चाहिए। सिर्फ अल्ला हू अकबर की आस्था में विश्वास नहीं करके जय श्री राम और हर -हर महादेव के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। एक तरफ जो तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस राजस्थान सरकार ने मस्जिदों को लगभग 100-100 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल के अन्दर राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए कितना पैसा दिया है, कम से कम ये तो बताए। मेरे जीतने के बाद में मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80 लाख रुपये का एक प्रपोजल राजस्थान सरकार को इस बात के लिए भेजा कि जो मगरमंडी माताजी का हजारों साल पुराना मंदिर है,

(श्री अविनाश)

इतिहास के पन्नों में जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, उसकी तीन किलोमीटर की रोड डामर की बना दी जाए, परन्तु तीन वर्षों के शासन में उस प्रपोजल को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया क्योंकि वह हिन्दू धर्म की आस्था का केन्द्र है और प्राचीन इतिहास में उस मन्दिर का नाम दर्ज है। उस मन्दिर की खासियत यह है कि प्रत्येक मूर्तियों को खण्डित किया गया जो आज भी बिखरी हुई पड़ी हैं लेकिन किसी भी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी।

इसके अलावा राजस्थान सरकार ने इस बजट में और अपनी सरकार के गठन के बाद में प्रदेश को भिखारीमुक्त बनाने का सपना देखा था, इस प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का सपना देखा था, उसमें आज अगर हम लोग ईमानदारी से देखें तो क्या राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है? क्या हम लोग इस प्रदेश को भिखारियों से मुक्त करवा पाए हैं?

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। प्लीज, विराजें आप।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में खतम करूंगा, माननीय सभापति महोदय। इसलिए, मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार की थोथी घोषणाएं करके, छोटे-छोटे बिल लाकर इस विधान सभा का जो समय खराब किया जा रहा है, इससे बढ़िया यह होता कि राजस्थान के जो प्रमुख आस्था के केन्द्र हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जोड़ने के लिए अगर आप कोई ऐसी कारगर नीति लेकर आते तो इस प्रदेश की जनता को भी फायदा होता और पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा होता।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बिराटिया, जो बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा स्थान है, जहां लाखों-करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और मिनी रुणीचा के नाम से जैतारण के बिराटिया में मंदिर है, वहां पर्यटन के नाम पर तीन सालों में एक रुपया खर्च नहीं किया। उसके अलावा कृष्ण की भक्त मीरा बाई का कुड़की के अन्दर बहुत बड़ा मन्दिर है, आस्था का केन्द्र है, उसके ऊपर भी आपने तीन सालों में एक रुपया तक खर्च नहीं किया।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट। रायपुर डैम में जहां झील बनी हुई है, जहां 24 घंटे पानी रहता है, उसमें अगर बोटिंग के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने का काम आप लोग करते तो आपको पर्यटन के रूप में रेवेन्यू भी आता और राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता।

(श्री अविनाश)

इसके साथ में नागौर में बूटाटी धाम है जहां हजारों-लाखों लोग जाते हैं, जिनको लकवा की शिकायत होती है, अगर वहां आप सुविधा कर दें तो इस प्रकार से पर्यटन भी बढ़ता और राजस्थान प्रदेश की जनता को भी फायदा मिलता।

श्री सभापति: समाप्त करिये। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। प्लीज, विराजिये। अंकित नहीं होगा। कोई विषय वस्तु है नहीं और आप इधर-उधर की बोल रहे हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, पर्यटन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण भी है और व्यवसाय देने वाला भी है। मैं सोचता हूं कि यह जो हम पहले 2010 में कानून लाये थे, वह कानून इतना कमजोर लाये थे, इसलिए कानून बनाने वालों को थोड़ा-सा इसके बारे में आत्मचिन्तन करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी भूल भी कर सकते हैं। इसमें उद्देश्यों और कारणों में जो कारण दिया है, वह कारण यह दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18 जनवरी, 2017 को एकल पीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 2246/2016 में अपने निर्णय में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया, अमान्य कर दिया कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 में आपने सज़ा और सब तो लिख रखा है पर यह काग्निजेबल है या नोन काग्निजेबल है, यह नहीं लिखा। इसके बारे में पुलिस कार्यवाही कर सकती है या कोर्ट कार्यवाही करेगी, इसका कोई आपने प्रावधान नहीं डाला। केवल और केवल कानून का तो लिख दिया कि यह होगा तो इसमें यह सज़ा होगा, यह होगा तो यह होगी पर यह काग्निजेबल है या नहीं है या नोन काग्निजेबल है या नहीं है, यह जमानती है या नहीं है या यह गैर जमानती है, यह नहीं है, तो कानून का जो परपज था वह कोर्ट ने इस आधार पर बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि आपके कानून में यह प्रावधान नहीं होने के कारण से यह जो कानून आपने बनाया है, यह किसी भी प्रकार से चलने लायक नहीं है। इसलिए प्रार्थी को इसके आधार पर एक तरह से रिलीफ मिल गई। मैं सोचता हूं कि इस कानून के माध्यम से अपन जो मोटे दो संशोधन कर रहे हैं, उसमें एक यह है कि एक तो हम इसको संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती और नोन जमानती, इस प्रोविजन में इन सारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सेक्शन को कवर कर रहे हैं जिसके कारण से इन पर जो कार्यवाही होना है, वह इस तरह से होगी।

अब इसमें जो 27 ए है, उसमें उन्होंने केवल यह किया है कि 27 और 28 के बीच में एक 27 (क) को जोड़ा है और उसमें उन्होंने थोड़ा सज़ा के बारे में बात लिखी है, तो मैं सोचता हूं कानून बनाने वाले इतने विद्वान लोग हैं और वे इस प्रकार की चूक करते हैं कि कानून की पालना कौन करे, पुलिस करे तो कैसे करे और कोर्ट करे तो कैसे करे, इसमें प्रोविजन नहीं होने के कारण से यह कानून निष्प्रभावी जैसा ही रहा और इस कारण से यह लाये हैं। अब इसमें जो 27ए जोड़ रहे हैं 27 और 28 के बीच में, वह यह है कि "Offences to be cognizable - All the offences punishable under this Act shall be cognizable and bailable:" यह प्रोविजन अब सारे ही एक्ट पर लागू होगा, यह है 27(क)। इसमें एक और जोड़ा है "Provided that the offences punishable under sub-section (3) and sub-section (4) of section 13 of this Act shall be cognizable and non-cognizable." इसको इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब यह किसके तहत पुलिस कार्यवाही करेगी तो क्या करेगी और पुलिस नहीं करेगी तो न्यायालय करेगा तो क्या करेगा। इसको इन्होंने स्पष्ट किया, जिसके कारण से यह सारा कानून अब एक प्रक्रिया के तहत आ गया। यह जो एक चूक हुई थी, वह उसके कारण से हुआ है।

अब इसमें जो आपका 13 है, मैं सोचता हूं कि इस पर्यटन व्यवसाय को प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार से आये हुए पर्यटक को ठगा जाता है या जिस प्रकार के कुछ ऐसे बदमाश लोग रहते हैं जो टाउट की तरह से उनका उपयोग करके उनके साथ एक तरह से बदसलूकी भी करते हैं और उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यह जो धारा 13 है इसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में इन्होंने थोड़ा-सा और स्पष्ट किया है। 13 धारा क्या है कि पर्यटन स्थल पर टाउटिंग करने वाले व्यक्ति, जो आपने पहले कानून बनाया था, उसमें था कि कारावास अधिकतम 3 माह अथवा जुर्माना 3 हजार रुपया अथवा दोनों, यह तो लिखा हुआ था लेकिन इसकी कार्यवाही पुलिस करेगी या कोर्ट करेगी, यह इसमें स्पष्ट नहीं होने के कारण से यह संशोधन लाना पडा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब 13(2) में जो आपने किया है कि पर्यटन स्थल पर टाउटिंग करने वाले व्यक्ति, जिसको उप धारा (2) के तहत एक बार दोषी माना जा चुका है, जिसको एक बार इसके बारे में दोषी माना है कि उसने टाउटिंग की, उसमें यह कमियां कीं, उसको इन्होंने, प्रोविजन कर रखा है, कारावास अधिकतम तीन वर्ष अथवा जुर्माना 30 हजार रुपये तक। यह तो कर रखा है लेकिन इसके जोड़ने से अब यह स्पष्ट हो गया। अब ये जो धारा 13 है यह नोन काग्निजेबल हो गई, अजमानती हो गई और इसके बारे में जो कुछ भी होगा वह न्यायालय फैसला करेगा, पुलिस अपने स्तर पर इस केस को नहीं निपटा सकती। इसलिए इन दो धाराओं को जोड़ा है।

यह जो धारा 13 की उप धारा (4) है इसमें भी इन्होंने यही किया। पर्यटन स्थल पर टाउटिंग करने वाले व्यक्ति जिसको उप धारा (2) व उप धारा 3 के तहत पूर्व में दोषी माना गया है, जिस व्यक्ति को दोषी मान लिया है उसको आपने प्रोविजन तो कर रखा था कि कारावास अधिकतम सात वर्ष अथवा जुर्माना एक लाख रुपया। प्रोविजन था लेकिन अब यह एक तरह से अजमानती हो गया और यह न्यायालय के द्वारा ही व्यक्ति को रिलीफ मिल सकता है, पुलिस उसमें रिलीफ देना चाहे तो नहीं दे। पहले सारे कानून में यह नहीं था कि पुलिस कौनसा काम करेगी, कोर्ट कौनसा काम करेगी। इसके कारण से उच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा उसको बिल्कुल बेकार मान लिया। उसको ठीक करने के लिए सरकार इसमें लेकर आयी है। मैं समझता हूं कि सरकार की भावना खराब नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और चिंतन करना चाहिए कि अभी भी हमारे कानून में इतनी कमजोरियां हैं, जिसके कारण से जो पर्यटक आता है और जिस मंशा से आता है, उसको ठीक प्रकार से संरक्षण भी मिले और उसको सहयोग भी मिले। उसके साथ कोई बदसलूकी करने वाला या उसको ठगने वाला या उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा मिले। यद्यपि इसमें प्रोविजन है लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार को इसके बारे में फिर विचार करना चाहिए। इस कानून को और विस्तृत बनाकर हम पर्यटन व्यवसाय को ऊंचाई देने के लिए कानून में इतनी सख्ती करें, जिससे आने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो कि राजस्थान में अगर हम पर्यटक बनकर जाएंगे तो हमारी पूर्ण हिफाजत होगी, हमारे हकों की रक्षा होगी, हमको न्याय मिलेगा और हमारे साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। इसलिए मेरा सरकार से फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निवेदन है कि आप इसे जिस मंशा से लाये हैं, क्योंकि आपका कानून ही बेकार हो गया, क्योंकि उसमें यह पता ही नहीं था कि इसमें पुलिस को कार्यवाही करनी थी, इसलिए आप लाये, कोई बात नहीं। मेरी आपको राय है कि इसको और बैठकर, अगर सम्भव हो सकता है कि इस पर एक्सपर्ट को बैठाकर पूरे कानून को इतना परफेक्टली बनायें ताकि राजस्थान का जो पर्यटन का व्यवसाय है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर सदन में चर्चा हो रही है। जैसा कि अभी सीपीए की बैठक में भी यह चर्चा आयी थी कि विधायिका कानून बनाती है, कानून पास हम करते हैं, लेकिन कानून ड्राफ्ट कौन करते हैं? अफसर लोग करते हैं। अफसर लोग जब कानून ड्राफ्ट करते हैं तो कितनी संजीदगी से करते हैं, कितनी गहराई तक जाकर करते हैं, या गहराई तक जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसका स्पष्ट और पृथक उदाहरण हमारे सामने आज का यह बिल है, जिसके लिए आपको संशोधन लाना पड़ा। यह बहुत छोटी-सी बात थी। कानून बनाते समय, बिल ड्राफ्ट करते समय यह चीज जोड़ दी जानी चाहिए, अभी अलग से संशोधन बिल लाकर सदन के तीन-चार घंटे खराब करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उस समय अधिकारियों ने ठीक से देखा होता और ठीक से उसको ड्राफ्ट किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती।

आपके पास ऐसे अनेक कानून हैं, जो घास काटने की स्टाइल में बना दिये जाते हैं और ड्राफ्ट कर दिये जाते हैं और बाद में संशोधन किये जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कानून पास हुआ और दूसरे ही सत्र में उसमें संशोधन लाना पड़ा है। इस बात पर अधिकारियों को गम्भीर होने की आवश्यकता है कि कानून बनाते समय उस पर समग्रता से विचार किया जाए, दूरगामी परिणामों तक उसका विचार कर लिया जाए, उसके बाद कानून लाया जाए तो अच्छा रहेगा।

आज के संशोधन में जो मुख्य लक्ष्य है वह भिक्षावृत्ति को समाप्त करने पर है। विदेशी पर्यटक आता है और उसके सामने अपने देश का नागरिक हाथ फैलाकर खड़ा होता है कि एक रुपया दे दो, पांच रुपये दे दो। इससे देश

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की इज्जत खराब होती है, इसलिए भिक्षावृत्ति समाप्त होनी चाहिए। किसी शायर ने शेर कहा है - 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की'। भिक्षावृत्ति समाप्त करने का काम आज से नहीं हो रहा है, नेहरू जी के जमाने से प्रयास चल रहा है कि भिक्षावृत्ति समाप्त होनी चाहिए लेकिन हमने जितना समाप्त करने की कोशिश की है, उतना ही वह बढ़ती गयी है। आदमी भिक्षा क्यों मांगता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं है, गरीब है। 1971 से हम 'गरीबी हटाओ' का नारा लगा रहे हैं, 50 साल हो गये हैं लेकिन हम गरीबी नहीं हटा पाये। गरीबी नहीं हटी, इसलिए भिक्षावृत्ति नहीं हट रही है। यह भिक्षावृत्ति हटना तो दूर, बढ़ते-बढ़ते यहां तक हो गयी है कि भिक्षा मांगना एक संगठित व्यवसाय हो गया है। जैसे अभी बालोतरा से, पचपदरा से आने वाले माननीय विधायक कचरे का आंकड़ा बता रहे थे कि कितने हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, वैसे ही यह भिक्षावृत्ति भी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। आपके जयपुर में भी संगठित गिरोह हैं। उनका एक सरगना होता है, उसके अंडर में सौ-एक भिखारी होते हैं। आज आप उस नाके पर रहेंगे, जैसे कि गृह मंत्रालय ड्यूटी लगाता है, ट्रैफिक वाले ड्यूटी लगाते हैं कि उस नाके पर वह पुलिस वाला रहेगा, उस नाके पर वह पुलिस वाला रहेगा, वैसे ही इस चौराहे पर यह भिखारी रहेगा, उस चौराहे पर वह भिखारी रहेगा, इस वेश में रहेगा, इस तरह से मांगेगा, वह सारा संगठित रूप में हो रहा है। बच्चों को अगवा करके भिखारी बनाया जा रहा है। पर्यटकों की दृष्टि से आपने सोचा, वहां तक ठीक है, पर समग्र रूप में इस विषय पर भी सोचना चाहिए। कैसे उसका उन्मूलन हो, फिर आप एक बिल ले लायेंगे भिक्षावृत्ति उन्मूलन का और फिर उसको पास करवा लेंगे। इससे यह समाप्त नहीं होगी। इसकी जड़ तक जाना होगा। उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सोचनी होगी। सारी दृष्टि से, समग्र दृष्टि से सरकार सोचे और फिर इस भिक्षावृत्ति को वास्तव में मूल से समाप्त करने का प्रयास करें। उसके लिए कानून बनाना हो तो कानून बनाएं, नियम बनाना हो तो नियम बनाएं। कोई अभियान लेना हो तो अभियान लें। आपको जो भी करना उचित लगे, करिये, पर इस दाग को राजस्थान के माथे से धोया जाए। इस दिशा में प्रयास जरूर किया जाना चाहिए।

रही बात पर्यटन की, तो पर्यटन के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जालौर पर्यटन के लिए बहुत पोटेंशियल है। जालौर के किले पर सड़क बनाने की बात वर्षों से हो रही है। पर्यावरण क्लियरेंस के लिए मामला गया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हुआ है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जालौर भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और सरकार से कहता हूं कि इस बिल पर पुनर्विचार करे एवं इसको वापस लाए, यही निवेदन है।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को लाया गया है। यह बिल 2010 में भी बना और इसमें 27(का) की धारा जोड़ने में मेरा यह कहना है कि वाकई में आज हम जयपुर क्षेत्र में जहां पर भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं और हम भी आते हैं, हर चौराहे पर भिक्षावृत्ति से परेशान भी हैं। इससे जयपुर सिटी को मुक्त करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी। इस बिल को सशक्त व मजबूत बनाने के लिए हमें पुन: संशोधन करना पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है कि पूर्व पर्यटन मंत्री जी थे, उस समय भी मैंने निवेदन किया था। इसका बजट जीरो है। उचित बजट नहीं देने की वजह से मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। यह भी सत्य है। इसमें बहुत बड़ा प्रावधान किया जाए। हमारा जो एरिया है, जिसको दुनिया गा रही है। हमारे यहां महाराणा प्रताप की जन्म भूमि कुम्भलगढ़ है, दिवेर है और गोगुन्दा जिसमें राजतिलक हुआ था। उदयपुर में प्रताप गौरव केन्द्र है। आप कभी पधारें, आपने देखा नहीं होगा वहां जाकर। तीसरी राजधानी क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र चावण्ड में है। वहां रेखांकित करके, टूरिज्म की दृष्टि से सर्किट बनाने का मैंने पूर्व में निवेदन किया था। जहां पर अंतिम सांस ली थी और वहां पर समाधि स्थल है।

महाराणा प्रताप का स्टेच्यू है, महाराणा पूंजा की है, उसको जोड़ने की बात है। हमने कहा था कि हाड़ा रानी की भूमि भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, जिसने सिर काटा था, उसको भी हमने टूरिज्म के नक्शे में लेने की बात की थी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आपने भी सुनी होगी, हमने भी देखा है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ही है जयसमंद झील, जिसको नाव चलाकर बढ़ावा देने के लिए मैंने निवेदन किया था। केसरिया जी, बेणेश्वर है। हिन्दुस्तान जिंक है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से जो बिल लाये हैं, 2010 के बाद 2021 में सख्त कानून बनाने की जरूरत है और इस बिल को छह महीने के लिए परिचालित किया जाए, यही कहना है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित)। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021, इसमें संशोधन धारा 27क का जो जोड़ने का कार्य अब कर रहे हैं, इसमें पर्यटन पर राजस्थान में बजट तय करके यदि हम इसको करें, हर जिले में पर्यटन स्थल हैं, देवस्थल हैं और ऐसी-ऐसी पुरानी इमारतें हैं, अपना इतिहास है, उसको अगर पर्यटन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए तो राजस्थान में विकास भी होगा, व्यवसाय भी होगा और बाहर से पर्यटक भी आएंगे। जैसे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैनोरमा के माध्यम से राजस्थान में हर तीर्थ स्थल को सड़क से लगाकर, रामदेवरा से लगाकर, सूरजमल जी से लगाकर, जहां भी है उसको जोड़ने का कार्य किया था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बाड़मेर भी पर्यटन के हिसाब से बहुत, किराडू मंदिर से लगाकर नाकोड़ा जैन मंदिर, आसोतरा धाम, रणछोड़राय खेड़ मंदिर और सिवाना में पंचतीर्थ के नाम से आपने देखा होगा कि राजस्थान की अरावली श्रृंखला की आबू पर्वत के बाद में हल्देश्वर महादेव का ऊपर 9 किलोमीटर स्थान, कोटेश्वर महादेव, शुक्लेश्वर महादेव, हिंगलाज माता का मंदिर, भीमगौडा, दमताला पीर का भी स्थान है। वहां राजस्थान में सबसे पुराना गढ़ जो वीर नारायण परमार द्वारा निर्मित, मारवाड़ की राजा की साख बढ़ाने वाला राव कल्ला, वीरवर दुर्गादास जी, ये भी स्थल वहां हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि पौने तीन साल में एक भी देवस्थान के लिए एक किलोमीटर रोड आपने नहीं दी। 2013 से 2018 में भी मैं था।

श्री सभापति: संबंधित पर बोलिए। माननीय सदस्य, जो भी संशोधन आपने दिये, उस पर चर्चा कीजिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): उस पर भी कह रहा हूं कि ये करें।

श्री सभापति: इस पर तो आप मंत्रीजी से अलग से मिलकर बात कर सकते हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मंत्रीजी को ही निवेदन कर रहा हूं कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे, संशोधन तो कर ही रहे हैं, परन्तु इसके साथ में ये बढ़ावा देकर पर्यटन को आगे बढ़ावें। इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं संशोधन की बात कहने से पहले 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने पहले भी कह दिया है कि मैं नाथी का बाड़ा सदन को नहीं बनने दूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। विषय वस्तु पर बोलेंगे आप। कोई नाथी का बाड़ा अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। अभी एक बिल और बाकी है। सीधे-सीधे विषय वस्तु पर आएं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, सरकार आज जो सदन में संशोधन लाई है, यह जरूरी भी था। हमारा जो पर्यटक बाहर से आता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी नहीं हो, परन्तु मात्र इसके करने से आपकी सारी परेशानी दूर नहीं होगी। आपको वह सारे बिंदु जिससे पर्यटक को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जिससे वह ठगा जाता है, उन सबकी जानकारी प्राप्त करके, उनको भी कानून के दायरे में लाकर एक ऐसी अच्छी व्यवस्था वहां देनी पड़ेगी जिससे राजस्थान आने पर पर्यटक किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गलत संदेश लेकर राजस्थान के बारे में नहीं जाए।

अब यहां होता क्या है? मात्र यह नहीं है कि भिक्षावृत्ति की वजह से वह परेशान हो रहा है। बाहर कोई दुकानदार होता है, वह उससे किसी वस्तु का दाम लेता है तो वह सामान्य दाम से कहीं ज्यादा लेता है। अगर कोई टैक्सी वाला है, गाड़ी वाला है तो पर्यटक से किराया वह मनमाने तरीके से लेता है। ऐसे सारे बिंदु जिससे पर्यटकों को ठगा जाता है, परेशान किया जाता है, माननीय मंत्री महोदय, उन सारे बिंदुओं को भी इस संशोधन में जोड़कर अगर आप ये बिल लाएंगे तो शायद यह एक बेहतर बिल होगा। इसलिए मेरा सदन

(श्री ज्ञानचंद पारख)

से आग्रह रहेगा कि ये बिल आज नहीं इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए आप परिचालित कीजिए और पर्यटकों को जो-जो समस्याएं आती हैं, तकलीफ आती हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए क्या-क्या आपको और इस बिल में प्रावधान करने हैं, उनको जोड़कर लाएं तो अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब पान खा रहे हैं सदन में। इस तरह से आप सदन में पान नहीं खा सकते।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आज राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया है। इसमें मेरे से पूर्व माननीय 20 सदस्यों ने इस संशोधन को लेकर बात की। वास्तव में मैंने जब ये संशोधन पढ़ा तो इसमें जो संशोधन आया है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। जैसा कि आज गुलाम नबी आजाद जी ने और नितिन गडकरी जी ने विधायक और इनके कार्य, क्या होना चाहिए, वह लेकर चर्चा की थी। मुझे लगा कि ये जो बिल आया है, इसमें न तो हमारी भूमिका है, भूमिका सिर्फ हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट में किसी सदस्य ने रिट लगाई और रिट में संशोधन करने के लिए कि हमें बेलेबल और नोन-बेलेबल सुविधा देनी चाहिए, इसलिए एक्ट को जोड़ा जाए। बाकी हम लोगों ने इस एक्ट में कुछ नहीं किया। होना यह चाहिए था, हां हाई कोर्ट का फैसला मानकर इसमें संशोधन करना चाहिए था, हमें इस बिल में नयी धारा जोड़ देनी चाहिए थी। इस बिल में और क्या कमियां थीं, उसके बारे में कुछ भी, सिर्फ एक लाइन के लिए, एक बेलेबल आर्फेस के लिए हम लोग ये एक्ट लाए हैं। अब वापस कल चार दिन बाद में कोई एक और पार्टी कोर्ट में जाएगी, उसमें नया बताएंगे कि ये करना चाहिए था, फिर हमें नया बिल लाना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस बिल में जो कमियां हैं, वह पूरी एक साथ में निकालकर यहां पर बिल लाया जाए, जिससे आने वाले समय में हमें बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े और पूरा का पूरा, मैं तो ये भी कहूंगा जितनी भी इसमें धाराएं बनती हैं, उसकी भी मोक ट्रायल कर दी जाए। मोक ट्रायल करने से हमें यह भी जानकारी हो

(श्री छगनसिंह)

जाएगी कि वास्तव में इसमें क्या-क्या कमियां हैं। मैं इस बिल को 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए पुन: निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 जो सरकार लायी है, इस बिल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान विशाल प्रदेश है और प्रदेश में अथाह सांस्कृतिक धरोहर है। राजस्थान में खनन के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा उद्योग है, वह है पर्यटन। इस पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। यदि सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगी तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगी।

वर्तमान में कोरोना के कारण दो साल से पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गयी है। पर्यटन क्षेत्र में जितनी भी होटलें थी, वह बंद हो गयी हैं। होटलों में कार्यरत कर्मचारी एक तरह से बेरोजगार हो गये हैं। यदि सरकार इस बिल में उन होटल मालिकों के लिए और बेरोजगार हुए कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए कोई बिल लाती तो निश्चित रूप से उनको कोई फायदा होता। राजस्थान में 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो गाइड के रूप में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या अन्य क्षेत्र में वह काम कर रहे हैं लेकिन वह डेढ़-दो साल से घर में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, बिलकुल बेरोजगार हो गये हैं। सरकार इस बिल के साथ उनको पुन: स्थापित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए भी बिल लाती तो निश्चित रूप से उनको भी फायदा होता।

राज्य में टाप फोर्स बनी हुई है जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए है इनको मजबूत करने की भी आवश्यकता है। सरकार टाप फोर्स को मजबूत करने के लिए, उनको ज्यादा अधिकार देने के लिए बिल लाती तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी उसका फायदा होता।

वर्ष 2021-22 में सरकार ने 500 करोड़ रुपये पर्यटन क्षेत्र में देने की घोषणा की थी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, वहां जवाई बांध बना हुआ है जो बहुत विशाल पर्यटन स्थल है। उसके पास ही लेपर्ड कंजर्वेशन

(श्री जोराराम कुमावत)

एरिया है। लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया में लेपर्ड देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए मैंने पिछले सत्र में भी मांग उठाई थी। मेरी मांग पर मुख्य मंत्री जी ने जवाई बांध को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद आज तक, उस क्षेत्र में एक रुपया नहीं लगा है। मेरी सरकार से मांग है कि जवाई बांध को पर्यटन स्थल तो घोषित कर दिया लेकिन वहां विकास के नाम पर, उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी बजट लगाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा।

मेरी विधान सभा में और भी कई पर्यटन स्थल है, निंबेश्वर महादेव है, गोरी भाकरी आशापुरी माताजी है, खागंडी चारभुजा माताजी का मंदिर है, सिंदरु शीतला माता जी का मंदिर है, सुमेरपुर में नीलकंठ पहाड़ी है, महावीर धाम है, इन सभी पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार यह बिल लाई है, इस बिल से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इसे छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मांग करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) पर बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, फेसिलिटेशन शब्द का अनुवाद सुकरकरण, पहले तो यह सुकरकरण ही हमारे पल्ले नहीं पड़ता तो राजस्थान की आम जनता के क्या पल्ले पड़ेगा। अगर अंग्रेजी के दिमाग से सोचकर ही बिल बनाते हैं और हिन्दी में अनुवाद बाद में अंग्रेज़ी से करते हैं तो हमारे जैसे हिन्दी के विद्यार्थियों से ही पूछ लिया होता तो उसका सही अर्थ बता देते।

माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा होता कि जो नागरिक अपने नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ हाई कोर्ट गये, उसी पर्सपैक्टिव में, उसी रैस्पैक्ट में, सरकार उस मुक़दमे को लेती और उसके अनुरूप निर्णय करती। ये कोई भिखारी नहीं थे, जो राजस्थान हाई कोर्ट में गये। मोहम्मद अलीफ कुरैशी और कैलाश सैनी, दोनों के वहां अपने मकान हैं, रहते हैं, व्यापार करते हैं। उन्होंने अपमानित महसूस किया, वह अपमान की पीड़ा थी जिसके कारण वह हाई कोर्ट तक गये। आप अंदाजा लगाइये हाई कोर्ट के वकील की कितनी फीस होती है। मुंसिफ कोर्ट में चालान हुआ, वहां वकील

(श्री संयम लोढ़ा)

करने की फीस कितनी होती है। वह सब फेस करने के बाद वे पीड़ित लोग हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट ने उस नागरिक की बात को सही माना। होना तो यह चाहिए था कि सरकार एसएचओ कप्तान सिंह के खिलाफ कार्यवाही करती, कि आपकी जितनी कानून में लिमिट थी, उसके आगे जाकर आपने दो व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट के अन्दर चालान पेश किया, जिसके लिए आप अधिकृत नहीं थे पर ऐसा नहीं हुआ, सभापति महोदय। उसी थानेदारी की मनोवृति से आगे चलते हुए सरकार अब यह बिल लेकर आई है। मुझे बहुत खेद है। बहुत कंट्राडिक्टरी है यह अमेंडमेंट। एक तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत इस सदन में अनाउंसमेंट करते हैं कि हम भिखारियों के कौशल का विकास करेंगे, उनसे भिक्षावृत्ति छुड़वाएंगे। बाकायदा वह उसकी ट्रेनिंग करते हैं। सभापति महोदय, हम लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण कोई आदमी भीख मांगने पर विवश होता है। यह कोई साधु संतों का या सतयुग का जमाना तो है नहीं कि साधु संत घर-घर घूम रहे थे भिक्षाम् देहि, या महात्मा बुद्ध घूम रहे थे भिक्षाम् देहि, या रावण गए थे सीता के दरवाजे पर भिक्षाम् देहि। अब भिक्षाम् देहि के प्रति वह सम्मान का भाव समाज में नहीं है, लोग तुच्छ नजर से देखते हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, उन भिखरियों को जिंदगी भर के लिए अपराधी बना दें, उनको गैर जमानती अपराध के अन्दर जेलों में ठूंस दें?

यहां सदन में पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया कि भिक्षावृत्ति एक संगठित व्यापार बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है। इसका मतलब यह कि हम पुलिस को एक और मौका दे रहे हैं। आप कभी हुजूर गरीब नवाज अजमेर शरीफ के आस्ताने में गए हो, तो कितने मीटर पहले किसी की भी गाड़ी रोक दी जाती है। जब आप वहां पैदल जाते हैं, रास्ते में पुलिस मौजूद होती है, कितने भिखारी आपके लपकते हैं। क्या कभी पुलिस अपनी कोई भूमिका निभाती है? कभी किसी को रोकती है? कभी नहीं रोकेगी। उन्हीं भिखारियों से उनको मंथली पैसा मिल रहा है। आप उन पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी सिखाने की बजाय, उन भिखारियों को जेलों में ठूंस देंगे, सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा होगा, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नवाचार

(श्री संयम लोढ़ा)

किए हैं, इस कठिन समय में उन्होंने बहुत काम किया है। मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं कि वह हमारी भावना को समझेंगे। आप जो यह अमेंडमेंट लाए हो धारा 13 के समस्त अपराध संज्ञेय जमानती तो हैं ही, कॉग्निजेबल तो हैं ही, लेकिन 3 और 4 के गैरजमानती हैं। माननीय सभापति महोदय, जो लिखा है, कोई छोटा-मोटा आर्टिकल वहां बेचेगा, वह आदमी भी जेल में ठूंस दिया जाएगा। हम उसको धंधा तो प्रोवाइड करा नहीं सकते, हम उसके बैठने की जगह प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो क्या वह भूखा मरेगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहता हूं, आपके पास भिखारियों की क्या जानकारी है,शहर में कितने भिखारी हैं, आपके पास कोई रिकार्ड है? किसी भी शहर में कितने भिखारी हैं, आपके पास कोई जानकारी है?

माननीय सभापति महोदय, बिना किसी तरह की मेहनत के, सिर्फ हाई कोर्ट ने आपकी एक्टिविटी को गलत ठहरा दिया तो अपने आपको और हेकड़ी दिखाने के लिए, मैं यह शब्द उपयोग करूंगा कि यह सरकार का हेकड़ी दिखाना है। नागरिकों के प्रति आपका सद्व्यवहार नहीं है। नागरिक अधिकारों के प्रति आप कोई आदर नहीं दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो यह बताएं कि एसएचओ कप्तान सिंह के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, जिसने दो नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से परेशान किया, मुंसिफ कोर्ट में घसीटा, हाई कोर्ट में घसीटा? जब तक हम अपने लोगों की, मुलाज़िमों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक नागरिकों को सुशासन नहीं मिल सकता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की भिखारियों के प्रति जैसी सद्भावना है, उनकी क्षमता को, जिस रूप में बाहर निकालकर, उनको इंसान बनाने की भावना रखते हैं, जज्बात रखते हैं, उस भावना के अनुरूप सोच रखते हुए मेहरबानी करके इस अमेंडमेंट को आप वापस लेवें। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सदस्यों को, माननीय नेता, प्रतिपक्ष को कि उन्होंने अपनी-अपनी बात इस बिल के सम्बन्ध में, अमेंडमेंट के सम्बन्ध में रखी। उसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सबने एक स्वर में यह बात कही कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सम्भावनाएं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हैं, रोजगार है और पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस बात से हम सब सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। इसी उद्देश्य को लेकर के कि पर्यटन का व्यवसाय विकास की गति पकड़े, पर्यटक परेशान नहीं हों, हमारे राजस्थान की आन-बान-शान की अच्छी अनुभूति विदेशी पर्यटक या जो आते हैं, वे ले करके जाएं। अगर उनके साथ में किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में कोई टोर्चिंग होती है तो उसको हम रोकें, जिससे वे बिलकुल निष्फिक्र हो करके हमारे प्रदेश में आयें और अपने पर्यटन का आनन्द भी लें। पर्यटक आयेगा तो निश्चित रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह जो बिल लाया गया था 2010 में, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010, यह इसी उद्देश्य से सरकार लेकर आई थी लेकिन आज इस अमेंडमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी? वह आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इसके अन्दर जो सज़ा का प्रावधान था, यह संज्ञेय अपराध है या नहीं है, यह बात इसमें अंकित नहीं की गई। बेलेबल है या नोन-बेलेबल है, यह भी अंकित नहीं किया गया तो जब इसके तहत पर्यटन में जो लोग परेशान करते हैं, जो लोग आने वाले पर्यटकों को ठगने का काम करते हैं, जिनको परेशान करते हैं, एक तरह से 'लपका' हमारी भाषा में कहा जा सकता है, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा जयपुर, उदयपुर, वहां 2003 में थाने खोले गये, फिर अक्टूबर, 2020 में जयपुर में भी थाने खोले गये। 2016, एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई। जब रिपोर्ट दर्ज हुई यहां, एफ.आई.आर. संख्या जयपुर थाने में 8/2016 और जब चालान प्रस्तुत किया गया तो जो मामला बना, उसमें जब आरोप उसके ऊपर निर्धारित किये गये तो लोग हाई-कोर्ट में गये, जिनके खिलाफ, जो अक्यूज्ड थे और जब हाई कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने 18.01.2017 को यह अपराधिक याचिका 2242/2016 को क्वेश कर दिया और यह कहा कि इसमें यह बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि ये संज्ञेय अपराध हैं तो यह जो अमेंडमेंट यह 27(ए) जोड़ा गया है, वह इसी बात का जोड़ा गया है कि इसमें जो होने वाले अपराध हैं, वे संज्ञेय अपराध हैं और जमानती हैं लेकिन धारा 13(3), जिसमें पुनरावृत्ति है अपराध की, उसमें और जो पुनरावृत्ति के बाद में बार-बार उसको दोहराया जाता है, वह धारा 13(4) में है, उन दोनों को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना गया है। यह इतनी-सी बात है। इससे ज्यादा कोई बात इसमें थी नहीं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार का उद्‌बोधन यहां दिया, निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा मिली और मुझे भी सीखने का मौका मिला कि व्यक्ति के सही बात कहने से उसका कद बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। उन्होंने वास्तव में यह कहा कि कानूनी पेच था, इसको लाना चाहिए था, यह लाया गया। इसलिये जितने भी माननीय सदस्य, चाहे राठौड़ साहब हों, चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हों, चाहे हमारे संयम लोढ़ाजी हों, नेता, प्रतिपक्ष की बात से शायद इत्तेफाक रखते हैं और रखना भी चाहिए।

यह भिखारियों के लिए या भिखारियों को परेशान करने का कानून न तो पहले था, और न आज जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें इस तरीके की कोई बात है। मैं समझता हूं कि यह टैक्निकली दिक्क्त थी, लीगली प्राब्लम थी कि सीआर.पी.सी. के अन्दर 3 माह की सज़ा है, वह अपराध असंज्ञेय की श्रेणी में आता है, तो जब एक्ट में यह बात नहीं लिखी गई तो जब किसी एक्ट में स्पेशल प्रोविजन नहीं हो तो फिर सीआर.पी.सी. के कानून उसमें लागू होते हैं। होते हैं तो फिर इसमें दिक्कत होती है कि 3 महीने की सज़ा थी तो 3 महीने की सज़ा संज्ञेय है नहीं सीआर.पी.सी. से, इस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है नहीं। जब है नहीं तो इसमें दिक्कत आ गई। दिक्कत आ गई तो यह 2017 में जब फैसला हुआ, तब आपकी सरकार थी। मैं समझता हूं कि उसी वक्त संज्ञान में लेना चाहिए था, इसको तत्काल ठीक करना चाहिए था लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समय लगता है किसी भी चीज में। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यह जो प्रकरण थे, पहले ये 54 के लगभग प्रकरण दर्ज हो गये थे। लेकिन उसके बाद में, जब यह हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो न तो पुलिस उस बात को आगे एफ.आई.आर. लॉज कर सकती थी और न ही फिर कोर्ट उसमें, अगर कोई ले जाते तो...। लेकिन फिर भी हमने उन लपकों को रोकने के लिये, जो टोर्चर करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ हमारी पुलिस ने, हमारे डिपार्टमेंट के थानों ने कार्यवाही जारी रखी। राठौड़ साहब कह रहे थे कि कितने के खिलाफ किया गया? 2018 में 204 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 2019 में 462 के खिलाफ की गई। 2020 में कोविड आ गया था लेकिन 194 के खिलाफ, 2021 में भी हमने 102 लोगों के खिलाफ की। लेकिन कोर्ट में केवल इस्तगासा पेश कर सकते थे और जब इस्तगासा पेश करते थे तो 200-500

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रुपये लेकर छोड़ा जाता था। चूंकि वह एफ.आई.आर., जब तक संज्ञेय अपराध नहीं होगा, तब तक हम एफ.आई.आर. लॉज नहीं कर सकते और एफ.आई.आर. लॉज नहीं हुई तो उसका रिकार्ड संधारित नहीं होगा। यदि रिकॉर्ड संधारित नहीं होगा तो जो अपराधी है, जिसका मूल निवास जिस थाने के अन्तर्गत है, वहां पर वह रिकार्ड नहीं जायेगा। जब वहां पर वह रिकार्ड नहीं जायेगा तो आप मान कर चलिये कि धारा 13(3) और 13(4), जब तक हम उसकी पुनरावृत्ति प्रमाणित नहीं कर देते हैं, तब तक धारा 13(3) नहीं लगेगी। बार-बार करने का जब तक हमारे पास प्रमाण होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें संज्ञेय अपराध नहीं होने की वजह से उसमें एफ.आई.आर. लॉज ही नहीं हुई, उसका रिकार्ड ही संधारित नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से यह जो दिक्कत आ रही थी, इसी दिक्कत के कारण से हम सबको यह करना पड़ा। यह एक छोटी सी बात है।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पर्यटन से, खुद राठौड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इतने लोगों को रोजगार मिलता है, इतनी होटलें हैं, सब बातें ठीक हैं। इन लोगों के रोजगार को ठीक करने के लिए, इनको अच्छा रोजगार मिले, पर्यटक विदेश से भी आयें, हमारे यहां से भी आयें, हमारी साख अच्छी रहे, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं रहे, इसी के लिए कानून लाये जाते हैं और अगर उस कानून में कोई कमी-खामी रहती है तो उस कानून की कमी-खामी को हम लोग ठीक करते हैं। कानून की उस कमी-खामी को ही अभी ठीक किया जा रहा है। आगे भविष्य में भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको ठीक करने के लिए और भी कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक सुरक्षित यहां पर रह सकें, काम कर सकें, पर्यटन के क्षेत्र में अपना विचरण कर सकें, काम-धंधा कर सकें, उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार वह भी संशोधन लायेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सुझाव अगर इसके सम्बन्ध में कोई होंगे तो उन सुझावों को भी हम लोग लेंगे और फिर आगे कार्यवाही करेंगे।

इस क्षेत्र में जब बात बिल के ऊपर आती है, अमेंडमेंट तो छोटा-सा था, लेकिन बात भी चली कि, साहब, पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं हुए, यह होना चाहिए, इसको अच्छा होना चाहिए। काफी सुझाव भी आये, अच्छे सुझाव

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी आये। मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम सब दल चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमारे यहां देश-विदेश के पर्यटक आयें, हमें रोजगार मिलेगा। हमारे जो किले, झील, बावड़ियां, मंदिर, बाग़-बगीचे, हमारी जितनी भी छतरियां, जितनी भी पुरातात्विक महत्व की जो चीजें हैं, निश्चित रूप से उनको, जब पर्यटक आयेगा, विदेश के लोग आयेंगे और देखेंगे और अच्छा लगेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे प्रदेश का मान-सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा।

आपको पता होगा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री बनते ही, इस बात का आदेश जारी किया कि अगर किसी भी व्यक्ति की थाने में भी सुनवाई नहीं होती है, विदेशी पर्यटक आ गया, किसी भी वजह से उसकी थाने में सुनवाई नहीं हुई तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने यह कहा कि अगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हर एस.पी. आफिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके पीछे पंजीकरण संख्या बढ़ी होगी और बढ़ेगी भी निश्चित रूप से, लेकिन मंशा बड़ी साफ और स्पष्ट थी कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग एस.पी. आफिस में भी रिपोर्ट दर्ज करें, जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही दर्ज हो सके।

पर्यटन के बारे में काफी बातें की गईं कि साहब, इसमें बजट नहीं मिलता है, यह नहीं मिलता है। अबकी बार का बजट आप सबने देखा होगा, सुना था, आप स्वयं ने तारीफ भी की है, जो लोग सत्य को स्वीकार करते हैं वह तारीफ करते भी हैं और करनी भी चाहिए और हमें भी इससे यह सीख मिलती है कि अगर अच्छी बात, सही बात को अगर कोई विपक्ष भी कहता है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि यह 500 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, विज्ञापन यह जरूरी है। पहली बार राजस्थान में 500 करोड़ रुपये का बजट पर्यटन के लिए अलग से रखना और वह भी लोन लेकर, लोन चुक जाएगा लेकिन पर्यटन स्थल विकसित होने चाहिए, पर्यटक हमारे यहां पर आने चाहिए और वह आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा।

राजस्थान में 2015 में पर्यटन नीति बनी थी, अपनी जगह पर वह भी ठीक थी लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की घोषणा की थी। श्री बाबूलालजी माननीय सदस्य ने यह कहा था और मैंने और स्पीकर साहब ने भी उस वक्त यह कहा था कि उन इलाकों में जहां पर वन क्षेत्र है, वहां पर पर्यटन के बहुत अच्छे हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनकी बहुत मान्यता है, वहां पर कैसे काम हो, तो हमारी राजस्थान की पर्यटन नीति, 2020 है, उसमें उस बात को हमने लिया है जिससे उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके और यह जो 500 करोड़ रुपये हैं, मैं यह समझता हूं कि इसकी स्वीकृतियां होनी चालू हो गयी हैं। यह नहीं है कि अभी लोन नहीं लिया। फिर भी सरकार ने एक भी स्वीकृति नहीं रोकी और आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा और आप कहें तो मैं अभी पढ़कर बता दूं, लेकिन यह इतना-सा संशोधन है। ज्यादा समय लगेगा तो एक भी पर्यटन स्थल के बारे में या धार्मिक स्थल के बारे में जो भी बजट की घोषणा की गई है उन पर सब पर कार्यवाही चालू हो गयी है, आप इसके लिए निश्चिंत हो सकते हैं।

जो गाइड हैं, उन गाइडों में से भी जो गाइडिंग का काम तो करते हैं लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, पंजीकरण नहीं हैं तो उनमें से भी काफी लोग लपकागीरी करते हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए और उनको उनकी जो क्वालिफिकेशन की, जो योग्यताएं हैं उसमें थोड़ी-बहुत कमी करके कैसे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग पंजीकरण करें, जिससे उनको लपकागीरी से मुक्ति मिले और वह भी अपना जीवनयापन कर सकें। निश्चित रूप से उस दिशा में भी हमने काम किया है, नियम बनाये हैं, प्रशिक्षण करेंगे। राज्य स्तर के ऊपर एक हजार, वहां पर पांच हजार पर्यटकों को यह करने की बात करेंगे।

मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि अबकी बार हमें पर्यटन के क्षेत्र में जितने भी हमारे यह सर्किट भेजे हुए थे केन्द्र सरकार में, आठ या नौ थे, पर्यटन मंत्रीजी से हमने भी आग्रह किया, अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग के सदस्य भी आये थे, उनसे भी हमने यह आग्रह किया, उसमें, राठौड़ साहब, एक फूटी कौड़ी भी हमको अबकी बार नहीं मिली, तो मैं यह आशा करता हूं कि आपका बहुत अच्छा प्रभाव है, नेता, प्रतिपक्षजी से भी आग्रह करता हूं और अभी माननीय सदस्य बोले हैं, उनसे भी यह आग्रह करता हूं कि इसमें आप सहयोग कीजिए। जो आठ-नौ प्रोजेक्ट हमारे पर्यटन के क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए है और उसमें एक तो आपका शेखावाटी सर्किट ही है। अगर आप नहीं करवा पाओगे शेखावाटी चूरू को, नवलगढ़, झुन्झुनूं, चूरू तो मैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह समझता हूं कि फिर लोग यह बात करेंगे कि राठौड़ साहब की कथनी और करनी में फर्क है और मैं यह नहीं चाहता कि आपकी कथनी और करनी में फर्क के लिए चर्चाएं चले शेखावाटी में क्योंकि आप शेखावाटी से आते हैं तो निश्चित रूप से वह भी अगर हमको मिलेगा तो हम और इसको ठीक करने का काम करेंगे।

बाकी आप, जो पेइंग गेस्ट वाली स्कीम है, और है, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि घर के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पर से अतिक्रमण कब हटाओगे?

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उस पर कब्जा हो गया है। महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इतने साल बाद में 25 साल का बैकलाग पूरा करके आये हो, थोड़ा-सा चुप रह जाओ, फिर 25 साल लगेंगे, तब तक हम और आप रहेंगे कि नहीं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: यह वाद-विवाद का विषय नहीं है, प्लीज आप विराजिये। विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। प्लीज, सहयोग करें, माननीय सदस्य, विराजिये आप। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): कटारिया साहब सुन रहे हैं, कहीं आपके दिक्कत नहीं आ जाए, आप थोड़ा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय, कृपया, आप इधर देखें। क्यों इन्वाइट कर रहे हो आप उनको? विराजिये। आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। पास कराऊं? बोल चुके आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, मैं तो बोल भी लूंगा। मैं लास्ट में समाप्त कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आप तो अपनी इस बात पर आइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको सम्बोधित नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यहां पर डिस्पेंसरी भी है अपनी विधान सभा में, मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने तो बोल दिया। अब इसको पास करवा दो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, माननीय सभापति महोदय। जो कानून में अमेंडमेंट लाये वह आवश्यक था, हाई कोर्ट के निर्देश से था, उसी के तहत आप लाये लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कानून बनाने वाले जो लोग हैं, यह हमारी तौहीन नहीं है कि 2010 में जो कानून हमने फ्रेम किया और हमने इस हाउस से यह पास किया, उसके बारे में अगर हाई कोर्ट इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हम सब जो जन-प्रतिनिधि यहां पर कानून बनाने का काम करते हैं उनके ऊपर एक दाग नहीं है? तो जिस व्यक्ति ने भी इसको फ्रेम किया, वह इसके लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं है? केवल हम कानून बनाकर जनता को क्या समझाना चाहते हैं? इस संस्था का सबसे बड़ा उपयोग कानून बनाना है इसीलिए यह बार-बार कहते हैं कि कम से कम कानून बनाते समय थोड़े ठंडे दिमाग से, शांति से हर विषय को सुनकर अगर उसमें कहीं कमी रह गई तो ठीक कर लेने में क्या हर्ज है? अब 2010 में आपकी सरकार थी, उस समय यह कानून बना। इतना बड़ा इसमें यह लैप्स रह गया कि यह कोग्निजेबल है कि नहीं है, यह संज्ञेय है या नहीं है, यह कोई प्रोविजन इस पर लागू ही नहीं हुआ, यह एक्ट सारा का सारा बेकार चला गया। इसको वापस ठीक करने के लिए हम अमेंडमेंट लेकर आये। यह तो हमारी मजबूरी थी, हमको लाना ही पड़ेगा इस एक्ट को सही ढंग से लागू करने के लिए लेकिन आखिर उसके लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी कोई जिम्मेदार है या नहीं है? इस संस्था का इतना बड़ा अपमान होता है, उस अपमान के लिए किसी को तो दु:ख महसूस होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): बात सही कह रहे हैं सर, कि इस कानून में यह कमी थी लेकिन यह बात भी सही है कि जब 2016 में इस बात का संज्ञान आ गया तो तत्कालीन सरकार को भी इसके अन्दर पहल करके कोर्ट में जाने के बजाय उसी टाइम अगर इसको संशोधित कर देते तो आज सात-आठ साल का गैप नहीं होता तो निश्चित रूप से यह बात ठीक है कि उसमें यह बात होनी चाहिए थी, बात क्लियर होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी जो 2016 से लेकर देरी हुई, आज देर आये दुरुस्त आये, अब आये तो अब आये, अब अपन इसको ठीक कर लेते हैं। और भी मैं तो स्वागत करता हूं आपकी बात का कि अगर इस एक्ट में, इस पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को सुविधा देने के लिए, सुरक्षित वातावरण देने के लिए मैं अधिकारियों को यह निर्देश देता हूं कि अगर इसमें और भी किसी बात की कोई बात है तो आप देख लें। अगर दुबारा कोई अमेंडमेंट लाना पड़े तो हमको जल्दी दोबारा लाना चाहिए। हम सब एक गाड़ी के अन्दर बैठे हैं कि राजस्थान में कैसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएं, जिससे यहां राजस्थान की जो महान विरासत है, जो भी हमारा परम्परागत संरक्षण है, वह भी लोगबाग देखकर जाएं और लोगों को रोजगार भी मिल सके।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

विधेयक का पारण

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, इस संशोधन के माध्यम से सरकार पांच पूर्व प्रचारित विधियों के अन्दर व्यापक संशोधन लेकर आ रही है। मंत्री महोदय, अगर मैं लब्बोलुआब में बात कहूं तो आप बुनियाद रख रहे हैं राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार का खजाना भरने के लिये पांच हजार करोड़ के राजस्व के लक्ष्य के साथ, आप राजस्थान की जमीन को लुटाने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आये हैं, माननीय सभापति महोदय, हम रहेंगे या न रहेंगे, पर इस लुटते राजस्थान का साक्षी यह सदन बने, मैं समझता हूं, मैं अपनी बात को कहूंगा तो निश्चित तौर पर आप उस पर विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो पांच संशोधन हैं मूल रूप से, पहला संशोधन है राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 43 में 43(1), 43(2), 43(3) और इसी अधिनियम की एक धारा 60 में 60 सी(1), 60 सी (2), 60 सी(3) और 60 सी(4) के माध्यम से एक संशोधन और इसी प्रकार का एक संशोधन जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 में नई धारा 54(इ) के खण्ड (1), (2), (3) और (4) में लेकर आये हैं मंत्रीजी, क्योंकि जयपुर को बेचना है। इसी प्रकार का एक संशोधन जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009 की धारा 5 बी के खण्ड (1), (2), (3) और (4) में लाये हैं। इसी प्रकार का एक संशोधन नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 ए के खण्ड (1), (2), (3) और (4) में लाये हैं और इसी नगरपालिका अधिनियम की धारा 1969 ए के खण्ड (1), (2), (3) और (4) और धारा 194 के उपखण्ड 7 डी में लेकर आये हैं और इसी प्रकार का संशोधन अजमेर विकास प्राधिकरण में एक नई धारा 5 बी के (1), (2), (3) और (4) के माध्यम से लाये हैं।

माननीय मंत्रीजी, नगर सुधार न्यास अधिनियम, जिसको यू.आई.टी. एक्ट भी कहते हैं, 1959 के इस एक्ट में, धारा 43 में आप संशोधन लेकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, धारा 43 वह है, जो नगरीय क्षेत्र के अन्दर नजूल सम्पत्ति है, नजूल भूमि है, उसको परिभाषित भी करती है और उसका उपभोग किस प्रकार से किया जाए, उसका उपबंध भी करती है। 43(ए) के अन्दर जो संशोधन लेकर आये हैं उसमें, माननीय सभापति महोदय, लैण्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रेवेन्यू एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 103 (ए) के अन्दर वर्णित भूमि और इसी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के 102 (ए) में वर्णित नजूल भूमि को छोड़कर बाकी सारी भूमियां इस यू.आई.टी. एक्ट के माध्यम से यू.आई.टी. में निहित हो जाए, उसका संशोधन मंत्रीजी लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं, वह भूमि कौनसी है? वह जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के मूल एक्ट के 103 में इन दो को छोड़कर है, वह है सार्वजनिक प्रयोजना के लिये अधिकृत भूमि। यानी कोई भी भूमि, जो पूर्व में अधिकृत हो गयी किसी भी पब्लिक परपज के लिये, वह भूमि, रोड की भूमि, पगडंडी की भूमि, आबादी के भीतर की गोचर की भूमि, श्मशान की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, आबादी क्षेत्र के विकास की भूमि, वह भूमि जो निर्माण प्रयोजन के लिये काम में ली जानी थी, चाहे भवन बना है, नहीं बना है, खाली पड़ी हो, यह समस्त भूमियां, आप संशोधन लेकर आये हैं 43(1) के माध्यम से, इन सारी जमीनों का लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में 103 में वर्णित किया गया है। यानी अब रास्ते हों, गोचर हो, कब्रिस्तान हो, यह सारी जमीन आप यू आई टी में निहित करने के लिये प्रस्ताव लेकर आये हैं। आप आगे क्या प्रस्ताव लेकर आये हैं, इसी यू.आई.टी एक्ट के 43(1) के अंदर एक प्रोविजो जोड़ा है परन्तुक, परन्तुक ए, मंत्रीजी आप प्रस्ताव लेकर आये हैं कि यू.आई.टी. की किसी भूमि को बिना सुधार के, विद्आउट डवलपमेंट या सुधार करके निस्तारण करने का अधिकार, यानी यू.आई.टी. क्षेत्र में जितनी भूमि होगी, डवलप भूमि होगी या अन-डवलप्ड, यू.आई.टी. आपके हाथ में, उसको बेचने का अधिकार आप ले रहे हो और इसी 43(ए) के परन्तुक के अन्दर आप किसी भी व्यक्ति को यू.आई.टी. की भूमि को विकसित करने के लिये, डवलप करने के लिये दे सकेंगे। यानी अन-डवलप्ड भूमि है, उस जमीन को आप डवलप करने का किसी व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं। 43(2) में जरूर आपने कहा है कि जो डवलपमेंट होगा, वह यू.आई.टी. के नियंत्रण में होगा और 43 (3) के अन्दर जो लेकर आये हैं कि अगर जमीन यू.आई.टी. में निहित हो गयी तो एक अधिसूचना निकालकर जब आपकी इच्छा होगी, तब उसको राज्य सरकार में निहित कर लेंगे, नगरपालिका में निहित कर लेंगे।

(18.07 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं समझता हूं यह जो संशोधन है इसके दूरगामी परिणाम होंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्योंकि इसमें आप यू.आई.टी. के अधिकरण में जो जमीनें ले रहे हो, वह कब्रिस्तान, गोचर, श्मशान, नदी-नाले, सब यानी, माननीय सभापति महोदय, अब एक नया दौर प्रारम्भ होगा राजस्थान के अन्दर, बहाना होगा कि हम 10 लाख लोगों को पट्टा देंगे, 5 हजार करोड़ की रेवेन्यू का अर्जन करेंगे, पर उपकृत किसको करेंगे? इसके पीछे चांदी कूटने का जो अभियान चलेगा, वह अनवरत चलेगा और इसी दौर के अन्दर नदी-नाले, कब्रिस्तान की जमीन का अलाटमेंट का काम आप चालू करेंगे।

मंत्री महोदय, एक और संशोधन, जो यू.आई.टी. एक्ट की धारा 60 में 60(बी) के बाद नई उप-धारा 60(सी) आप लगा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें 60(सी) में क्या संशोधन लेकर आ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अगर अपने में निहित भूमि के समय के अधिकार को न्यास को सौंप देंगे तो फ्री होल्ड पट्टा लेने का अधिकारी हो जाएगा। यानी माननीय सभापति महोदय, मैंने कब्जा कर रखा है, नदी की भूमि है, चरागाह की जमीन पर कब्जा है, जोहड़ और पायतन पर है, गुलाब कोठारी के फैसले के अंदर जिस मास्टर प्लान को छेड़छाड़ करने की मनाही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन के अंदर आदरणीय गुलाब जी कोठारी को, जिनके कारण से आज राजस्थान के अंदर योजनागत जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, मास्टर प्लान है, उससे छेड़छाड़ से बचें। अब इस एक्ट में मैंने कब्जा कर रखा है, मैं अपने अधिकार यू.आई.टी. को सौंप दूंगा और यू.आई.टी. मुझे उसका कब्जा दे देगी, फ्री होल्ड पट्टा दे देगी। मैं समझता हूं इससे बुरी बात आज तक मैंने नहीं देखी। मास्टर प्लान के अन्दर गुलाब कोठारी के फैसले में हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया है, आप उसको धता-बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, जोहड़-पायतन में अब्दुल रहमान का फैसला, इस सदन के अन्दर कौन विद्वान है, अब्दुल रहमान के फैसले में यह कहा था कि जोहड़-पायतन पर अगर अतिक्रमण किया गया है तो भी 1947 के उस मूल रूल को लेकर आओ, उसको भी आप करना चाहते हैं। फिर 60(सी)(1) के अन्दर मंत्री महोदय, आप एक संशोधन और लेकर आये हैं। कोई भी अकृषि प्रकृति की भूमि, जो यू.आई.टी. क्षेत्र में आ गयी है, जिस पर यू.आई.टी. ने लीज या लाइसेंस जारी नहीं किया है, ऐसी भूमि यू.आई.टी. को सौंपकर फ्री होल्ड पट्टा, मतलब इस राजस्थान में कृषि भूमि पर गृह निर्माण सोसायटी ने बिना इजाजत के कालोनी बसा दी। फैसिलिटी एरिया छोड़ा नहीं, 60X40 का एरिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छोड़ा नहीं, बिजली की व्यवस्था की नहीं, सड़क की व्यवस्था की नहीं और आप इस पट्टा बांटने की रेवड़ी में ऐसे लोगों के सामने रेड कारपेट बिछा रहे हो, मंत्री महोदय।

इसी प्रकार, आप एक और संशोधन लेकर आये हैं, 60 (सी) (1) में संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, एक आपका परिपत्र है, आपने परिपत्र में 17 जून, 1999 के बाद कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों को अवैध माना है। कैसा कंट्राडिक्शन है। आज आफिसर गैलेरी में बैठे हुए अधिकारियों से आप पूछिए, एक तरफ आपने 17 जून, 1999 के बाद की बसी हुई भूमियों को अवैध माना है और दूसरी तरफ आप 60 (सी) में चाहे कभी की बसी हुई हो, सबको पट्टे की रेवड़ी बांटना चाहते हो।

आप एक काम और कर रहे हैं, मंत्री महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं। यह 60 (सी) के क्लाज 2 में आप क्या संशोधन लेकर आये हो, पूर्व में जो भूमि दी गई है, उस लीज पीरियड की उसने एक मुश्त राशि जमा करा दी, अब अगर वह पूरी और लीज जमा करा दे तो फ्री होल्ड उसको भी पट्टा। एमआई रोड पर पेट्रोल पम्प है, 33 वर्ष की लीज पर है, उसने एकमुश्त लीज का पैसा जमा करा दिया, आज आप उसको मालिक बना रहे हो। राजस्थान में इस प्रकार की कितनी सम्पत्ति होंगी जो कहीं 25 वर्ष में, कहीं 33 वर्ष, कभी 40-50 वर्षों में अलग-अलग समय की लीज पीरियड पर है? आप उस लीज पीरियड पर उससे जो एक बार पैसा ले लिया, एक बार पैसा और लेकर आप फ्री होल्ड पट्टा दे रहे हो, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, यह डबल टैक्सेशन तो है ही, कानून के खिलाफ तो है ही, पर इसके पीछे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वह निशाना भी सामने आ जायेगा। मैं समझता हूं इस पर आपको विचार करना चाहिये।

आप इसका 64 (सी) (4) देखिए। मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं, फ्री होल्ड पट्टा तो दे रहे हैं पर वह सारी शर्तें जो भूमि पर पहले से अधिरोपित हैं, वह उस पर एज इट इज कर दीं। मतलब, आप मुझे फ्री होल्ड पट्टा भी दे रहे हैं परन्तु अगर मैंने वह जमीन मास्टर प्लान में जिस श्रेणी में है, उससे इतर है, मेरी जमीन जो मुझे फ्री होल्ड पट्टा दे दिया, गुलाब कोठारी के 22 जनवरी, 2017 के फैसले के विपरीत लैंड यूज करके मुझे फ्री होल्ड पट्टा दे दिया और मुझे नदी नाले में पट्टा दे दिया, इकोलोजिकल जोन में दे दिया, ग्रीन बैल्ट में दे दिया, मामला जिस दिन कोर्ट में जायेगा, क्योंकि आपने तो जान बचा ली, आपने तो कह दिया कि उस जमीन पर पहले जो अधिरोपित है, पहले जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चार्ज्ड है, पहले जो इस पर कंडीशन है वह एज इट इज रहेगी, तो फिर किसको बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब सिर्फ इस बात की जिद्द कि हमें तो लोगों में दिखाना है कि पांच हजार करोड़ रुपये चाहिये, सरकार का खजाना खाली है इसलिए दस लाख पट्टे बांटने हैं। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, एल.एल.बी. आपने किया होगा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं पुराने इतिहास पर नहीं जाऊंगा किस प्रकार एल.एल.बी. की परीक्षा कैसे कौन पास करता है, मैं उस पर कतई नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि आप किताब उठाकर पढ़ो तो सही। मतलब आप राजस्थान के लोगों को गुमराह कर किस चौराहे पर खड़ा करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहूंगा। आपकी यू.आई.टी. एक्ट 1955 की धारा 73 (बी) क्या कहती है? आप 73 (बी) पढ़ लें। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बचपन में आदत थी कि नहीं पढ़कर भी थोप कर पास होने की, कानून पास भी उसी तर्ज पर कर रहे हो। आपने कानून का अध्ययन किया होता तो शायद यह बात नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष, मैं निवेदन करूं कि 73 (बी) में साफ लिखा है, मास्टर प्लान में वर्णित भूमि जिस प्रकृति की है उससे इतर उसका उपयोग प्रतिबंधित है। यानी इकोलोजिकल जोन, ग्रीन बैल्ट, यह वही बात है जो गुलाब कोठारी के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने कही। 73 बी के रहते हुए, इसमें आपने संशोधन नहीं किया क्योंकि अधिकारियों ने आपको बताया नहीं। यू.आई.टी. एक्ट के 73 (बी) के रहते हुए आप 60 (सी) में संशोधन करके किस प्रकार पट्टा दे सकते हैं? आप किस प्रकार मंदिर माफी, जोहड़ पायतन, सुविधा क्षेत्र को नियमित पट्टों की रेवड़ी में बांट सकते हैं? गुलाब कोठारी का फैसला, अब्दुल रहमान का फैसला, आप नदी नालों में कैसे पट्टा दे सकते हैं? निश्चित तौर पर इस पर आपको विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं यूआई.टी. एक्ट 1959 के सेक्शन 8 को आप पढ़ो। किस उद्देश्य के साथ यह यू.आई.टी. का गठन किया गया था? सभापति महोदय, वह उद्देश्य यह था कि यू.आई.टी. का गठन जनहित में होगा। यू.आई.टी. क्षेत्र में जितनी भी सम्पत्ति, भूमियां होंगी, वह जनहित में ध्यान में रखते हुए आबादी क्षेत्र के विकास के लिए होंगी, और वहां की जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जायेगी। मतलब आप 43 में अन्डवलप्ड लैंड को किसी व्यक्ति को दे रहे हो। आप डवलप लैंड को किसी को कहकर उसका प्रावधान कर रहे हो। मूलभूत सुविधा के बिना ही आप पट्टा दे रहे हो। मैं समझता हूं अगर यूआई.टी. एक्ट को जिस किसी ने लिखा होगा, जिस किसी की भावना होगी, अगर उनकी आत्मा यह बात सुनेगी तो कराह उठेगी, यह आपको नहीं कहना चाहिये था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं समझता हूं अभी हालत क्या है, जब सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। अभी सदन विचार कर रहा है। सदन विचार कर रहा है यू.आई.टी. एक्ट के सेक्शन 60 के प्रावधानों के बारे में और कोटा में क्या कर डाला। समाचार पत्रों में, पत्रिका में और दूसरे अखबारों में बड़ी फोटो छपी है, महावीर नगर में पारिजात बरसाती नाला। पांच किलोमीटर लंबा नाला और आपने दो दीवारें बनाकर 120 प्लाट आबंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मैं समझता हूं कि नदी नालों का इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं, मंत्री महोदय, आप, हम रहें या नहीं रहें, कोटा में आपका पारिजात बरसाती नाला, जिसमें आप जमीन आबंटित नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो। आपने रातों-रात लिस्टें बना लीं, इसको देना है, इसको देना है, यह नहीं चलेगा। यह धरती का कानून है। मैं समझता हूं कि इसको करें।

मैं लम्बा समय नहीं लूंगा क्योंकि जिन प्रावधानों के बारे में मैंने चर्चा की है, यू.आई.टी. एक्ट में सेक्शन 43, सेक्शन 60 में जो संशोधन लेकर आई है, इसी प्रकार का नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 ए और 69 में लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार का आप एक संशोधन जयपुर विकास प्राधिकरण के सेक्शन 54 ई में 1, 2, 3, 4 लेकर आये। जोधपुर में भी 2009 में 50 बी में 1, 2, 3, 4 सेक्शन में लेकर आये हैं और अजमेर विकास प्राधिकरण के 2013 के अधिनियम 50 बी में आप 1, 2, 3, 4 में लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह बड़ी चिंता की बात है। इन सारी जगहों पर, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं एक और क्रांतिकारी संशोधन यह कर रहे हैं। मैं मेरी बात समाप्त करूं, मुख्य सचेतक महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के (7) के खण्ड D में जो संशोधन कर रहे हो, संशोधन क्या है, पहले 250 वर्ग मीटर से ज्यादा का मकान बनाने में, भवन निर्माण में संबंधित स्थानीय निकाय नगरपालिका, नगर परिषद् और जिस जगह भूमि है, उससे उनको इजाजत लेनी पड़ती थी, आप हटा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं आज अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में चले जाएं, अधिकारियों की शह पर बिना स्वीकृति के बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन गईं, आप एक फ्लड गेट खोल रहे हैं। आपको सिर्फ 194 (1) में बिल्डिंग बाईलाज में दस्तावेज दाखिल कर दो, कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं राजस्थान में कौनसे युग को आप प्रारम्भ कर रहे हो? निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में सोचना चाहिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंत में, मैं अपनी बात कहूं मंत्री महोदय, इस विधेयक के पृष्ठ 12 को खोलकर इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ें। आप क्या लिखते हैं, एक धीमी और बोझिल अनुमति और अनुमोदन प्रणाली, नगर में आवासों के विकास में बाधा बनती है। आपकी बोझिल और बोझिल में अनुमति और अनुमोदनार्थ, अनुमोदन तो आप ही करते हो, प्रणाली नगर आवासों के विकास में बाधा बनती है, इसलिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 की उप धारा (7) के खण्ड (घ) का उपबंध जो यह उपबंधित करता है 250 मीटर से अधिक भवन निर्माण की स्वीकृति, आपकी कार्य प्रणाली कैसी है, आपने उद्देश्यों एवं कारणों में लिख दिया और उसके कारण से आप इस प्रकार का लेकर आये हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यह मित्र और बना रहे हैं, नगर मित्र, 800 नगर मित्र। मतलब एक तरह से सरकार दलालों को लाइसेंस दे रही हैं। यह जो पट्टा अभियान चलाने की बात है 5 हजार करोड़ रुपये का, इसमें आपके और हमारे नहीं, यह 10 लाख, इसमें सारे टैक्स लगा-लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार है कि नगर मित्र के नाम पर आप 800 लोगों को जो आपके कैडर के लोग हैं, मैं राजनीतिक दल का आदमी हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, परन्तु, मंत्री महोदय, कौनसी संस्कृति पैदा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं?

मैं समझता हूं कि आपसे मुझे इस प्रकार की उम्मीद कतई नहीं थी। आज आपके प्रति मेरे मन में जो आदर की भावनाएं हैं यह चकनाचूर हो रही हैं और मैं बड़े बोझिल रूप से इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज जो राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है उस पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, यह राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए विधेयक, सदन में जो समस्त पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये हैं, जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 43, नयी

(श्री अशोक लाहोटी)

धारा 60-ग, इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा, 1982 में नई धारा 54-ड़, जे.डी.ए., 2009 की अधिनियम में धारा 50-ख, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की नयी धारा 68-क, पूर्व विद्यमान धारा 69-क, मैं मंत्री महोदय को एक बार निवेदन करूंगा कि इस धारा को जरूर याद रखें, पूर्व विद्यमान धारा 69-क, इसको प्रतिस्थापित किये जाने एवं धारा 194 में संशोधन, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिनियम, 2013 में नयी धारा 50-ख एवं धारा 89-क जोड़े जाने का प्रावधान किया।

सभापति महोदय, यह धाराएं तो बहुत हैं पर यदि मूल रूप से देखो तो इसमें दो ही संशोधन हैं। जैसे उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया कि पहला संशोधन है नजूल भूमि को छोड़कर नगरीय क्षेत्र की समस्त राजकीय भूमियां न्यास को निहित हुई समझी जाएगी और जो ऐसी भूमि का राज्य सरकार के लिए या उसके निमित्त ग्रहण करेगा, उसका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगा, न्यास उसका उपयोग कर सकेगा। दूसरा है कि कोई गैर कृषि भूमिधारक व्यक्ति न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में विहित रीति से अभ्यर्पण कर सकेगा। न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी कर सकेगा। यानी अभी जो उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि या तो यह पट्टों की रेवड़ियां बांटने का एक लम्बा-चौड़ा अभियान के माध्यम से बार-बार यह संशोधन है और या यह राजकोष भरने का एक उद्देश्य पूरा करने का अभियान है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा बास्बार, नगरीय विकास मंत्री जो विधि मंत्री भी हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी विभाग का एक्ट उसका मूल कानून होता है और उस मूल कानून में जब तक जनहित में संशोधन किया जाना बहुत अत्यावश्यक नहीं हो, तब तक मूल कानून को बार-बार नहीं छेड़ा जा सकता और मंत्री महोदय तो इस विभाग के एनसाइक्लोपीडिया हैं, तीन-तीन बार मंत्री रहे हैं, शायद देश में यह पहला उदाहरण होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि एक बार यह देखें कि इस विभाग में मूल एक्ट में आज तक कितनी बार संशोधन हो गया? शायद गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बन जाए कि यहां सुबह अलग

(श्री अशोक लाहोटी)

नया एक्ट बनाते हैं, दोपहर में अलग बनाते हैं, शाम को अलग बनाते हैं। कई बार तो बिना मंत्री महोदय के अनुमोदन के ही नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं।

एक बार मेरा प्रश्न भी लगाया हुआ है, तीन साल से आज तक जवाब नहीं आया कि इसमें आपने कितनी बार किस-किस धारा में क्या-क्या प्रावधान बदले हैं? मंत्री महोदय, यह गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड बन जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसको अधिकारियों से एक बार जरूर चैक करवाएं और हो सके तो आज जवाब भी दें।

सभापति महोदय, आज इतने परिवर्तन के बाद आम नागरिक को यह पता ही नहीं है कि किस धारा में क्या बदल गया और क्या जुड़ गया। हम जिनको पट्टा देने की बात कर रहे हैं, उनको भी यह नहीं पता कि मुझे किस धारा से पट्टा लेना है और किसमें क्या जुड़ गया। मैं यदि कहूं कि धारा 69-ए, आज से एक महीने पहले अलवर में बहुत न्यूज छपी और मंत्री महोदय के हवाले से छपी, तो इन्होंने वहां बड़ी घोषणा की कि धारा 69-ए जादुई धारा है, इससे लाखों पट्टे दिये जाएंगे, भले ही इसको भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया लेकिन हम इस धारा का स्वागत करते हैं। आज एक ही महीने में ऐसी क्या मजबूरी आ गयी कि आप उसी धारा में संशोधन ले आए? एक महीने पहले उस दिन तो यह धारा इतनी अच्छी थी और एक महीने में इस धारा का मूल स्वरूप ही बदल गया क्योंकि इन पट्टों में कहीं भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं चला जाए, इसलिए इसमें तोड़-मरोड़कर फिर इसमें कोई परिवर्तन कर दो।

सभापति महोदय, यह सदन है। धाराएं चाहे आप लायें या सरकार जिसकी बनती है वह लाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर सत्र में ही कोई न कोई बिल ले आएं। जिस बिल में केवल प्रतिदिन नयी घोषणा और नये नियम और हम कोई न कोई बिल हर सत्र में ही लेकर आ जाएं, हर दिन कोई नयी घोषणा कर दें।

सभापति महोदय, आपने कहा हम लाखों पट्टे देंगे, ठीक है। आपने यहां पर यह कहा कि इसमें नगरीय क्षेत्र की समस्त राजकीय भूमियां न्यास में निहित हो जाएंगी। इसमें आबंटन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इसमें परिवर्तन करेंगे। इसकी दरें अभी क्या हैं, पहले यह तो बताएं कि आप किन दरों से यह रेगुलराइज करेंगे? आज के दिन इसकी दरें 25

(श्री अशोक लाहोटी)

रुपये रेजिडेंशल है और 50 रुपये कामर्शियल है। मंत्री महोदय, आज जवाब भी दें कि क्या यही दरें रहेंगी या इन धाराओं में परिवर्तन के साथ दरें भी बदलेंगी? वह भी आज बताएं कि किन दरों से किस-किस नगर निकाय में, किस न्यास में, किस यू.आई.टी. में, किस नगरपालिका में, किस जे.डी.ए. में किन दरों से आबंटन किया जाएगा, वो दरें क्या तय कर दी गयी हैं? इन दरों के साथ-साथ आप यह भी बताएं कि इसके आबंटन की प्रक्रिया में समय कितना लगेगा, क्या वह तय कर दिया है? इसका भी खुलासा करें कि इनके नियम क्या होंगे? इसका भी खुलासा करें कि यह आपकी मनमानी पर ही होगा या कहीं इनके नीचे के अधिकारियों को भी आबंटन के कोई छोटे-मोटे अधिकार हैं?

सभापति महोदय, इसी प्रकार इसमें लिखा कि गैर कृषि भूमि धारक में स्वामित्व दस्तावेज की कट आफ डेट का निर्धारण इसमें नहीं है कि किस कट आफ डेट तक का स्वामित्व निर्धारण। यदि उसका कब्जा है या वह गैर कृषि भूमि पर यदि धारक है तो किस कट आफ डेट तक को आप ले रहे हैं, वह अभी तक इस एक्ट में नहीं है। उसमें भी आप किन-किन दरों पर करेंगे और इसमें आगे क्या किया जाएगा, इसमें भी नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें यह भूमि बिना स्वीकृति के मकान हैं, जो स्वीकृतियां आपने की हैं, सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसमें परिवर्तन का अधिकार चाहती है, मेरा यह निवेदन है कि आप इसमें किस प्रकार से यह करना चाहते हैं? यह तो एक बार तय करें क्योंकि इसके कोई कानून नहीं बनाये, कोई नियम नहीं बनाये। केवल और केवल राजस्थान उच्च न्यायालय में जो माननीय गुलाब कोठारी जी की रिट चल रही है, उसका एक मास्टर प्लान को तोड़-मरोड़कर किसी भी प्रकार से पट्टे जारी कर दिये जाएं, लाखों पट्टे दे दिये जाएं, तो मैं आज आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा, ठीक है, आप लाखों पट्टे देने की बात कर रहे हैं लेकिन आपने जब सरकार बनी तब घोषणा की थी कि हम ऑनलाइन स्वीकृति और ऑनलाइन पट्टे देंगे। आज एक बार आपको अधिकारी यह भी आंकड़े दें कि यह पट्टे केवल कैम्प लगाने के नाम पर, पिछले दो साल में इन्होंने कितने पट्टे जारी किये हैं? इन्होंने कितनी ऑनलाइन स्वीकृतियां दी हैं? आपने सारे प्रोसेस ऑनलाइन करने की घोषणा की है। नगरपालिकाओं में न बाबू है, न कर्मचारी है, न संविदाकर्मियों को अभी तक पूरा नियुक्त किया गया है, न वहां

(श्री अशोक लाहोटी)

कम्प्यूटर ठीक से चल रहे हैं, न वहां नेटवर्क है, ऑनलाइन इसका कैसे निस्तारण करेंगे? इन अधिकारियों ने कोई रोडमैप बनाया है क्या? मेरा आपसे निवेदन है कि यह केवल घोषणा मात्र की खाना पूर्ति नहीं रह जाए इसलिए आज ढाई साल में एक भी पट्टे पर कार्यवाही नहीं की गई, केवल कैम्प में पट्टे देंगे, कैम्प में संख्या बढ़ जाए, कैम्प के लाखों पट्टे हो जाएं इसलिए पूरा डिपार्टमेंट दो साल से ठप पड़ा है, न ही कोई ऑनलाइन स्वीकृति दी गयी।

शहरों की हालत जो है, एक इसमें आप जो नयी धारा जोड़ रहे हैं। वह धारा 194 में आपने कहा कि हम 250 मीटर से इसको सीधा 500 मीटर तक करेंगे, स्वीकृति आटोमैटिक होगी, स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री महोदय, आपके भी मुंह से कई बार निकला है कि जो सीज किये गये प्रकरण हैं, राज्य सरकार के स्तर पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। हजारों फाइलें पड़ी हैं, यहीं पर भी, यह जो फाइलें पड़ी हैं, आज भी इन फाइलों में निस्तारण नहीं हो रहा है। जयपुर शहर, पूरा राजस्थान जो है, वह शहर कच्ची बस्ती की तरह डवलप हो गये, कहीं पर कोई नियम, कानून-कायदे नहीं हैं। आप जांच करवा लें कि इन विभागों ने बिल्डिंग बाईलाज के नाम पर कितने नोटिस दिये हैं? एक-एक जगह पर कितनी तरह के रजिस्टर खोल रखे हैं? नोटिस देने वाला रजिस्टर अलग है, उसमें वापस जो कार्यवाही करनी है उसका रजिस्टर अलग है, आप चाहो तो अभी टीम भेज कर रजिस्टर जब्त करके मंगवा लें। जयपुर-जयपुर के ही मंगवा लें। कितने नोटिस दिये, उन पर कितनी कार्यवाही हुई है और कितने नोटिसों में अण्डर टेबल डील हुई है? यह आपने भी कई बार स्टेटमेंट दिये हैं कि अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए राज्य सरकार के स्तर पर सील खोली जाएगी, उन सीलों का क्या हुआ? कितने समय के लिए वह सील हुई, कब खुली? और जब सील हुई उस समय उसका मूल स्वरूप क्या था और सील करने के बाद में आज मूल स्वरूप क्या है? इसकी जांच करवा लें, इस धारा की पोल खुल जाएगी।

सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि अगर आवश्यक संशोधन है तो सरकार निश्चित रूप से लाए, सरकार का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के लिए जो धाराओं में परिवर्तन किया जा रहा है, उनमें कम से कम यह सदन उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। यह मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मैं यदि बात करूं तो आज भी 1500 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्ड के उप विभाजन के लिए, पुनर्गठन के लिए फाइल राज्य सरकार के स्तर पर आती है। लोग यहां जयपुर के चक्कर काटते रहते हैं। आज भी पुष्कर, जैसलमेर, माउंट आबू की स्वीकृतियां, 90 (ए) लगाने की अनुमति के लिए, होना तो बाद की बात है, करना बाद की बात है, अनुमति के लिए फाइल जयपुर आती है। लोग यहां राज्य सरकार के चक्कर काटते रहते हैं। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यह निश्चित रूप से बताएं अधिकारी दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं कि ढाई वर्ष में कितने पट्टे जारी किये हैं? ढाई साल चले गए सरकार के। कितनी ऑनलाइन स्वीकृतियां दी हैं, कितने उप विभाजन किये हैं? यह बताएं। कितनों को नोटिस दिया है? कितनों पर कार्यवाही की है? कितनी कार्यवाही इन्होंने सही की है और किसमें क्या हुआ है? उस नोटिस का आखिर हुआ क्या या वह नोटिस दबा दिये गये? खतम कर दिये गये?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इस कानून में यदि एक संशोधन होता कि पट्टे आप दे देते हो, 20-20 साल पहले नगर निगम, जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, इन्होंने पट्टे दिये। 20 साल में एक बार भी न वहां सड़क बनाई गई। सरकार चाहे हमारी रही या आपकी रही, लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। न वहां पर पीने का पानी है, न वहां पर सड़क है, न सीवरेज है। पृथ्वीराज नगर में जहां पर आपने इसी धारा में पूर्व में संशोधन करके पट्टे दिये, 1,400 करोड़ रुपये पृथ्वीराज नगर के लोगों ने जमा करा दिए। ढाई साल में ढाई कोस सड़क नहीं बनी। यदि बनी हो तो मंत्री जी बताएं, सांगानेर विधान सभा में आज तक।

पूरे जयपुर शहर में वही डामर हो रही है जो वसुन्धरा जी के समय रुडसिको का लोन लेकर आये थे। उसके बाद एक टेंडर इस सरकार में नहीं हुआ। वही लाइट लग रही है जिसका एमओयू वसुन्धरा जी की सरकार में हुआ था। उसके बाद एक लाइट सरकार ने आज तक नहीं खरीदी। केवल हम पट्टे देंगे, इस नाम पर ढाई साल से रेवड़ियां बांटना, सारा काम रोककर के बैठ जाना, पूरे सिस्टम को अधिकारियों ने ठप कर दिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके विधान सभा क्षेत्र में इन ढाई सालों में कितना काम हुआ है, आपको मैं लिस्ट बनाकर भेज दूंगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल दें, मंत्री महोदय। मैं भी यही

(श्री अशोक लाहोटी)

चाहता हूं। जो काम हुआ है वह 1,400 करोड़ रुपये जनता के सालों से जमा हैं, उसमें केवल 14 करोड़ का एक टेंडर अभी हुआ है। ढाई कोस रोड भी नहीं बनी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह तो मैं अभी बता दूंगा आपको कि आपने क्या किया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़कर के निवेदन कर रहा हूं कि आप इतने विद्वान मंत्री हैं। मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि आपकी सरकार के बजट से ढाई कोस सड़क भी नहीं बनी है। जो पृथ्वीराज नगर में बनी है, वह पृथ्वीराज नगर का 1,400 करोड़ रुपये का ब्याज आपकी सरकार ढाई सालों से खा रही है और आज तक टेंडर नहीं लगे हैं। सीवरेज के टेंडर नहीं लगे। 20-20 साल से कालोनियां अप्रूव्ड हो गईं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के साथ यह संशोधन रखें कि जिन कालोनियों का अप्रूवल हो गया है, उन लोगों का क्या दोष है? आज ढाई साल में सरकार न तो उन कालोनियों में सड़क बना रही है। जो पट्टे देने की बात आप कर रहे हो, सोसायटियों की 600 कालोनियां जयपुर शहर में बस गई। उनमें न पीने को पानी मिल रहा है, न लाइट मिल रही है, न सड़क मिल रही है। सुविधा क्षेत्र तो खतम हो गया है। पट्टों की रेवड़ियां बांटने के नाम पर खुलेआम अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मंत्री महोदय, मैं तो आपसे करबद्ध निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप एक चीज की जांच करा लें कि यहां जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, इन महानगरों में जो डीसी आपने लगाए हैं, मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता, 2-2 महीने आने के बाद 500-500 नोटिस जारी कर दिए। आप रजिस्टर मंगवा लो। 3-3 रजिस्टर एक-एक जोन में नोटिस के खुले हुए हैं। एक रजिस्टर से नया नोटिस जाता है, दूसरे से नया नोटिस जाता है, तीसरे से नया नोटिस जाता है। एक भी बिल्डिंग पर कार्यवाही नहीं हुई और 500 से ज्यादा नोटिस निकल गए। यह नोटिस के साथ डील नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? आप जैसे विद्वान मंत्री के रहते हुए यदि इस प्रकार का खुलेआम भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे यह अधिकारी करते हैं तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, अंत में मैं आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस चीज को गम्भीरता से लें। बिल आप संख्या बल के आधार पर, आज आवाज कम भी आ रही थी, तो भी बिल पास किये। आवाज कम भी है तो संख्या बल के आधार पर आप बिल पास करोगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे शहरों को कच्ची बस्ती में तबदील कर दिया जाए। इस पर गंभीरता से मनन करें। पुन: मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

आप चूंकि विधि मंत्री भी हैं इसलिए आपके डिपार्टमेंट के सारे बिलों को समाहित करके एक बड़ा बिल एक साथ लेकर आएं। इस प्रकार का बिल नहीं लाएं कि अभी आपको जैसे ट्रेड लाइसेंस में मार खानी पड़ी। मुख्य मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह उसी का पार्ट था। यही विभाग था। यही ट्रेड लाइसेंस थे। वह क्यों करना पड़ा? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे कि आप मास्टर प्लान के इतर जाकर के ट्रेड लाइसेंस दे ही नहीं सकते। जिस ग्रेटर नगर निगम से यह हुआ, उन्होंने मंत्री महोदय की जानकारी से भी यह छिपाया, अधिकारियों ने डीएलबी की जानकारी से भी छिपाया। उस ट्रेड लाइसेंस को देने का उनको अधिकार ही नहीं था तो उसका नोटिफिकेशन कैसे निकला? यह माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना थी इसलिए इसको रोकना पड़ा। ऐसा नहीं हो कि इन बिलों को भी उच्च न्यायालय इंटरफीयर करके बाद में रोक दे। यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि करीब 18 माननीय सदस्यों को इसके ऊपर बोलना है अलोंग विद लीडर आफ दी अपोजिशन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी स्पीच की डिलीवरी दें। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार इस बिल को संशोधन के लिए लाये हैं, इसके पीछे सरकार की भावना अच्छी नहीं है। पट्टे वास्तव में नगरपालिकाओं में हो, यू.आई.टीज. में ही देने चाहिए। पिछले 3 साल में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

सरकार कोई पट्टे दे नहीं पाई। मेरी चित्तौड़गढ़ नगरपालिका हो या यूआईटी हो, वहां ऐसे पट्टे दिए हैं, किले तक के पट्टे वहां दे दिए। संशोधन बिल लाने के पीछे सरकार और मंत्री महोदय की यह मंशा है कि फोरेस्ट में पट्टे दे दें, गोचर में पट्टे दे दें, मंदिरों की जमीनों में दे दें। यह दलालों के लिए बहुत बड़ा लाइसेंस बन जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पहले ही राजस्थान में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मेरे वहां यूआईटी में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। वहां एजेंट बैठे हैं। हमें तो यह डर है कि साल, डेढ़ साल सरकार और है, कि कहीं चित्तौड़ के किले का पट्टा देकर के, किला ही नहीं बिक जाए। इस तरह का हमें डर है। मंदिर माफी की जमीन वहां बिक रही है। वहां बहुत से मंदिरों की जमीनें पड़ी हैं वह बेशकीमती जमीनें हैं, उसमें उनको पट्टा देने की अनुमति मिलेगी। नदियों में जो जमीनें पड़ी हैं, नालों की जो जमीनें पड़ी हैं, उनमें पट्टे दे देंगे। इससे आने वाले दिनों में जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, चित्तौड़ पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा शहर है, वह कच्ची बस्ती में तबदील हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विनती है कि यह जो बिल लाये हैं, इस बिल के बारे में चर्चा जरूर करें, सोचें जरूर, क्योंकि इसका नुकसान पूरे राजस्थान को होगा, चित्तौड़गढ़ को होगा। मेरे वहां यूआईटी और नगरपालिकाओं में जो वाजिब पट्टे हैं, वह दें लेकिन गोचर में नहीं दें, श्मशान घाट में नहीं दें, कब्रिस्तान में नहीं दें, फोरेस्ट की जमीन में नहीं दें, किलों पर नहीं दें। ऐसी जगहों पर पट्टे देने से शहर की काफी व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी क्योंकि वर्षों पुराने जो प्लान बने हुए हैं, उनकी स्थिति खराब होगी। मंत्री महोदय और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस बिल को लाने से पहले सोचा जरूर होगा, चर्चा जरूर की होगी, लेकिन गम्भीरता से चर्चा नहीं की। सरकार द्वारा बिल लाकर केवल पैसे की आमदनी करने से ज्यादा आप उस शहर का ध्यान रखें। उस शहर का ध्यान नहीं रखते हुए जिस प्रकार से पट्टे देने की आप बात कर रहे हैं उससे काफी नुकसान होगा।

(18.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

जैसे कोटा की एक बात तीन-चार दिन पहले अख़बार में थी। कोटा में

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

नाले के ऊपर प्लाट यूआईटी ने काट दिए, विद्यानगर नाले के अन्दर पार्क बना दिया तो पार्कों में इस तरह की काफी दिक्कतें आने वाले दिनों में रहेंगी। पार्कों में पट्टे कट जाएंगे, श्मशान घाट में पट्टे कट जाएंगे, कब्रिस्तान में कट जाएंगे, फोरेस्ट की बेशकीमती जगहें हैं उन पर पट्टे कट जाएंगे। सरकार की आमदनी भी हो, पट्टे भी दें लेकिन वाजिब जगह पर दें। पिछले तीन साल में इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, इससे भ्रष्टाचारियों और दलालों को एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा और आथेंटिक लाइसेंस मिल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बिल को एक बार छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए आप परिचालित करें और इस बिल को पास नहीं करें और पट्टे जो देने हैं वह वाजिब पट्टे दें। जिनको जरूरत है, उनको जरूर दें और इस तरह के कब्रिस्तान के और अन्य धार्मिक जगहों को देखते हुए इस प्रकार के पट्टे न दें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। म्यूनिसिपल एक्ट में 69-ए जोड़ा गया 2014 में, गैर आबादी भूमि पर पट्टे दिए जाएं। माननीय मंत्रीजी ने भी महीने भर पहले कहा कि बहुत अच्छा सैक्शन जोड़ा गया है। अब उसमें चेंज करने जा रहे हैं और यह यूआईटी, जेडीए, जोडा, सब में लागू करने जा रहे हैं। 250 मीटर तक के नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं। उसको भी हटा दिया, एज नोटिफाइड एज गवर्नमेंट, कोई सीमा तय हो जाती, 250 से 500 का करते लेकिन अनिश्चितता की स्थिति बनाकर छोड़ दी।

डीएलबी की स्थिति, स्थानीय निकाय, यूआईटी की स्थिति, भ्रष्टाचार में बड़े लोग भी ट्रैप हो रहे हैं, ऐसी स्थितियां राजस्थान में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। सारे पावर्स गवर्नमेंट अपने पास ले लेना चाहती है। लोकल बाडीज को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने का प्रयास और अभियान में ही सब कुछ होगा, जैसा अपने सरकार बनते ही कहा कि ऑनलाइन ही सारी बातें

(श्री बिहारीलाल)

होंगी, लेकिन पिछले पौने तीन साल में जितना हुआ वह सबके सामने है। अब तीन महीनों में आप लाखों पट्टे जारी करने के लिए इतने सारे संशोधन साथ लेकर आए हैं, तो यह आपकी नीयत साफ नजर नहीं आती है माननीय मंत्रीजी, इसमें आप क्या भला करना चाहेंगे? अभियान के बाद में डिपार्टमेंट को क्या छुट्टी पर भेज देंगे या डिपार्टमेंट को दूसरे काम में लगाया जाएगा या डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा? रूटीन के काम रूटीन में ही होते रहने का हमेशा वादा किया लेकिन इस बार इस अभियान में वाहवाही लूटने के लिए आप सारे ऐसे बंदोबस्त करने जा रहे हैं जो राजस्थान के नगर नियोजन की स्थितियों को बिगाड़ने वाले हैं और स्थानीय निकाय को मजबूत करने के बजाय सारे अधिकार सरकार अपने पास लेना चाहती है। इसके रुझान भी प्राप्त होने लग गए हैं। आज ही नोखा नगरपालिका में हमारा एक वाल्मीकि साथी जिसके खेत में नगरपालिका जबर्दस्ती सीवरेज का पानी डाल रही है, उसने 181 में शिकायत भी की। आज नगरपालिका चेयरमैन महोदय ने उसको वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता में लातों-घूंसों से जोरदार उसका स्वागत भी किया, मारपीट की, उसने भागकर जान बचाई, उसने किसी दुकान में जाकर छुपकर शरण ली, वहां से भी निकालकर पीटा। माननीय मंत्री महोदय, उस वाल्मीकि भाई को पुलिस ने 151 में पीटा, उसकी दरख्वास्त मुकदमे की ली नहीं जा रही है। ये परिस्थितियां आपके नगरपालिका के कर्ता-धर्ताओं की है।

आप ये संशोधन लेकर आए हैं, इतने सारे संशोधन, साफ नीयत से, साफ मंशा से लेकर आते तो बहुत अच्छी बात थी लेकिन एक लोक लुभावन बात करने के लिए और लाखों पट्टे एक साथ जारी करेंगे, इस तरह का अभियान जो आप लेकर आए हैं, इस संशोधन को जनमत के लिए परिचालित करने का, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने के लिए स्वीकृति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

कुछ बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा, माननीय हमारे उप नेता ने बताया, अशोक लाहोटीजी ने बताया था। इसमें कुछ त्रुटियां हैं माननीय मंत्रीजी, उनको आप ठीक करायें। पट्टे जारी कर रहे हैं इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं परन्तु इसमें वर्ष निर्धारण नहीं है कि कहां से उसका कब्जा है, तो किस आधार पर आप पट्टे देंगे। मैं सोचता हूं कि वर्ष भी निर्धारित करना चाहिए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

वर्ष निर्धारण के साथ-साथ किस रेट से आप पट्टे देंगे, पांच सौ रुपये में देंगे, हजार रुपये में देंगे, पच्चीस रुपये में देंगे? कि पचास रुपये में देंगे आप? किस रेट में आप पट्टे देंगे? उसका भी आप उसमें जिक्र करते और अच्छा होता। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और राजस्थान के बारे में अनेक सारे संशोधन आप लाए हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था माननीय मंत्रीजी, सामान्य, छोटा आदमी, जिसका छोटा प्लाट है, हजार, बारह सौ, पन्द्रह सौ स्क्वायर वर्ग फीट का, आप कोई निर्धारण, तीन सौ, पांच सौ नक्शे, नगरपालिका या यूआईटी की वेबसाइट पर डाल दीजिए, उसकी नम्बरिंग कर दीजिए और नम्बरिंग करने के बाद वह आदमी एप्लीकेशन लगाये और कहे कि मुझे 124 नम्बर का नक्शा पास कराना है, उसका शुल्क निर्धारित हो और वह शुल्क जमा करवा दे और वह नक्शा पास माना जाये। मैं सोचता हूं कि इसको आपको लागू करना चाहिए, प्लाट की साइज के हिसाब से।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में अनेक कालोनियां हैं, लगभग सौ कालोनियां ऐसी बनी हुई हैं जो बिना सरकार की, यूआईटी, नगरपालिका की परमिशन से बनी हुई हैं। आप और हम, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले सब मिलकर, सारे नेता भी लग जाएं, सब एक होकर के भी लग जाएं तो उस कालोनी के एक मकान को अपन नहीं हटा सकते हैं। आप क्यों नहीं एक मिनिमम साइज की रोड तय करके कि तीस फीट की या बीस फीट चौड़ी रोड है, सब लोग पैसे जमा कराओ और पैसे जमा करवाकर राज्य सरकार को इससे रेवेन्यू मिल जाएगा और उनकी वह कालोनी रेगुलर हो जाएगी। उदयपुर में ऐसी स्थिति है कि राज्य सरकार ने अनेक बड़े होटलों की परमिशन दे रखी है जो यूआईटी और नगरपालिका को पता ही नहीं है। आप उधर पधारे होंगे, नाथद्वारा से उदयपुर या उदयपुर से झाडोल रोड पर, सारे पहाड़ खोद दिए गए हैं और बड़े-बड़े होटल वहां बन रहे हैं, सौ-सौ, दो-दो सौ कमरों के होटल, तो मैं सोचता हूं कि उधर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था विधान सभा में कि राजस्थान में बड़े शहरों में कितने अवैध होटल्स और मकान बने हैं? बिना परमिशन के, कामर्शियल काम्प्लेक्स बने हैं? उसकी सूची आई, सूची आने के बाद कुछ पर कार्यवाही भी हुई, उसके बाद वापस बन गये। यानी वापस किस आधार पर बन गये, आप इसकी भी जांच करायें क्योंकि माननीय मंत्रीजी,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आपके लिए ऐसा कहते हैं कि यूआईटी, नगरपालिका की आप दाई हैं राजस्थान में, आपके सारा नालेज में है किंतु नीचे बाबू और अधिकारी जो काम करते हैं, जो खेल करते हैं उसको रोकने में आपको मदद करेगा। यूआईटी सब जगह वाटर हार्वेस्टिंग के पैसे लेती है। पानी को इकट्ठा करके पाइप से जमीन में जाना चाहिए। पैसे लेती है परंतु पैसे लेने के बाद मानिटरिंग नहीं है, वह पैसे जमा हैं, दो सौ, दो सौ करोड़ रुपये यूआईटी, नगरपालिकाओं में जमा हैं लेकिन वह आदमी पैसे जमा करवाने के बाद घर पर नहीं लगाता है वो। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उसकी भी आप व्यवस्था करायें।

माननीय सभापति महोदय, और कोई विशेष बात मुझे नहीं कहनी है लेकिन ये सारी बातों का जो निवेदन आपसे किया है, वह लोगों की सुविधा के लिए आप करेंगे और इसमें जितना हो सके इसमें लीकेज रुकना चाहिए। नीचे कर्मचारी जिस हिसाब से सामान्य आदमी को टल्ला देते हैं, अगर आप इसकी नीति निर्धारित करके पब्लिकली प्रकाशित करेंगे तो सामान्य आदमी जो जीवन में एक ही बार मकान बनाता है, एक ही बार नक्शा बनाता है, उसको धक्के नहीं लगेंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार जनता के विचार के लिए इसको प्रस्तुत किया जाए। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, इस बिल पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से उप नेता ने जो बात रखी है और उसके बाद में अन्य सदस्यों ने जो बात रखी है, उससे इतर कुछ बात मैं करना नहीं चाहता लेकिन मोटी-मोटी दो-तीन बात निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार आनन-फानन में पट्टे जारी करने के लिए और लोक लुभावन घोषणा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गांव थे, उन सारे के सारे गांवों की सारी की सारी गोचर जमीनों पर कालोनियां काटने का काम किया है। आज उन गांवों के अन्दर स्थितियां ये बन गई हैं कि उन गांवों के अन्दर आबादी विस्तार के लिए कोई जगह नहीं

(श्री रामलाल शर्मा)

है, सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हास्पिटल कोई स्वीकृत हो गया तो बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई आंगनबाड़ी का केन्द्र स्वीकृत हो गया तो उसको बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके से पट्टे जारी करने से पहले कम से कम जयपुर विकास प्राधिकरण की पेरीफेरी के अन्दर आने वाले गांवों के अन्दर आबादी विस्तार के लिए और सुविधाओं के विस्तार के लिए जगह आरक्षित करने का काम आप करें।

माननीय सभापति महोदय, कई जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर सुविधाओं के लिए जमीन आबंटित कर रखी है, जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रोसेस कर रखा है, पट्टे भी कई जगह जारी कर दिए लेकिन उस जगह दूसरों का कब्जा है। अब आप दूसरों के कब्जे के आधार पर पट्टे जारी करने लग गये तो फिर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जनता कहां जाएगी?

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन इतना-सा है कि आज नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में, आप सब जानते हैं। मैं मंत्री महोदय से इतना कहूंगा, आप अपने डायरेक्टर साहब से यह कहें कि राजस्थान की नगरपालिकाओं के ईओ की कितनी शिकायतें आपके पास हैं, मेरे ख्याल से ईओ की शिकायतें डायरेक्टर महोदय अगर आपके पास भेजेंगे तो आपके मकान में जगह नहीं रहेगी। जिस तरह से राजस्थान में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, अधिकांश तो ऐसे हैं, जिन्होंने खुली लूट मचा रखी है और आपका डायरेक्टरेट आफिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीन आदमी मिलकर इस खुली लूट में खेल खेलने का काम कर रहे हैं।

आप एक बार मेरे कहने से नगरपालिकाओं ने जो पैसा खर्च किया है, उसका भौतिक सत्यापन करवाकर देख लें। भौतिक सत्यापन में क्या सड़क सही जगह बनी है, क्या नगरपालिका के द्वारा जो पाइपलाइन्स डाली गयी हैं, वे उपयोगी हैं? लाखों-करोड़ों रुपये पाइपलाइन्स में खर्च कर दिये, एक बूंद उनमें पानी की नहीं आ रही है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरीके का बिल पास करने से पहले कम से कम वास्तविकता से अवगत हों। आप फिर पट्टे जारी करने का क्या प्रोसेस अपनाएंगे? पट्टे जारी करने के लिए दस जगह मैंने कब्जे कर रखे हैं, आप मुझे क्या दस जगह पट्टे देने का काम करेंगे? आप पट्टे देने का शुल्क क्या लेंगे? मैंने कामर्शियल जगह पर कब्जा कर रखा है, आपकी बेशकीमती करोड़ों रुपये की जगह है। मुझे 500 रुपये,

(श्री रामलाल शर्मा)

1,000 रुपये में या नि:शुल्क आप पट्टा देने का काम करेंगे तो पट्टा देने वाला अधिकारी क्या मुझे 500 रुपये या 1,000 रुपये में पट्टा देने का काम करेगा? क्या वह अपना सेवा शुल्क निर्धारित करने का काम नहीं करेगा?

सभापति महोदय, मेरा सरकार पर सीधा-सीधा आरोप है। आप भ्रष्टाचार की गंगा राजस्थान में बहाना चाहते हैं। आपके ही कई विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा चुके हैं। मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में पट्टे मिलें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पट्टे मिलने का एक प्रोसेस निर्धारित हो। आपकी नगरपालिकाओं में आज अधिकारी नहीं हैं। कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां अधिशासी अधिकारी नहीं हैं, जहां जेईएन नहीं हैं, जहां आपका एओ नहीं है? फिर आखिरकार इन पट्टों को कौन जारी करेगा? आप क्या प्राइवेट एजेंसियों को हायर करके पट्टे जारी करने का काम करवाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए आप परिचालित करें और फिर जो सर्वसम्मति से अच्छा हो, उस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2021

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जिसमें माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब बोल जाएं, उसके बाद में मैं समझता हूं कि विषय की सारी बारीकियां माननीय मंत्री महोदय के सामने विस्तार से आ गयी हैं और किस तरह का खेल राजस्थान की सरकार काबिल माननीय मंत्री महोदय की नाक के नीचे खेलना चाहती है, यह पूरे सदन को अवगत कराया माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने और बाकी सदस्यों ने भी। उन सब बातों को रिपीट नहीं करूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैं कुछ बातों से अवगत कराना चाहूंगा।

ये संशोधन जो पेश किये गये हैं, मुझे मालूम है संख्या बल के आधार पर आप लोग इसे पास कर देंगे, लेकिन यह शोचनीय विषय है कि जहां राजस्थान की नगरपालिकाओं में ढाई वर्ष में 13-13 बार एक नगरपालिका का ईओ बदला जाए, जहां पर जेईएन नहीं हो, जहां चपरासी के भरोसे नगरपालिकाएं चलती हों, वे नगरपालिकाएं किस तरह से ये जो आप अमेंण्डमेंट करके लोक-लुभावने वादे करने वाली सरकार के रूप में जनता के सामने पेश होना चाहते हैं, किस तरह उनको एग्जीक्यूट करेंगे, यह मेरी समझ से बाहर है। कर्मचारी नगरपालिकाओं में हैं नहीं, ईओ नगरपालिकाओं में हैं नहीं। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन नगरपालिकाएं हैं, माननीय मंत्री महोदय, ईओ नहीं है। एक ईओ, जिसके पास में चार दूसरी नगरपालिकाओं के भी चार्ज हैं, यह गम्भीर विषय है। काम बाधित होता है। जेईएन वहां पर है नहीं। छापर में एक चपरासी के भरोसे नगरपालिका चल रही है। ये हालात हैं तो जब तक कर्मचारी लगाकर व्यवस्थित रूप से काम नहीं होगा, तब तक जो आपकी मानसिकता है, जिसमें आप चाहते हैं कि जनता को पट्टे दिये जाएं, जनता बहुत लम्बित कार्यों के लिए इंतजार कर रही है, वे आपने कैम्प के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने का जो एक मानस बनाया है, वह एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा।

नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार की बात करें, मैं माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर सभी लोगों, डायरेक्टर महोदय तक को पहले आगाह कर चुका था कि नगरपालिकाओं में नालों की प्रापर सफाई नहीं हो रही है और उसके कारण जैसे ही बरसात होगी, पूरा शहर डूब जाएगा, बाजार डूब जाएगा।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका ने, रतनगढ़ हो, चाहे राजलदेसर हो, नालों की

(श्री अभिनेश महर्षि)

सफाई करवायी नहीं। गिनाणी के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिये, गिनाणियों की सफाई हुई नहीं। सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार में तो आकंठ डूब गयी। सफाई के नाम पर पैसा तो बहुत उठा लिया गया, लेकिन नगरपालिका के चेयरमैन और बाकी लोगों की नजरें सिर्फ इस पर रहीं कि कहीं पर कोई निर्माण कार्य शुरू हो और वहां से कितना पैसा हम लें। मैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस तरह का खेल मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों नगरपालिकाओं में खुला खेला जा रहा है।

आज हालात ये हैं कि आज भी बरसात हुई और उसमें लोगों का निकलना दूभर हो गया और निकलना ही नहीं, बाजार में लाखों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। ये हालात नगरपालिका की अकर्मण्यता के कारण हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, परमाणा ताल मेरे यहां एक है, जो जोहड़ पायतन की जमीन थी, भू-माफियाओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उस तालाब को पूरा मिट्टी से भर दिया और नतीजा यह हुआ कि शहर का जो पानी उसमें जाता था, वह वहां से शहर में गया, बाजार डूब गये। ये हालात जब तब नहीं सुधरेंगे तब तक हम भला कर नहीं सकते हैं। ऐसे हालात में, अभी बाकी सब मित्रों ने भी बात की, ये जो मित्र लगा रहे हैं, ये जो सहायक लगा रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर बहुत भारी प्रेशर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से एडजस्ट किया जाए।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे चार मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करूं...

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय,...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): देवनानी साहब, मेरी बात तो समाप्त कर लेने दें।

श्री सभापति: समाप्त हो गयी बात आपकी। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ सीख लीजिए। विराजिये। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कुछ परम्पराएं सीख लीजिए, छोटे नहीं हो जाएंगे आप। विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें। क्यों समय खराब कर रहे हैं? मैं साढ़े 7 बजे माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकार लूंगा, आपके लोग रह जाएंगे। प्लीज सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सहयोग करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: नहीं, एक मिनट का भी नहीं। प्लीज सहयोग करें आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज जिस मंशा के साथ यह विधेयक लाया गया, यह ठीक है कि पट्टे वितरित करना सरकार का काम होता है, लेकिन पिछले ढाई-पौने तीन साल में आपने एक भी पट्टा कहीं दिया नहीं, केवल इसका इंतजार करते रहे कि हम कैम्प लगाएंगे, उसमें देंगे और वाह-वाही लूटेंगे। वाह-वाही लूटें, उसमें भी शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जिस नीयत के साथ यह संशोधन लाये हैं, जिसमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और साथ में जयपुर, जोधपुर और अजमेर के विकास प्राधिकरण के अधिनियमों में जो आपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वे निश्चित रूप से लक्ष्यहीन हैं, कहीं स्पष्ट नहीं हैं।

पट्टे किस तरह वितरित करेंगे, पट्टे वितरित करने वाला कोई है नहीं। न उसमें स्टाफ है, न बाबू है, न पटवारी है, न कहीं कुछ है। यानी सारे प्राधिकरण इस समय, विशेष रूप से अजमेर प्राधिकरण की बात करना चाह रहा हूं, वहां स्टाफ की इतनी कमी है कि आपकी सारी योजना विफल होती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना के तहत केवल यदि आपकी यह सोच हो कि इसके पीछे केवल चांदी लूटी जाए, आनन-फानन में काम किया जाए और उसमें नदी-नाले, मन्दिर, सबकी जमीनों को बांट दिया जाए तो निश्चित रूप से इसे कहीं भी आप लम्बे समय तक नहीं दे पाएंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(19.00 बजे)

अभी आपने पट्टे दे भी दिये तो कानूनी प्रक्रिया में वे कहीं नहीं ठहर पाएंगे। अभी लोगों ने गुलाब कोठारी जी की बात कही, लेकिन कोर्ट में, जहां द्रव्यवती का आप एग्जाम्पल देख चुके हैं और फिर आकर कोर्ट के आदेशों से वे सारे पट्टे, सारी जमीनें, सारे भवन यदि वहां पर आगे जाकर तोड़े जाएं तो उससे जनता का भी नुकसान होगा और सरकार की छवि पर भी आंच आएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की बातों पर न जाकर इसको बहुत जल्दबाजी में लाये हो। यदि आपको ध्यान देना था तो इन सारे प्राधिकरणों ने कई गांवों को अपने हाथ में ले लिया है, जैसे अजमेर विकास प्राधिकरण ने 118 गांवों को अपने हाथ में लिया लेकिन वहां पर आबादी विस्तार की कभी चर्चा नहीं की। वहां पहले किसी जमाने में आबादी हुई होगी आज से 40-50 साल पहले और उसी भूमि को आबादी विस्तार में आपने जोड़ रखा है जबकि वहां आबादी कई गुना बढ़ गई, लोगों ने मकान भी बना लिये। अब न आप उसको तोड़ सकते हो लेकिन उस आबादी विस्तार के कहीं आप नियम लाते तो शायद ठीक होता।

साथ में, जितने अतिक्रमण इस समय हैं उसकी कहीं सीमा नहीं है और आपस में मिलीभगत से दलालों से ये सब मिलकर अतिक्रमण कर रहे हैं और उस अतिक्रमण को हटाने की किसी प्रकार की योजना नहीं है। आज प्राधिकरण की सम्पत्ति कहां-कहां है, उसको इसका पता नहीं है। पहले उसका पता करते। अगर आपको आय ही बढ़ानी थी तो पहले सम्पत्ति का पता करो, अतिक्रमण हटाओ तो शायद कोई चीज ठीक हो सके, लेकिन इस प्रकार से चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे श्मशान हो, चाहे नदी-नाले हो उनकी जमीन पर पट्टे वितरण की बात यदि प्रशासन सोचता है तो मैं सोचता हूं कि यह उचित नहीं है। केवल इसमें आपकी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने की जो सोच है वह बिल्कुल गलत है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करो, पूरा स्टाफ भरो और उसके बाद पट्टे दो। इससे न तो सरकार को यश मिलेगा, उलटा इसके दुष्परिणाम होंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। अभी जल्दबाजी में इस संशोधन को पारित न करवाएं और इस पर एक बार पुनर्विचार करें। आप वकील भी हैं, लोगों ने आपकी सराहना भी की है और इसकी दाई भी आपको कुछ लोगों ने बताया है तो मैं समझता हूं कि इस पर इतने सारे लोगों की बात को सुनकर इन संशोधन पर पुनर्विचार करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र मीणा। श्री मदन दिलावर। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया। चूंकि मेरे वहां नगरपालिका है इसलिए मैं सिर्फ नगरपालिका के बारे में ही बोलूंगा। यहां माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती के अवसर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान में पट्टों का वितरण किया जाएगा और आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि लगभग 5 लाख पट्टों का आबंटन करना या पट्टे देने हैं। अभी कल मेरे पास में नगरपालिकाओं से सम्बन्धित जन-प्रतिनिधियों का फोन आया, उनके मैसेज आए कि जहां तक मेरी जानकारी में हैं, उसमें आपने अभी एक ऐसा नियम बनाया कि पट्टा देने के इस अभियान के अन्तर्गत चाहे नगरपालिका का अध्यक्ष हों, चाहे नगर परिषद् का सभापति हो, चाहे वे नगर निगम के महापौर हों, मेयर हो, उनको आपने पट्टे पर दस्तखत करने से रोका है और उनके स्थान पर आपके ही सरकारी विभाग के नुमाइंदे प्राधिकारी के रूप में साइन करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के नगर निकायों के अन्दर आपका जो यह कृत्य है, जो यह कानून है, यह निश्चित रूप से जन-प्रतिनिधियों की अवहेलना करने वाला है। ऐसा ही कानून कुछ दिनों पहले पंचायती राज विभाग में सरपंचों के अधिकारों का हनन करने वाला था लेकिन जन-प्रतिनिधियों के दबाव में आपने उसको वापस लिया और फिर पंचायती राज विभाग में सरपंचों के उस अधिकार को दिया गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था आपने लागू की है उसको खतम करें और वापस से नगर निकाय के चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की जो आस्था का सवाल है उसको आप कायम रखें।

इसके साथ ही जिन पट्टों का वितरण इस कैम्प के दौरान, माननीय मंत्री महोदय आपके द्वारा किया जाने वाला है उनके ऊपर एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी की और एक तरफ माननीय मंत्री महोदय शांती धारीवाल साहब की फोटो लगी हुई है। इससे पहले भी केन्द्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जन-कल्याण की योजनाएं हैं लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का फोटो नहीं है। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धरा जी के नेतृत्व में राज्य

(श्री अविनाश)

सरकार थी, उसमें भी बहुत सी ऐसी योजनाएं थीं, जन आधार कार्ड के ऊपर उन्होंने अपना फोटो लगाया तो कांग्रेस के मित्रों ने विरोध किया, लेकिन आज आपके ही डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार पट्टों के ऊपर जो फोटो लगाई जा रही है वह कहां तक उचित है? यह जब आप जवाब दें तो निश्चित रूप से इस बात का भी उल्लेख करें।

इसके अलावा, नगरपालिकाओं के अन्दर जो कृषि भूमि है उसके ऊपर बिना भू-उपयोग परिवर्तन के कालोनियां काटी जा रही हैं, व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन आपके अधिकारियों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इस पर भी रोक लगाई जाए।

माननीय मंत्री महोदय, एक छोटी-सी बात कहकर मैं मेरी बात को खतम करूंगा। मैं आपसे बहुत पहले से रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि मेरी जैतारण नगरपालिका में ई.ओ. के पद पर आपने भ्रष्ट अधिकारी को लगाया जो अभी कुछ दिनों पहले एसीडी के हाथों ट्रैप हुए और अभी तक जेल में हैं। उसके बाद में आज तक उसके स्थान पर किसी ई.ओ. की पोस्टिंग नहीं हुई और न ही आपने किसी को चार्ज दिया है। अब चूंकि 2 अक्टूबर नजदीक आने वाला है, 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग कैम्प की शुरुआत भी हो सकती है और जब ई.ओ. जैसे जिम्मेदार अधिकारी का पद खाली होगा तो इस कैम्प की उपयोगिता क्या होगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि मैंने डिजायर आपको दी है, मेरे जैसे व्यक्ति की डिजायर अगर आपके पास पहुंचती है और ईमानदार अधिकारी को आप लगा देंगे तो यह प्रशासन शहरों के संग कैम्प का अभियान है, वह जिस उद्देश्य के साथ आपने लिया हैं वह पूरा होगा। इतना ही कहकर मैं चाहूंगा कि यह जो बिल आप लाये हैं इसको छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को जिन बातों को प्रचारित करके लाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सबको दूर से बहुत अच्छा लग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहा है कि इससे लोगों को फ्री होल्ड के पट्टे मिल जाएंगे, यह लाभ हो जाएगा। बहुत विनम्रतापूर्वक मेरी जो सभी माननीय सदस्य सदन में विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना है कि यह कानून जिस पेचीदगी को लिये हुए है इसको समझकर मैं सोचता हूं कि इसको जल्दी पास कराना इतना आवश्यक नहीं है जितना इसकी हर पेचीदगी का हल निकालते हुए स्थानीय संस्थाओं को भी ताकतवर बनाना है और उनको आर्थिक स्थिति से ठीक करना, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। इस कानून में कई प्रकार की ऐसी पेचीदगियां हैं जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनको बिन्दुवाइज नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने काफी विस्तृत ढंग से अपनी सारी बात कही है। मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि इसको आप जल्दी में पास कर सकते हो लेकिन इसके कारण से जिस भ्रष्टाचार का जन्म होगा और जिस तरह से अधिकारी वर्ग के हाथ में जिस प्रकार का डंडा पकड़ा रहे हो, उसके कारण से उस संस्था का भी नुकसान होगा और हमारी सारी व्यवस्था बिल्कुल धूल-धूसरित हो जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप करोगे, न करोगे यह आप जानो, लेकिन यह कानून जब धरती पर आकर लागू होगा, उस समय आप और हम सब लोगों को याद करेंगे कि उस विधान सभा ने, उन विद्वान साथियों ने, उन जन-प्रतिनिधियों ने इस कानून को पास करने के बाद जिस प्रकार के अधिकार इसमें दिये जा रहे हैं, वे एक तरह से उस संस्था का अपक्षय करेंगे, यह मैं आपको आज कह रहा हूं जिसको आप रिकार्ड पर रखें, मेरा आपसे निवेदन है।

अब आपका यह जो राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 है इसमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन का यह प्रस्ताव है। लगभग इन सभी संस्थाओं में ये सभी प्रकार के कानून किस तरह से काम करेंगे, उसके बारे में आप यह संशोधन लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूं, अब आपकी जिद्द हो तो आप करिये, कोई दिक्कत नहीं पर आज नहीं तो कल यह कानूनी दृष्टि से भी पेचीदगी में जाएगा। यह आज की तारीख में रिकार्ड पर रहे। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से आप इसमें अधिनियम, 1956 की धारा 103 (क) में अध्याय 6 में प्रयोजन के लिए भूमि आबादी की परिभाषा, इसमें (क) में आपने लिखा है, भूमि से निम्नलिखित प्रयोजनों में से समस्त या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी भी स्तर की भूमि अभिप्रेत है। मतलब आपने ये जो 7 प्रकार की जमीनें बताई हैं, इनमें से 5 प्रकार की जमीन पर, आप ये सारे अधिकार इन संस्थाओं को सुपुर्द कर रहे हैं। मैं सोचता हूं इसको समझने की जरूरत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व राजस्थान अधिनियम, 3 की धारा 5, खण्ड-क (24) में यथा परिभाषित भूमि, अब मैं इस भूमि का आपको थोड़ा डिटेल पढ़कर सुनाता हूं, करें न करें आपकी मर्जी, आप बहुमत के आधार पर अपना कानून बनाना चाहें, मैं सोचता हूं इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। भावना से आप भी सहमत, मैं भी सहमत, इन संस्थाओं को सशक्त करें। इसमें भी कोई दोराय नहीं। लोगों की समस्याओं का हल करें, इसमें भी किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं, इतना जल्दी कर लेने से उलझन हो जाएगी।

इसको कहीं भी तो प्रवर समिति में सोचकर, एक बार इसको पाइन्ट टू पाइन्ट पढ़ने के बाद, इसमें जहां-जहां आपको जो कुछ परिवर्तन आपस की समझाइश से, क्योंकि जो हमारी कमेटी होती है उसमें सभी दलों के लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं, ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद जो सवाल-जवाब भी करने होते हैं, अधिकारियों के साथ भी करते हैं और हरेक की भावना को जोड़ते हुए कानून का स्वरूप बनाया जाए तो मैं सोचता हूं ये संस्थाएं ज्यादा अधिक अच्छी बनेंगी।

ये जो धारा-5 की 24 है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। इसके अनुसार ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग़ भूमि या चरागाह के लिए पट्टे पर दी जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा धारित लीगली है, इल्लीगली है, धारित की जाती है। इस अधिनियम के संदर्भ में भूमि है, उसमें ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जोत पर स्थित मकान या बाड़ों के तल की भूमि, उसमें आपकी तल की भूमि का मतलब, वह सारी जमीन और जल से ढकी हुई, इसका मतलब नदी, नाले सभी ढके हुए नाले, सिंचाई करने या सिंघाड़ा या ऐसे अन्य कोई पैदावार के उपयोग में लाई जा सके, अब वह सिंघाड़ा पैदा करने वाली जमीन भी, मैं सोचता हूं कि गुलाब कोठारी के मुक़दमे के कारण से राजस्थान अभी तक जो बचा हुआ था, कम से कम इन जमीनों पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं हो, किसी को पट्टा नहीं मिले, किसी प्रकार की खुर्द-बुर्द नहीं हो, इन सब की जमीन की सुरक्षा हो, चरागाह की हो, आप इन सब नियमों की धज्जियां उड़ाकर आप इस कानून को ला रहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो। कृपा करके संतोष से सोच लेना कि इसके बारे में न्यायालय के द्वारा भी हम इस कानून को टिका पाएंगे या नहीं पाएंगे, यह सारा का सारा अभी जुम्मी है।

दूसरा, इसमें आपका पाइन्ट है। ये दूसरी तो आपने छोड़ी है, सरकारी भूमि वाली। तीसरे में लिया है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी सार्वजनिक प्रयोजन जैसे सड़क या मार्ग के रूप में होता है, वह चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात, मतलब यह जो अधिनियम है अगर यह 1956 से लागू हुआ तो 1956 से इस प्रकार की जमीन जो है, वह यूआईटी में वैस्ट हो जाएगी। अगर 2009 का कानून है तो 2009 से वैस्ट हो जाएगी। जो-जो मैंने ऊपर पढ़े थे, कौन-सा, हमने किसी नगरपालिका का, यूआईटी का कानून कब बनाया था, तब से लेकर ये सारी जमीन उसमें वैस्ट हो जाएगी यूआईटी में। फिर, वह मन चाहे जैसा चाहे, जिसको कह रहे हैं न फ्री होल्ड पट्टा, यह जो एक आकर्षण फ्री होल्ड, यह लूटखोरी जो इसमें से निकलकर आएगी, आज नहीं तो पांच साल बाद राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति आपको और मुझको याद जरूर करेगा कि कैसे विद्वान साथियों ने बैठकर के इस कानून को बिना विचार किये, केवल अपने बहुमत का एक जोश जो चढ़ा हुआ है और मैं यह कर रहा हूं, मैं सोचता हूं, प्रार्थना है, इस पर ध्यान दीजिए।

संबंधित किसी कार्यवाही के दौरान अन्यथा सरकारी भूमि या किसी स्थानीय प्राधिकारी की भूमि के रूप में सर्वेक्षित तथा अभिलिखित की गई है, सारी भूमि इसमें आ गई है। फिर इसमें तीसरी भूमि है, थोड़ा गौर करना बंधुओं, समाज के उपयोग के लिए यथा पूर्व तक सर्वेक्षण तथा अभिलिखित भूमि जैसे गोचर, श्मशान या कब्रिस्तान, ये सारी भूमि भी वैस्ट हो जाएगी यूआईटी के अन्दर।

फिर इसके बाद है आपका नैक्स्ट, अंतरण द्वारा अथवा अन्यथा प्राप्त की गई भूमि, जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कब्जे में है, वह भी इसमें आ जाएगी।

फिर आपका है, खण्ड-3 का खण्ड-(1) में यथा परिभाषित, यह नजूल सम्पत्ति को आपने छोड़ा है।

इसके बाद यह जो सातवां है, किसी स्थानीय प्राधिकारी के निहित आबादी क्षेत्र को भूमि या धारा-92 के अधीन विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और अलग रखी गई भूमि और उसमें ऐसे भूमि से तथा वृहद् चीजों के संबंध, किसी भी चीज के स्थानीय रूप से आबद्ध चीजों के होने वाले फायदे सम्मिलित हैं। ये सारी जमीन, यह कानून बनने के बाद यूआईटी में वैस्ट हो जाएगी और यूआईटी में एक तरह से वह अपना फ्री होल्ड जो है देगी।

मैंने आपको नीचे पढ़कर बताया था, वह कौन सी भूमि है आपकी। अब इसमें जो आपको लगेगा, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा-43 को हटाकर, जो नई धारा प्रतिस्थापित की जा रही है तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में जो नई धारा 68(क) अन्त:स्थापित की है, उसकी भाषा लगभग एक-सी है। इन दोनों संशोधनों के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-103 में वर्णित 7 श्रेणियां, जो मैंने बताई थीं, जिसमें 5 श्रेणियों पर यह लागू होगा, दो पर नहीं। इनमें से पांच श्रेणी की भूमि जो न्यास अथवा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, को इन संस्थाओं में उनकी स्थापना, कब से की जाएगी, उनकी स्थापना जब से हुई, की दिनांक से निहित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ये सारी जमीनें जो मैंने ऊपर आपको पांच प्रकार की बतायीं, ये सब इन संस्थाओं में, उस समय से जब से इनके कानून बने हैं, तब से इनमें निहित हो जाएगी। किसी कानून को भूतलक्षित प्रभाव से लागू करना अच्छा कानून नहीं कहा जाता है। मैं सोचता हूं आज की तारीख से आप इस बात को लागू करें, वह तो समझ में आ सकता है लेकिन 1956 से या 2009 से जिसका किसी यूआईटी का कानून बना हुआ है, जेडीए का बना हुआ, उस समय से ये सारी जमीन जो मैंने 5 प्रकार की बतायी, ये सारी उस संस्था में वैस्ट हो जाएगी और वह फ्री होल्ड का पट्टा जारी करेंगे। मैं सोचता हूं इससे कई कानूनी विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं और जन विरोध भी हो सकता है।

प्रस्तावित संशोधन में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-103 में वर्णित विभिन्न श्रेणियों की भूमि में से खण्ड-क के उप-खण्ड-2 एवं नजूल भूमि को छोड़कर, मैंने कहा न दो भूमि को आपने छोड़ा है, शेष सभी श्रेणियों की भूमियां नगरपालिका एवं न्यास के निहित होना माना है। धारा-103 के खण्ड (क), उप-खण्ड-1, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5 के खण्ड-24 में परिभाषित भूमि को भी सम्मिलित किया गया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं ये सारा जिन जमीनों का अधिकार आप उनको दे रहे हो और वह भी तब से दे रहे हो जब से उस संस्था की स्थापना हुई है, तो यह कानून किसी रूप में और कहां तक इसका असर होगा, इसके बारे में आप एक बार विचार कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा इतना आपसे आग्रह है।

आप इसी तरह से, मंत्री महोदय, मैं सोचता हूं आपके मन में भावना ठीक है, अच्छी है, बुरी है, यह तो ईश्वर जाने पर इसके कारण से काम्प्लिकेशन बहुत बढ़ेंगे और इसके कारण से इन सारी संस्थाओं की बहुत बड़ी दुर्गति होने की स्थिति मुझे दिख रही है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।

फिर, आपने इसमें एक संशोधित विधेयक, 2021 की 5 अलग-अलग संशोधित की गई नई धारा प्रस्तावित करते हुए, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 धारा 60(ग), जयपुर विकास प्राधिकरण ये सारा है। प्राधिकरण की 82 की धारा 54(अ), जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 50 (ख), राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69(क) और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50(ग) संशोधित कर नई धारा जोड़ने का प्रावधान किया जाता है, जिसके अनुसार ये हैं। अब इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा निर्धारित करता है तो वह भी न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका से सम्पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को अपने अधिकारों का न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका के पक्ष में सरेन्डर, मतलब चाहे उसके पास अधिकार लीगल है चाहे उसके पास नहीं है, यह सारी जमीन जो मैंने आपको जिन श्रेणी की बताई, ये सारी जैसे ही सरेण्डर करेगा, सरेण्डर करने के बाद सब अधिकार उस नगरपालिका, यूआईटी या जेडीए या जो संस्थाएं हैं, उनके पास ये सारी जमीन चली जाएगी और उसके बाद फ्री होल्ड का पट्टा, तो ये जो भूमाफिया इस प्रकार के रिकार्ड्स की हेराफेरी करके अपना अधिकार जमा करके जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप एक तरह से तश्तरी में रख करके इन जमीनों का अधिकार देने का यह कानून पास कर रहे हैं। कृपा करके जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह पांच दिन बाद होगा, दो महीने बाद होगा, अगले सत्र में हो जाएगा तो कौनसी आफत पड़ जाएगी? कम से कम कोई कानून हम बनायें तो वो प्रदेश के हित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में हो, संस्था के हित में हो और जो वास्तव में हो उसके हिसाब से करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो आपकी जो इच्छा। 'विचारणीय है कि न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका अन्य विधि से प्राप्त पट्टों का भी समर्पण कराकर अपने स्तर पर पट्टा दे सकता है...' सरेण्डर करने के बाद अन्य विधि से दिये पट्टे में क्या शर्त है, क्या उस विभाग की सहमति के बिना ही ऐसा किया जा सकता है? यह आप एक तरह से कुछ ऐसी जमीनें भी जो किसी ने पुराने जमाने में पट्टा दिया है, किसी राजा के द्वारा मिला है, किसी पंचायत के द्वारा मिला है या और किसी अधिकार से किसी को जो जमीन मिली हैं, उन सब जमीनों का भी इस कानून के बाहर और कई जमीनें तो जो आपकी इस सैटलमेंट के द्वारा और राजा-महाराजाओं की जो जमीनें हैं, जो राजा-महाराजाओं की जमीनें अभी तक भी आपके केसेज चल रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरह से जाकर के ये पट्टे लेने की स्थिति में आ जाएगा।

मैं सोचता हूं कि अगर सम्भव हो सकता है तो विचार करना चाहिए और अगर नहीं तो आपकी जैसी इच्छा, आप चाहें जो करो पर लोग हमारे इस कानून को पास करने के बाद हम सबको याद जरूर रखेंगे।

अब एक तीसरा और आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं धारा-7 (घ) में लिखित अनुज्ञा यह अपेक्षित नहीं होगी जहां किसी व्यक्ति की उप धारा-1 के अधीन 250 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र पर निर्माण के लिए आवेदन किया हो, प्रस्ताव प्रथम तल तक एकल आवासीय इकाई के संनिर्माण के लिए हो और भवन में कुल ऊंचाई, छत की मोटाई और उसके बारे में हो, उसमें जो आप चैंजेज कर रहे हो, उन चैंजेज से जो मुझे असर लग रहा है, उसका यह परिणाम निकलेगा, धारा-154 नगरपालिका अधिनियम, 1959 की उप धारा-1 में यह प्रावधान है कि किसी भी नगरपालिका की सीमा के भीतर नया भवन निर्मित करने, भवन को पुनर्निर्मित अथवा परिवर्धन करने का आशय रखने वाला कोई भी व्यक्ति उप धारा-2 के वर्णित दस्तावेजों के साथ नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब यह है कि ये जो उसको अधिकार आप जो दे रहे हो, इसमें 194 की उप धारा-7 में खण्ड-घ में विद्यमान प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि जिन मामलों में भवन निर्माण के पूर्व नगरपालिका से अनुमति लेना आवश्यक नहीं, जबकि प्रस्तावित संशोधन में यह स्पष्टत: समाप्त करते हुए भवन निर्माण उप विधियां जो भी नियम आप बनाओगे वो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुरानी सब बातें खतम हैं और यह नियम कौन बनायेगा, ये ही अधिकारी बनायेंगे और उस अधिकारी के आधार पर जो नियम बनेंगे, उन नियमों के तहत इन सारी जमीनों के पट्टे दिये जा सकेंगे।

मैं सोचता हूं कि आप ये जिस प्रकार का, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस कानून को और इसकी पेचीदगियां जो हमें समझ में आई, हो सकता है कहीं हमें समझने में कमी रही होगी तो हम समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कानून को इतना जल्दी में पास करने के बनिस्बत इसको हमारी जो कमेटी है उस कमेटी को देकर के एक बार इसको थोरोली एक-एक बिन्दु पर ठीक प्रकार से डिस्कशन करके, उस पर पक्ष-विपक्ष और सभी प्रकार के लोग उस कमेटी में रहते हैं, वह कमेटी इस पर विचार करके फिर से अपनी रिपोर्ट बनाकर इस हाउस में रखे और हाउस इसको पास करेगा तो मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान के हित में होगा, जनता के हित में होगा, संस्था के हित में होगा। केवल और केवल यह कि हम इसके आधार पर जो कानून बना रहे हैं उससे इन सारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क पहले से ही है और अब आप इनको ऐसा उस्तरा दे रहे हो कि ये बिना साबुन के जनता की जो जिस प्रकार से गढ़ाई होगी, उसके बारे में मैं आज कह रहा हूं यह रिकार्ड पर रखना, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा पर रिकार्ड पर यह रहेगा। इस प्रकार के कानून बना करके हम इन संस्थाओं को मान और सम्मान नहीं दे रहे हैं बल्कि इन संस्थाओं को बिगाड़ने का एक रास्ता हम दिखा रहे हैं। जहां-जहां कानून में आवश्यक आपको लगता है कि इसको कौनसा दिया जाए, कैसा दिया जाए, आप दे सकते हो, कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं सोचता हूं कि सब लोगों के विचार करने के बाद अगर इस कानून को पास करेंगे तो उचित होगा। बाकी यह निश्चित रूप से घातक कानून के रूप में हम पेश कर रहे हैं, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय नेता और माननीय उप नेता महोदय ने बहुत विस्तार से कुछ गम्भीर आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, उन सबका दोहरान किये बिना मैं अपने आपको उनमें शामिल करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जमीनों का मामला जुड़ा होता है वहां पर हर गतिविधि पर संदेह की दृष्टि रहती है और

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

विशेषकर मैं अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार पहले भी दो बार जब रही है तब भी ऐसे सर्कुलर मैंने देखे हैं। मेरी नजर से मैंने खुद ने पढ़े हैं। नगरीय विकास के परिपत्र क्रमांक - इतना दिनांक- इतना के द्वारा धारा के बिन्दु - इतना उप बिन्दु - इतना को विलोपित किया जाता है। चार महीने बाद दूसरा आदेश निकलता है कि वह विलोपन समाप्त किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि वह धारा क्यों हटाई गई होगी और वापस क्यों उसको बहाल किया गया होगा? किसी न किसी को लाभ देने के लिए पर इस बार जो होने जा रहा है इस संशोधन के माध्यम से, हमको भी जिसमें गवाह बनाया जा रहा है, वह तो कोई बहुत ही बड़ा गेम होने जा रहा है। यह साफ परिलक्षित हो रहा है कि बहुत बड़ा खेल जमीनों के मामले में होने वाला है और उसमें जनहित कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनकी पार्टी का हित जरूर होता होगा और वह भी इससे और स्पष्ट हो जाता है कि नगर मित्र नाम की एक नयी पोस्ट क्रिएट की गई है। जैसे यातायात कार्यालय के बाहर यातायात सलाहकार बैठे हैं बड़ी-बड़ी दुकानें लगा कर, वो क्या करते हैं, सबको पता है। ठीक वैसे ही अब नगर मित्रों की दुकानें लगेगी नगरपालिकाओं के बाहर, यूआईटीज के बाहर, जेडीए के बाहर और वो फिर जनता को सहयोग करने के नाम पर क्या-क्या करेंगे, उसकी कल्पना आज की जा सकती है तो यह भी एक बहुत पुनर्विचार करने लायक मुद्दा है कि नगर मित्र के बारे में आपकी कल्पना क्या है। आपने स्पष्ट ही नहीं किया, नगर मित्र क्या करेंगे, उनको पॉवर क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो किसके कंट्रोल में होंगे? कुछ नहीं पता पर वो एक इस माध्यम से दलालों की फौज खड़ी करने की जो एक, क्षमा करें मुझे, मैं एक हल्का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसी फौज खड़ी करने का प्रयास होता नजर आ रहा है और इस पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए।

एक मैं और निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये सारे जो आप पावर दे रहे हैं वह किसको दे रहे हैं? अधिकारियों को। जन प्रतिनिधियों को कमजोर किया जा रहा है और इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में आपकी पार्टी के अध्यक्ष चुन कर नहीं आ पाये। बहुत सारी जगह ऐसा हो गया। पहले यही होता था कि जिसकी सरकार होती थी अधिकतर उसी के आते थे इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार किसी और दल की है और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और जिला परिषदों के प्रमुख, पंचायत समितियों के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रधान दूसरी पार्टी के आ गये और इसलिए उनके अधिकारों को कम किये जाने का प्रयास भी इसमें नजर आ रहा है। मैं बहुत गम्भीरता से बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

आने वाले कुछ महीनों में सरकार अभियान चलाने जा रही है प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग, उसके लिए जो दिशा-निर्देश जारी हुए हैं उसमें पट्टा देने का अधिकार भी शामिल है और उस पट्टा देने का जो प्रारूप सर्कुलर के साथ सरकार ने भेजा है, उस प्रारूप में नीचे हस्ताक्षर के स्थान पर केवल सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर का ही प्रावधान है। जन प्रतिनिधि के, नगरपालिका अध्यक्ष के या नगर परिषद् सभापति के या सरपंच के हस्ताक्षर का कोई स्थान ही आपने निर्धारित नहीं किया है। क्या करना चाह रहे हैं आप? अब तक तो नगरपालिकाओं से जो भी पट्टे निकले हैं उनमें कमिश्नर और चेयरमेन दोनों के साइन होते रहे हैं। यह आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं कि चेयरमेन का नाम हटा दिया उसमें से। यह जन-प्रतिनिधि के अधिकारों को कमजोर करने की बात है। जान बूझकर यह योजनापूर्वक किया जा रहा है क्योंकि आधे से अधिक अध्यक्ष आपके काबू के रहे नहीं। इसकी भी मैं निन्दा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि आपने जो भी दिशा निर्देश जारी किये हैं, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान के, उसमें संशोधन करें और उस पट्टे में जन प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी अनिवार्य किये जाएं।

मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे दल के साथियों ने जो इस बिल पर गम्भीर एतराज किये हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बिल पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नीयत स्पष्ट हो, आपकी सरकार के बारे में गलत धारणा जनता में नहीं बन जाए, इसलिए उस पर पुनर्विचार करके इसके प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए, तब तक इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, यह तो मेरे बस की बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो संशोधन लाये गये हैं, यह सीधा-सीधा भू-माफियाओं को प्रोत्साहित करने का काम है। अगर आपको गरीबों को पट्टे देने थे तो उसका साइज निर्धारित करते, और किस स्तर के आदमी को कितने गज का पट्टा देंगे, यह यहां से जारी करते। तरह-तरह की,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कहीं श्मशान भूमि, 1955 से पूर्व वाली, बाद वाली। सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में जो भूमि भू-माफियाओं के पास है, सन 1955 से पहले की भूमि और बाद की, यह जो षड्यंत्र है, सरासर जोहड़-पायतन और भू-माफियाओं के लिए, तालाब की जमीन, ये जो तरह-तरह के शब्द गढ़े हैं, यह सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। शहरी मित्र नियुक्त करेंगे। हम किसलिए बैठे हैं? तीन-तीन लाख के जन प्रतिनिधियों को इग्नोर करके शहरी मित्र नियुक्त करके आप क्या फैसला ले रहे हो? क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पास चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, और भी बहुत-से पद हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं। दुनिया भर के चुने हुए प्रतिनिधियों को इग्नोर करके आप यह राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करने जा रहे हो। राष्ट्रपति शासन के आगे कोई नहीं बोलता है, कितनी भी लूट करो, कुछ भी करो। यह अधिकार आप इसमें दे रहे हैं। इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपको गरीबों का भला करना है तो स्पष्ट रूप से यह आदेश दें और यह कानून बनायें कि इस श्रेणी के व्यक्तियों को हम पट्टे देंगे, जिनके पास कब्जे हैं। तरह -तरह के राइडर, एक-दो छोड़े हैं। आपकी जो कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि है, उनको आपने छोड़ा है। वहां लोग हजारों की संख्या में खड़े हो जाएंगे, आपको पट्टे देने भी नहीं देते क्योंकि वहां पर मनुष्यों की हड्डियां दबी हुई हैं, इसलिए आपने उनको बख्श दिया, बाकी आपने जोहड़-पायतन नहीं छोड़ा, नदी-नाले नहीं छोड़े, जल-भराव वाला कह दो। वह सुकरकरण वाली बात आयी थी, पूर्व में जो संशोधन लाये थे। यह जो शब्दों का जाल है, हेराफेरी है, इसमें संदेह है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप अगर राजस्थान में नगरपालिकाओं के अन्दर, नगर परिषद् के अन्दर भला करना चाहते हैं तो कानून स्पष्ट रूप से बनाएं। कभी कान इधर से पकड़ना, कभी इधर से पकड़ना, यह हेराफेरी वाला काम मत करो। आपको राजस्थान की जनता नहीं बख्शेगी। आपको बख्शेंगे, भू-माफिया। जो कालोनियां काटते हैं, दुनिया भर की चोरी करते हैं। यह संशोधन आप उनके लिए ला रहे हैं। अगर आपकी नीयत सही होती तो ये शहरी मित्र कहां से पैदा कर दिये? क्यों कर दिये? जन-प्रतिनिधि आलरेडी बैठे हैं। पक्ष-विपक्ष के विधायक हैं। आपने इनकी तो सारी जड़ ही काट दी। आप प्रजातंत्र को नपुंसक बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें, ताकि आप भी बचें और हम भी इसके दोषी नहीं हों।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के बिल के संशोधन में मेरे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उप नेता जी और अन्य वक्ताओं ने जो बिल की खामियों के बारे में सदन को अवगत कराया है, उसमें मैं भी अपने विचारों को समाहित करते हुए इस बिल को छह माह के लिए परिचालित करने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित), श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 में हमारे प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता माननीय राठौड़ साहब ने इस बिल के बारे में जो चर्चा की है, यह सबसे, ओरण गोचर से लगाकर, नदी-नाले से लगाकर, जिस तरीके से इस बिल को लाया गया है, मारवाड़ी में हमारे यहां कहावत है - किन्हे करणो आवे, माननीय मंत्री महोदय, जैसे नगरपालिका और नगर निगम का पुनर्गठन जिस तरीके से किया था, उस हिसाब से करके, सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आये हैं, मैं मान सकता हूं कि उनकी मंशा बहुत अच्छी होगी। जो वर्षों से पट्टे की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, म्युनिसिपेलिटी के चक्कर काट रहे हैं, अपने जूते फाड़ रहे हैं, उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाए, पट्टा मिल जाए, उसके लिए आपने नियमों में काफी शिथिलता दी है। आपने संशोधन भी किये हैं पर, माननीय मंत्री महोदय, क्या आपको हकीकत पता है? नियम विधान सभा बनाती है, छूट विधान सभा देती है, शिथिलता विधान सभा देती है, पर जब तक आपका नगर परिषद् का बाबू चाहे वह पट्टे शाखा का हो, चाहे वह भूमि शाखा का हो, चाहे आपका अधिकारी, उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है तो आप कितने

(श्री ज्ञानचंद पारख)

भी नियमों में संशोधन कर दें, आप उनको अधिकार दे दें पर वे उसी का काम करेंगे, जिससे उनका खुद का कोई हित सध रहा हो।

माननीय मंत्री महोदय, ये आयोजन पहले भी हुए हैं। पहले बहुत पट्टे मिले, पर किन लोगों को मिले, जो प्रभावशाली थे या जिन्होंने किसी न किसी के माध्यम से अधिकारी या बाबू को मैनेज कर लिया, उसने तो अपना काम निकाल लिया, पर जो आपके भरोसे रहा, आपके नियमों के भरोसे रहा कि मुझे तो सरकार से छूट मिली, मुझे पट्टा मिलेगा, वह आज भी पट्टे के लिए दर-दर भटक रहा है। आप पुरानी फाइलें देखेंगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी कि एक नहीं, हजारों ऐसी फाइलें हैं, जिनको मैंने विधान सभा के जरिये कई बार उठाया है। राशि जमा है लेकिन पट्टा अभी तक नहीं मिला। एक ही जमीन है। आधे को पट्टे दे दिये, आधे को बाद में, यह कहकर इनकार कर दिया कि इसकी 90-ए नहीं हुई, तो आपने आधे को क्यों दिया? कई सारी ऐसी कालोनियां हैं जिसमें अधिकारी ने चाहा, बाबू ने चाहा, उसको पट्टा दे दिया, बाकी को कोई न कोई कारण बताते हुए अटका दिया। जब तक आप अपने इन संशोधनों के जरिये उस अधिकारी, उस बाबू पर लगाम नहीं कसेंगे, तब तक आपका अभियान, आपका यह संशोधन ज्यादा काम नहीं आएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पता नहीं जन-प्रतिनिधियों पर भरोसा क्यों नहीं किया? हर नगर परिषद् या स्थानीय निकाय में कोई न कोई कमेटी होती है जो पट्टे इजाजत का काम करती है या भवन निर्माण की स्वीकृति देती है, वह कमेटी होती है। बाकी के समय में उसका पूरा रोल होता है, परन्तु आपके इस अभियान के दौरान आपने उनको दायरे के बाहर रखा है और आपने अपने एक अधिकारी को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया कि अगर जन-प्रतिनिधि की असहमति हो तो भी वह चाहे तो पट्टा जारी कर सकता है। माननीय मंत्री महोदय, लोकतंत्र को आप कमजोर कर देंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अधिकारी को अधिकार दो, मना नहीं है, परन्तु जन-प्रतिनिधि जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है पार्षद है, जो पट्टा कमेटी का सदस्य है, उसको ज्यादा पीड़ा होती है कि मेरे क्षेत्र में इस भूमि पर ये व्यक्ति बैठा है, इसके मालिकाना हक की भूमि है, इसको मिलनी चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए, उसके मन में ज्यादा पीड़ा है। कम से कम आपकी जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पट्टा कमेटी होती है, चाहे भवन निर्माण समिति हो, उस कमेटी के सारे के सारे मैम्बर्स को इसमें अधिकृत करके उनके माध्यम से काम करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अवैध निर्माण सब जगह होते हैं और हम नियमन भी करते हैं परन्तु कई निर्माण ऐसे होते हैं, अधिकारी से अगर सेटिंग हो गयी, कुछ नहीं बिगड़ता और मान लो कोई व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी निजी दुश्मनी है और वह इजाजत लेकर भी भवन निर्माण करता है, बड़ी बिल्डिंग बनाता है और वह शिकायत कर देता है कि इसने नियम के विरुद्ध ये छोटा-मोटा अतिरिक्त निर्माण कर दिया। लड़ाई उसकी उस व्यक्ति से है और नगर परिषद् या स्थानीय निकाय के कंधे पर बंदूक रखकर उसका नुकसान पहुंचाने का काम, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको हर नगर परिषद् में मिल जाएंगे। छोटी गलती की, छोटी कमी रखी, सीधे ही बिल्डिंग सीज और एक बार बिल्डिंग सीज हो गयी, जिसका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, उसकी पीड़ा, वह हम जन-प्रतिनिधियों को समझ नहीं होगी कि अनावश्यक ऐसे प्रकरण जिसमें किसी की निजी दुश्मनी के चलते किसी की शिकायत हुई है और मामूली-सी अनियमितता है, तो ऐसे प्रावधान भी लेकर आना कि हम नियमों में छूट देकर, क्योंकि हम कई बार कह देते हैं कि एक फुट तोड़ दो, एक फुट तोड़ना भी मामूली बात नहीं होती, एक फुट टूटता है तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरती है। ऐसे कोई प्रकरण हों, जो बिल्डिंग्स सीज हैं, उनके लिए विशेष तौर से, मैं उनकी बिलकुल पैरवी नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि दुश्मनी के कारण शिकायत हुई और शिकायत के कारण उसकी बिल्डिंग जो करोड़ों रुपये की है, वह कई महीनों से बंद पड़ी है। ऐसे प्रकरणों में भी शिथिलता दें, आप इतनी उदारता दिखा रहे हैं, इतनी शिथिलता दिखा रहे हैं। आप कानून लाए, आपकी मंशा अच्छी है। हो सकता है कि कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। परन्तु हजारों लाखों ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा जो वाकई में फायदे के हकदार कभी के थे परन्तु आज तक उनको फायदा नहीं मिला। ऐसे लोगों को फायदा मिलेगा, इसमें शक नहीं है।

ऐसे प्रकरण जिसमें अनावश्यक आपके अधिकारियों की कोई न कोई खुन्दक की वजह से उसका काम बंद पड़ा है या उसका पट्टा या प्रकरण अटका हुआ है, तो उसमें भी आप थोड़ा-सा निर्देश दे दें। जो बाबू आपका काम नहीं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करता है, आपके नियमों की पालना नहीं मानकर अपनी मनमानी से जिसका चाहे उसका काम कर दें, जिसका चाहे उसका काम रोक दिया, तो उनको भी किसी न किसी दायरे में आप ले आएं। कानून तो आप बना ही रहे हैं तो उनको भी दायरे में ले आना क्योंकि पहले भी आपने काम की गारंटी का अधिकार का एक कानून बनाया, उसका क्या हश्र हुआ, आप और मैं गवाह हैं। वाकई में धूल खा रहा है। काम की गारंटी मिलनी चाहिए। एक नहीं पचासों प्रकरण होंगे जिनका अभी-भी कुछ नहीं हुआ। आप उस अधिकारी-बाबू के जिम्मे इतना बड़ा काम देने जा रहे हैं, उसको भी इस कानून के दायरे में लाकर यदि वह सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करता है तो उसको भी कम से कम सज़ा का प्रावधान देना, सिर्फ बेचारे भूखण्ड मालिक को नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहूंगा कि आप एक अधिकार क्षेत्र तय कर दें। आपके नगर परिषद् और यूआईटी का अधिकार क्षेत्र है। आपका अभियान चलेगा। मेरा आपसे आग्रह रहेगा नगर परिषद् सीमा में जो भी प्रकरण हैं, पट्टे के ईजाद के, वह सारा काम नगर परिषद् के जिम्मे है और यूआईटी नगर परिषद् सीमा को छोड़कर जो बाकी के काम हैं, क्षेत्र हैं, वहां पट्टे देने का अधिकार आपकी यूआईटी को है। पाली में ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रकरण हैं कि नगर परिषद्, पाली के हक में 90ए की कार्यवाही हो गयी, नगर परिषद् उसकी मालिक बन गयी, परन्तु किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से उस समय जो प्लेंटेबल सर्वे होकर नक्शा पास होना था, उसमें कहीं चूक हो गयी। अब न तो यूआईटी पट्टे बना रही है और न नगर परिषद् पट्टे बना रही है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इसलिए कम से कम ऐसे प्रकरण जो हैं, तो नगर परिषद् क्षेत्र में सारे के सारे अधिकार नगर परिषदों को, आपने कुछ जगह दिए हैं...

श्री सभापति: श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): और नगर परिषद् के बाहर के जो क्षेत्र हैं, वहां मैंने जो कमियां बताई हैं, सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा कि इन कमियों को दूर करके आप ये संशोधन लाएंगे तो हो सकता है कि जनता का ज्यादा हित होगा। आप जल्दीबाजी में ये लेकर आ गये तो कई लोग वंचित

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रह जाएंगे। इसलिए 6 महीने के लिए इस बिल को परिचालित करने का श्रम करें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं जिन कारणों से ये संशोधन लाया हूं, उन कारणों पर मैं विस्तार से बोलना चाहता हूं कि वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जिनका कि नगरीय क्षेत्रों में आबादी या नोन-एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर अपना अधिकार है और वह काबिज भी हैं किंतु उनके पास पट्टा नहीं है। अब पट्टा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को उस भूमि पर अपने अधिकार समर्पित करने पर, अपने जितने भी अधिकार हैं, उनको समर्पित करने के बाद उसको फ्री-होल्ड का पट्टा दिया जायेगा। ये जितने भी संशोधन लाये गये हैं, राठौड़ साहब, ये सिर्फ 2015 में आपकी सरकार के द्वारा म्युनिसिपैलिटी में 69ए जोड़ा गया था, ये उसी को देखते हुए लाये गये हैं कि वह म्युनिसिपैलिटी में तो प्रोविजन कर दिया। म्युनिसिपैलिटी में तो कितने आदमियों को आपने अपने शासनकाल में फायदा पहुंचाया, ये जनता जानती है। सिर्फ एक आदमी को मिला फायदा। सिर्फ एक को मिला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गये होंगे। लेकिन हम उस 69ए को ही यूआईटी एक्ट में, जेडीए एक्ट में, प्राधिकरणों के एक्ट में डालना चाहते हैं ताकि लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिले। जो आदमी किसी भी प्रकार से काबिज है, अधिकार है उसका और अधिकार के साथ-साथ निर्माण कार्य भी कर लिया। अगर वह अपने अधिकार सरेंडर कर देता है तो सरेंडर करने के बाद में ही तो पावर मिलेगी नगरपालिका को। नगरपालिका के खाते में एक बार चढ़ेगा तब ही जाकर नगरपालिका उसको वापस पट्टा दे सकेगी और वह भी फ्री-होल्ड का पट्टा दे सकेगी। फर्क इतना-सा ही है कि 69ए जो आपने म्युनिसिपैलिटी में जोड़ा था, वह लीज होल्ड के लिए जोड़ा था और हम उसको फ्री-होल्ड करना चाहते हैं। यह फ्री-होल्ड पट्टे की बात है।

यदि किसी व्यक्ति के पास कानूनी पट्टा है, मैं यह कहता हूं कि जो नगरीय क्षेत्र नहीं था, पंचायत थी और वह पंचायत बाद में नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गयी, कई गांव शामिल हो गये, नगरपालिकाओं में भी हो गये, यूआईटी में भी हो गये, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, अजमेर सब में हो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गये और उनके पास पंचायत का पट्टा है। अब आज तो वह आबादी की लैंड हो गयी क्योंकि वो आ गयी आपके अरबन एरिया में। उनको अब पंचायत के पट्टे की कोई रिकोग्निशन नहीं है। वह अपना पट्टा सरेंडर करके बाकायदा उसको फ्री -होल्ड पट्टा दे सकती हैं। इस कानून के तहत में जो संशोधन हम ला रहे हैं, इससे इतना बड़ा फायदा उसको होगा। लैंड होल्डर पूरा-पूरा उन लाभों का उपयोग कर सकेगा, जो कि एक फ्री-होल्डर करता है। उस दृष्टि से ही ये संशोधन लाये गये हैं।

तीसरी बात ये कि जो 43 का जिक्र आपने किया है यूआईटी एक्ट का, उसको बदलकर यह प्रावधान किया गया है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की अंतर्विष्ट यानी कि notwithstanding anything contained in the Land Revenue Act, धारा को 103 में वर्णित भूमियां जैसे सड़क, रास्ते, सार्वजनिक उपयोग की भूमियां, गोचर, श्मशान, कब्रिस्तान, सामुदायिक उपयोग की भूमियां जो टीनेंसी एक्ट में परिभाषित हैं, उनको यूआईटी में समर्पित किया है। नहीं करते तो क्या करते? आप बताइए क्या करते उन श्मशानों का? कौन रखरखाव करता उन श्मशानों की? कब्रिस्तानों का कौन रखरखाव करता? गोचर भूमि का कौन रखरखाव करता? जो सार्वजनिक उपयोग की भूमियां थीं, उनका कौन रखरखाव करता यदि यह यूआईटी में नहीं होती तो? इसके करने से कोई का भी नोटिफिकेशन निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरी बात यह है कि 103 के बाबत आपने बताया कि 103 (ए) (2) में वर्णित भूमियां यूआईटी में सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित नहीं होंगी। दु:ख इस बात का है कि चर्चा होनी चाहिए थी इस बिल के ऊपर और चर्चा हो रही है टोटल कंफ्यूजन पर। दो अक्टूबर से सरकार दस लाख पट्टे बांटने का वादा कर रही है, 5 हजार करोड़ रुपये लेने का वादा कर रही है कि जमा होगा, सारी चर्चा उस पर सिमटकर रह गई। या तो आपकी जानकारी का अभाव है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी वह कैबिनेट से निकला ही नहीं है कि किन-किन बिन्दुओं पर नगरपालिका काम करेगी, यूआईटी काम करेगी या जयपुर विकास प्राधिकरण काम करेगा। वह निकलेगा, उसके बाद में आप चर्चा करें कि यह कैसे गलत हो गया? आपने बिलकुल गलत तथ्य कहा क्योंकि जानकारी ही नहीं है आपको। गुलाब कोठारी ने, कोठारी मामले में जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नदी, नाले, अब्दुल रहमान का भी आपने जिक्र

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

किया, नदी, नाले, इकोलोजिकल, ग्रीन बैल्ट पर पट्टे दे दिए जाएंगे। कहां लिखा हुआ है? बताओ आप मुझे। जानकारी है नहीं और टप्पे मार रहे हो। भाषण लम्बा करने के लिए आपने पूरा एक्ट ही पढ़ दिया। (व्यवधान) आप रिलेवेंट भाषण बोलने के आदी हो ही नहीं। आपको अपना भाषण लम्बा कैसे करना है, चलो एक्ट ही पढ़ दो।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृदिध

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने और विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: विधेयक पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया।

मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 102 (ए) में वर्णित नज़ूल भूमि पहले से लोकल अथोरिटी के डिस्पोजल पर है। इस तरीके का प्रावधान नगरपालिका एक्ट में 68 (ए) जोड़कर किया है। म्युनिसिपैलिटी में भी जोड़कर किया है, क्योंकि जो प्रोवीजन उसमें मौजूद था वह 69 में मौजूद नहीं था, तो 68 में (ए) लगाकर जोड़ा गया है। इन प्रावधानों का लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, जैसा कि तीनों प्राधिकरणों के कानून में आज भी विद्यमान है।

जयपुर विकास प्राधिकरण म्युनिसिपैलिटी के एक्ट में, कटारिया साहब ने बोला कि साहब 250 वर्गमीटर का भूखंड आप कर रहे हो, तो यह तो प्रावधान आज भी म्युनिसिपल एक्ट में है कि 250 वर्गमीटर के अन्दर-अन्दर अपना कोई निर्माण कार्य करना चाहता है तो इसकी फीस जमा करा दे, नक्शा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पेश कर दे, उसको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना-सा किया है, इसमें सरकार को अधिकार होगा कि वह 250 वर्गमीटर की सीमा भी बढ़ा सकती है और बढ़ाने के बाद बिल्डिंग बाईलाज में जो प्रोविजन होगा, उसके अनुसार वह काम कर सकता है। क्या गलत किया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 250 वर्गमीटर का तो अभी भी है जो पहले के कानून में है। अब आप जो अधिकार दे रहे हो, उन अधिकारियों को दे रहे हो कि वह अपने मन अनुसार, उस कानून में जो भी कुछ परिवर्तन करना होगा, वह अधिकार उनको खुले हाथ से दे रहे हो। आप उसमें सीमा लगाकर, राइडर लगाकर देते तो समझ में आता कि वह सही है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि अभी तक बिल्डिंग बाईलाज से ही सारा काम चल रहा है। अब उसको अफसर का नाम दो या सरकार का नाम दो, कुछ भी दो, लेकिन बिल्डिंग बाईलाज मेरे दस्तखतों से निकलते हैं, अफसरों की चलती नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। असल में हमारी मंशा इस सीमा को बढ़ाने की है। बढ़ाने के बाद बिल्डिंग बाईलाज में प्रोविजन करेंगे कि किस तरीके से आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है कि नहीं। अभी भी हमने यह किया है कि ढाई हजार स्क्वायर मीटर की जमीन पर भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट सर्टिफाइड करता है कि यह बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार बनाई हुई है, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको नगरपालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण के पास आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट के दस्तखत होने चाहिए, ताकि अगर आर्किटेक्ट यह गलती करेगा तो उसकी सनद जब्त हो जाएगी। (व्यवधान)

दूसरी बात, जहां तक जयपुर का सवाल है, चारदीवारी हैरिटेज प्रतिबंधित के बाईलाज और नियम अलग बने हुए हैं और वहां पर वही नियम लागू रहेंगे। उन पर इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वह बिलकुल सैपरेट चीज है। उस एरिया में वही प्रावधान लागू रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण के एक्ट में अधिकारियों को नीचे से रिकार्ड मंगवाने का अधिकार था, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण में यह अधिकार नहीं था, तो यह अधिकार भी डाला जा रहा है कि, साहब, यह अधिकार मिल जाए तो बड़ा अधिकारी कोई रिकार्ड मंगाकर देख सकता है, कुल मिलाकर यह है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अब सवाल यह रह गया कि आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे हैं, हालांकि उनमें से 5 परसेंट भी इस एक्ट से रिलेटेड नहीं हैं, 95 परसेंट हवाई हवा बातें हैं, जानकारी के अभाव में आप लोगों ने इन सब चीजों को उठाया है। मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सुधारने के लिए अपना प्रस्ताव रख रहा हूं कि इसको सुधार कीजिएगा।

राठौड़ साहब, आप विधि मंत्री थे, फ्री होल्ड का प्रावधान तो आपने भी किया था, लेकिन उसके रूल्स बनाए, एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं किया। यह कितनी बड़ी गलती थी, क्या नतीजा निकला उससे, कुछ हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फ्री होल्ड किसको देना चाहते हैं, यह भी बताओ न। अधिकारियों को ...(व्यवधान) फ्री होल्ड दे रहे हो, आप जमीन लुटा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तसल्ली से सुन लीजिए, मैंने भी आपको बहुत तसल्ली से सुना है। जो-जो बातें आपने कही हैं, जानकारी के अभाव में आपने पता नहीं कहां-कहां उड़ान भर दी, उन सब को भी मैंने सुना है, तो आप मेरी बात को भी तसल्ली से पूरी सुन लीजिए। आपने एक्ट में संशोधन किए बगैर ही, वह बना, वह सब गलत था। इसीलिए हम इस कानूनी गलती को नहीं करना चाहते।

राठौड़ साहब ने और लाहोटी जी ने 69 (ए) के लिए बताया कि मैंने कहा अलवर में या पता नहीं कहां कहा जादुई धारा है। मैं तो आज भी कहता हूं कि जादुई धारा है। (व्यवधान) आज भी कह रहा हूं कि जादुई धारा है और उस जादुई धारा का आप उपयोग नहीं कर पाये लेकिन जादूगर करेगा। हम तो कहते हैं आपने 69 (ए) डाला, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया लेकिन उस पर आप काम नहीं कर पाये क्योंकि एक ही पट्टा इतना भारी मिल गया कि दूसरों पर तो निगाह पहुंची ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्यों भ्रमित कर रहे हो? हाई कोर्ट का फैसला तो बता दो जिसके कारण से रूका ...(व्यवधान) बिना मतलब क्यों भ्रमित कर रहे हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गुलाब जी कोठारी के बाबत आपने बताया, हूबहू जो जजमेंट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गुलाब कोठारी जी के पक्ष में जोधपुर हाई कोर्ट ने दिया है और जिन बिन्दुओं पर दिया है, हम इस अभियान में उसकी पूरी पालना करेंगे। न किसी नदी पर, न किसी नाले पर, न किसी जोहड, न किसी इकोलोजिकल जोन में, न ग्रीन बैल्ट में, कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का रेगुलराइजेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का आबंटन नहीं होगा। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मास्टर प्लान में भी कोई फेरबदल नहीं करोगे न?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बता दो न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मास्टर प्लान में वो ही फेरबदल करेंगे जिसका कि अधिकार हमें जजमेंट में दे दिया गया है। आप हाई कोर्ट का जजमेंट पढिए। हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा है कि मास्टर प्लान में सैक्टर प्लान बनाकर या जोनल प्लान बनाकर आप कुछ काम कर सकते हो। हम वही काम करेंगे जो निर्देश उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये हैं, हम उनकी हूबहू पालना करेंगे और मास्टर प्लान की पूरी पालना करेंगे। अब कैसे करते हैं, यह वक्त बताएगा।

(20.00 बजे)

अभी चन्द्रभानजी ने चित्तौड़ का जिक्र किया। क्या हुआ चित्तौड़ में? वहां के कलेक्टर थे गठाला साहब। गठाला साहब ने पूरे चित्तौड़ को ही वन विभाग लिख दिया। आप कुछ नहीं कर पाये, कोई डवलपमेंट नहीं कर पाये वहां का, क्योंकि वन विभाग लिख दिया। वहीं के आपके यू.डी.एच. मंत्री थे चित्तौड़ के, खूब जोर लगा लिया, लेकिन कानूनी समझ नहीं थी, इस वजह से कुछ नहीं कर पाये।

आपने नगर मित्र की बात की। अब नगर मित्र के लिये बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकला है और उनकी क्वालिफिकेशन निकली है कि कहां से तो उन्होंने डिग्री प्राप्त की है टैक्निकल इंजीनियरिंग की, कहां से डिप्लोमा प्राप्त किया है, कहां से वह आर्किटेक्ट का प्राप्त किया है, कहां से वह ड्राफ्ट्स्मैन बने, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है। आपने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कह दिया, साहब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नगर मित्र बना देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता तो आलरेडी नगर मित्र हैं, आलरेडी हैं, वह ग्रामीण मित्र भी हैं और यह भी हैं। आप पंडे-पुजारियों में ही उलझे हुए हो।

अभी सीनियर ड्राफ्ट्स्मैन की भर्ती की जा रही है, जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है, ए.टी.पी. की भर्ती की जा रही है। जहां-जहां भी पद अवेलेबल नहीं हैं, वहां पर ए.टी.पी. लगा दिये जाएंगे। जहां-जहां पर भी इंजीनियर, जैसे रामलालजी ने कहा कि हमारे यहां स्टाफ पूरा नहीं है, पूरा लगा दिया जाएगा और फिर भी अगर कोई स्टाफ नहीं पहुंचता है तो उनको अधिकार दे दिया गया है। छोटी से छोटी नगरपालिका को अधिकार दे दिया गया है, जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर के नगरपालिका तक, कि वह किसी भी रिटायर्ड आदमी को जो पटवारी रहा हो, कानूनगो रहा हो, तहसीलदार रहा हो, वगैरह-वगैरह, जो रेवेन्यू लॉज में समझता हो, उसको संविदा पर ले सकते हैं। उनको अधिकार दे दिया। उस पर राज्य सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।

लाहोटीजी ने कहा कि आबंटन की दरें बताओ। जब आबंटन का कागज निकलेगा कि किन दरों पर, किन-किन बिंदुओं पर लाभ दिया जायेगा तो दरें आपको अपने-आप पता लग जाएगी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): चले गये लाहोटीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चले गये क्या?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): हां।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां तो, ये जवाब नहीं सुनते हैं।

यह भी कहा, साहब, कि आबंटन की दरें बताओ। छोटे अधिकारियों को आप अधिकार दे रहे हैं। यह कटारिया साहब ने भी कहा कि अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे और वह अधिकारी भी ये हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर नगरपालिका में, हर नगर परिषद् में, हर नगर निगम में, हर प्राधिकरण में, हर नगर विकास न्यास में बाकायदा एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन वहां का चेयरमैन होगा। जो म्युनिसिपैलिटी का इलैक्टेड चेयरमैन है, वह बाकायदा उसका अध्यक्ष होगा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और उस एम्पावर्ड कमेटी में पांच मैम्बर होंगे। टाउन प्लानर भी होगा, एक इंजीनियर, जो सीनियर इंजीनियर है उस नगरपालिका में, वह होगा, ई.ओ. होगा या कमिश्नर होगा, जो भी होगा, इन पांच आदमियों के फैसले पर यह सारा का सारा काम होगा। गर्ग साहब ने कह दिया कि, साहब, ई.ओ. के दस्तख्तों से आप पट्टा दे दोगे। आप गलत कह रहे हैं, आपकी जानकारी नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सर्कूलर है आपका।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराज जाओ। मैं जो कह रहा हूं आप उसको मान लो। यह विधान सभा है, जहां मैं बोल रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सर्कूलर है आपका।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह विधान सभा है, जहां मैं बोल रहा हूं। अगर गलत बोलूंगा न तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ले आना।

श्री सभापति: माननीय, विराजिये, प्लीज। (व्यवधान) प्लीज, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस अभियान के दौरान बाकायदा हर पट्टे पर चेयरमैन के दस्तख्त होंगे और ई.ओ. के दस्तख्त होंगे। लेकिन एक शर्त पर, अगर 15 दिन के अन्दर-अन्दर, ई.ओ. ने तो दस्तख्त कर दिये, एक जनवरी को मान लीजिये उसने दस्तख्त कर दिये, लेकिन 15 जनवरी तक अगर चेयरमैन ने दस्तख्त नहीं किये तो फिर ई.ओ. के दस्तख्तों से पट्टा जारी हो जायेगा। क्योंकि कई बार हम जानते हैं, पोलिटिकल आदमी है, आप भी हो, हम भी हैं पोलिटिकल आदमी, किसी को पट्टा नहीं देना है तो रगड़ मार दिया, दस्तख्त नहीं करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): उनके चेयरमैन ही नहीं छोड़ेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): उनके चेयरमैन ही नहीं छोड़ेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, नहीं छोड़ेंगे, आप ठीक कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमिश्नर तो राजा हरिश्चन्द्र का बेटा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी तो बीच में एक बात और उड़ गई कि, साहब, निगम का, जयपुर नगर निगम में लाइसेंस का, किसने किया था प्रोविजन लाइसेंस का! किसने किया था? यह आप ही की चेयरमैन सौम्या गुर्जर के दस्तख्तों से हुआ? कानूनी तौर पर नगरपालिका कोई भी बाईलाज बनाती है तो उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार की इजाजत लेने के बाद में ही वह लागू होता है, लेकिन न तो सरकार में कागज भेजा गया, इजाजत का तो सवाल ही नहीं है। यह सौम्या गुर्जर का बनाया हुआ है, जिसको हमने रोका।

धर्मनारायण जी जोशी साहब ने कहा कि दरें बताओ, वर्ष बताओ। वर्ष भी निर्धारित होगा, दरें भी निर्धारित होंगी। लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद में ही यह सब कुछ हो पायेगा, वह जनता के सामने आ जाएगा। उस वक्त आपको भी पता लग जायेगा उस वक्त।

ई.ओज. की भर्ती हो रही है, 600 फायरमैन की भर्ती हो रही है, जे.ईएन. की भर्ती हो रही है। 250 से ज्यादा जे.ईएन. की भर्ती की जा रही है। इन सब चीजों को ले करके, क्योंकि अभियान कोई दो रोज का तो है नहीं कि दो रोज बाद में खतम हो जाएगा, अभियान तो लम्बा चलेगा और ये सब भर्तियां नवम्बर तक खतम हो जाएंगी, अक्टूबर-नवम्बर तक सब खतम हो जाएंगी और सब की पोस्टिंग्स भी हो जाएगी।

अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है, इसलिए हमने नगर मित्र बनाया कि नगर मित्र का काम होगा कि बाकायदा वह उससे फार्म भरवाये, जो आवेदक है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नगर मित्र की जो फीस निर्धारित की है, वह भी बता दीजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नगर मित्र के लिये आपने जो फीस निर्धारित की है न वह भी बता दें, ताकि पता लग जाए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप नई संस्कृति पैदा कर रहे हैं व पैरवी और कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बता दें, हमने तो कोई निर्धारित की नहीं है, आप बता दें। मैं फिर कह रहा हूं, हमने कोई निर्धारित नहीं की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वे फ्री सेवा करेंगे फिर, यह कहें न। नहीं, यह कहें न फ्री सेवा करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बिलकुल लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बताओ न आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बिलकुल लेंगे। लेकिन निर्धारित करेंगे, की नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इसलिए नहीं करेंगे कि आप लाइसेंस दे रहे हैं, दलालों को लाइसेंस दे रहे हैं। आप इसलिए नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): असल में तो ये 10 लाख पट्टे देने के लिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): डिबेट थोड़ी हो रही है, बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): असल बात तो यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जमीन लुटा रहे हो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है मेरे। जमीन लुटा रहे हो और दलालों के मार्फत लुटा रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ...(व्यवधान) को चोर समझते हो सबको ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक तरफ तो आप कहते हैं कि, साहब, स्टाफ की कमी है और दूसरी तरफ आप कहते हैं इतने कम स्टाफ से काम कैसे होगा। अब वे काम करने के लिए नगर मित्र हमने बनाये तो उनको आप दलाल कहने लग गये। खैर जो भी है, दलाल होंगे तो साबित हो जाएगा। नहीं होंगे, काम अच्छा करेंगे तो प्रमाण-पत्र मिलेगा बाकायदा। आज सारे काम कम्प्यूटर पर जा करके, आज भी, सारे काम कम्प्यूटर पर जा करके ई-मित्र के जरिये करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? करवाते हैं? तो उसी तरीके से, उसी तर्ज पर वैल क्वालीफाइड आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स उनको एक निर्धारित प्रक्रिया अपना करके नगरपालिका में एम्पैनलमेंट किया गया है। बाकायदा विज्ञापन निकाल करके, उनकी क्वालिफिकेशंस देख-देख करके उनको अपाइंट किया गया है, जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ भी हैं, जो पट्टे का नक्शा भी बनाएंगे, जनता की मदद करेंगे और फीस, अधिकतम कार्यवार फिक्स की गई है। फिक्स की जाएगी, सॉरी, की नहीं गई है, की जाएगी।

फिर भी यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर एप्लाई करे और नगर मित्र के पास जाना जरूरी न समझे तो न जाए। ऑनलाइन कर ले, ऑफलाइन कर ले, नगर मित्र की अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो। नगर मित्र की अगर आवश्यकता है तो उससे नक्शा बनवा ले। नक्शा बनवा करके उसके साथ जा करके नक्शा पेश करवा दे। पेश करवा करके आगे की कार्यवाही करवा लेवे। यदि गलती करेगा तो हटाने का प्रोविजन भी है, कोई पक्की नौकरी थोड़ी है उसकी। शिकायत आएगी तो हटाएंगे।

यह सब बातें आपके सामने हैं। यह इसीलिए आवश्यक समझा गया, 69(ए) में जो म्युनिसिपैलिटी के प्रोविजन जो आपने 2015 में किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, निश्चित तौर पर मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि जिस भावना से किया गया हो लेकिन उसका लाभ कितना मिला, कितना नहीं मिला, इसकी बात तो छोड़िए आप, लेकिन उसी 69(ए) को इनमें डालने के लिए यह सारे प्रोविजन किये गये हैं कि वह यू.आई.टी. एक्ट में भी चली जाए, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण में भी चली जाए और वहां पर भी वह के वह फायदे उसको उस तरह से मिल जाएंगे। उसके बाकायदा नियम बनाये गये हैं कि किस तरीके से फायदा होगा और किस तरीके से नहीं होगा। लेकिन यह बात मैं साफ आपसे फिर दुबारा पुन: कहता हूं कि जनता को भ्रमित मत करो, बहकाओ मत, यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वक्त बता देगा कि हमारे अभियान में वाकई लोगों को लाभ मिला या नहीं मिला, यह वक्त बता देगा। लेकिन फिर मैं दोबारा आपसे यह कह रहा हूं कि जो जजमेंट जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा गुलाबजी कोठारी के फेवर में दिया गया था और जिन शर्तों को उन्होंने आपको अलाउ किया था, उन्हीं मास्टर प्लान के तहत में यह सारा का सारा काम होगा। न नदी पर, न नाले पर, न जोहड़ पर, न आपके किसी ग्रीन बैल्ट पर, न किसी इकोलॉजिकल पर कोई पट्टा दिया जाएगा। कोई रेगुलाइजेशन या आबंटन नहीं होगा और इसमें तो रेगुलाइजेशन है ही नहीं, इसमें तो आबंटन ही आबंटन है, सरकार का अधिकार है। सरकार आपको एक रुपये में भी दे सकती है पांच करोड़ रुपये की जमीन और सरकार का यह अधिकार है कि आपको वह फ्री में भी दे सकती है।

आज अगर बने हुए मकान को, बना हुआ है 20 साल पहले से, वर्ष निर्धारित करने के लिए जोशी साहब ने पूछा, तो वर्ष की जानकारी आपको आ जाएगी कि इस वर्ष तक अगर जो वहां पर मकान बना हुआ है तो वह जमीन कैसी भी हो, किसकी भी हो लेकिन बना हुआ है और रिहायश हो रही हो, अगर वह पट्टा मांगता है तो उसको पट्टा दिया जाएगा और यही 69(ए) की मंशा थी आपकी, उसी 69(ए) को हमने इसमें डाला तो क्या अपराध कर दिया?

अब सवाल यह है कि इस एक्ट की धारा का और इसकी मंशा को तो आप समझ गये सब लोग लेकिन बोलने के लिए कुछ था नहीं तो अभियान पर चले गये आप और अभियान अभी चालू ही नहीं हुआ। अभियान अभी फाइनल ही नहीं हुआ कि किन-किन बिंदुओं पर लोगों को लाभ दिया जाना है। मामला कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जाकर कैबिनेट क्या काट-छांट करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, फाइनल आर्डर देगी, उसके बाद पता लग पाएगा जनता को कि, साहब, किन बिंदुओं पर किस व्यक्ति को पट्टा दिया जाएगा, फ्री होल्ड का पट्टा दिया जाएगा और क्या-क्या काम किये जाएंगे। यहां पट्टे के अलावा भी इसमें कई काम हैं इस अभियान के दौरान, सिर्फ पट्टे का ही काम नहीं है।

यह सब बातें आपके सामने हैं, तो मेहरबानी करके मेरा आपसे यही निवेदन है, आपने धारा 43 की भी बात करी, आपने उसकी भी बात करी धारा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

68 की, 68 में जो 68 (ए) जोड़ा, उसके बारे में भी बात की, उसके बारे में मैं आपको बता चुका। 102 और 103 के बारे में भी आपने जिक्र किया, लैंड रेवेन्यू एक्ट का, उसके बारे में मैं सारी बातें बता चुका हूं तो निवेदन यह करता हूं कि इसको, ...(व्यवधान) ठीक है, साहब?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री धारीवालजी, पारित करवाइये।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 सितम्बर 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.16 बजे मंगलवार, दिनांक 14 सितम्बर 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

निगम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिणधरी-सिवाना के ग्राम/ढाणियों में पेयजल उपलब्धता हेतु बजट प्रावधान

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड सिवाना और सिणधरी के लिए पेयजल की योजना 2004 में बनी थी जिसको पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2012 तक रखा गया था, लेकिन आज दिन तक यह योजना अपूर्ण पड़ी है। पोकरण-फलसूंड-बायतु-बालोतरा-सिवाना जल परियोजना में सिवाना के 101 गांव और सिणधरी के 56 गांव उस समय योजना में प्रस्तावित थे। सिवाना क्षेत्र के ही सिणधरी उप खंड के 13 गांव नर्मदा प्रोजेक्ट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अभी तक 18 वर्षों में एक भी गांव को पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। आज के समय में बरसात कम होने से जो गांव बरसाती पानी पर निर्भर हैं उनमें आज भी पानी नहीं है। पानी परिवहन निजी टैंकरों से किया जाता है, वो भी अब नहीं हो सकेगा क्योंकि भूमिगत जलस्तर रसातल में चला गया।

पेयजल को लेकर मेरे क्षेत्र में भयानक स्थिति बन गयी है। सिवाना मुख्यालय पर आमजन के द्वारा पेयजल के लिए पिछले 200 दिनों से धरना चल रहा है लेकिन अभी तक उक्त योजना को लेकर कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाये जा रहे। इन दोनों योजनाओं में अधिकारी भी नाम मात्र के ही लगे हैं या है ही नहीं, सभी पद खाली है। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में एक रुपया भी इन योजनाओं पर खर्च नहीं किये जाने से मेरे क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है यह योजना द्रोपदी का चीर बन गयी है। नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले गाँवों की और कभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है योजना प्रस्तावित करने के बाद से अब तक इसमें किसी भी प्रकार का धन व्यय नहीं हुआ है। पोकरण-फलसूंड-सिवाना योजना में अलग-अलग फेज में कार्यों की स्वीकृतियां होने से गांवों में उच्च जलाशय, पाइप लाइन डालने जैसा काम हुआ है वो भी व्यर्थ ही पड़ा है। अब जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये सरकार द्वारा स्वीकृत किये हैं लेकिन पानी कहां से आयेगा? जब तक योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा तब तक पीने का पानी गांवों तक नहीं पहुंच सकेगा।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना क्षेत्र के उपखंड सिणधरी, सिवाना में जो भी राजस्व गांव, ढाणी, ग्राम आते हैं उनमें पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पोकरण फलसूंड-बायतु बालोतरा-सिवाना परियोजना और नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े गाँवों के लिए विशेष बजट प्रावधान के साथ ही कार्य को तुरन्त प्रभाव से शुरू करवाने की ओर कदम उठाये जायें और नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े 13 गांवों को हो सके तो बाड़मेर लिफ्ट परियोजना से जोड़कर रहत प्रदान करावें।

सधन्यवाद

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

कोरोना काल के दौरान दिवंगत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी सहायता

महोदय, निवेदन है कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान प्रदेश भर में काफी लोग कोरोना संक्रमित होने के कारण काल कवलित हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान केन्द्र सरकार ने देशभर में एवं अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से काल कवलित हुए लोगों के आश्रित बच्चों एवं उनकी विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता राशि सहित तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की है, जिसमें हमारे प्रदेश में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी तत्काल 01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत मुफ्त राशन सामग्री सहित कई प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जो सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य है परन्तु यह जानकारी में आया है कि राज्य सरकार केवल उन्हीं लोगों को कोरोना मृतक मान रही है जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोविड होना बताया गया है अथवा जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होना पाया गया था।

यहां मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रदेश में आईसीयू बैड्स की कमी चल रही थी और होम आइसोलेशन किया जा रहा था तो अधिकांश लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उन्होंने या तो निजी चिकित्सालय में इलाज लिया अथवा घर पर ही होम आइसोलेशन में रहे और उनकी मृत्यु हो

गई, जिससे न तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि की गई और न ही उनके पास आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट थी। कई लोग ऐसे भी थे जो तत्कालीन परिस्थितियों की भयावहता के कारण जांच कराने से भी डर रहे थे और घर पर ही इलाज ले रहे थे और मृत्यु हो गई। ऐसे तमाम तरह के दिवंगत लोगों को राज्य सरकार की सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए सभी लोगों को कोरोना मृतक मानकर अथवा सोशल आडिट करवाकर अथवा पड़ौसियों के शपथ पत्र को आधार मानकर उन्हें कोरोना मृतक मानकर उनके आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को सभी सरकारी सहायता उपलब्ध करावें ताकि बेसहारा गरीब लोगों को जीवनयापन में मदद मिल सके। धन्यवाद।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

मावली में चीरवा घाटे में स्थित फूलों की घाटी में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की लेखापरीक्षा

मान्यवर, मावली विधान सभा क्षेत्र में चीरवा घाटे में स्थित फूलों की घाटी में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में मैंने विधान सभा के छठे सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 1777 पूछा था, जिसके उत्तर में मुझे बताया गया है कि फरवरी, 2017 से अब तक विभिन्न मदों से 62.41 लाख रुपये राज्य सरकार ने व्यय किये हैं। उत्तर में मौके पर विभिन्न किस्म के 6090 पौधे लगाना बताया गया है। प्रश्न के उत्तर में मौके पर 90 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित होना बताया गया है, लेकिन अत्यन्त क्षोभ का विषय है कि दिनांक 02.09.2021 को मुझे मौके का जायजा लेने के दौरान स्थिति विपरीत मिली। मौके को देखकर मुझे महसूस हुआ है राज्य कोष के धन का दुरुपयोग किया गया है, जो जांच का विषय है। राजकीय कोष से साढ़े बासठ लाख रुपये की धनराशि फूलों की घाटी चीरवा में व्यय होने के बाद भी वहां फूलों की घाटी जैसा दृश्य नहीं है। केवल नाम मात्र रह गया है।

मैं मौके पर गया तो देखा कि फूलों की घाटी का प्रबंध वन सुरक्षा समिति करती है। समिति के अध्यक्ष आनंदी गमेती भी संयोग से मौके पर

मिले। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, मुझे आठ हजार मासिक वेतन मिलता है। मांगीलाल वन विभाग के कर्मचारी, वो सचिव हैं। कोई कर्मचारी समिति का सचिव कैसे हो सकता है। यह समिति स्वयं में जांच का विषय है। मेरी मांग है राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि के अलावा इस समिति के आय-व्यय की भी जांच कराई जायें और सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।

धर्मनारायण जोशी

(मावली)

आमेर व जालसू पंचायत समितियों में ईसरदा बांध परियोजना से पेयजल की आपूर्ति

महोदय, राजस्थान के बजट घोषणा वर्ष 2021 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 178 के क्रम में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण में जयपुर जिले के चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर एवं शाहपुरा तहसील को सम्मिलित किया है, साथ ही इनकी डीपीआर बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। मुझे यह खेद है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों को इस परियोजना से पूर्णतया वंचित रखा गया है। चूंकि इस परियोजना में जयपुर जिले के लगभग 1394 गांव, 7 ब्लाक एवं 7 कस्बे सम्मिलित किये गये हैं। साथ ही यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रस्तावित परियोजना आमेर विधान सभा क्षेत्र से होकर ही गुजरेगी।

मुझे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी व्यथा बताई है, विशेष तौर से पंचायत समिति आमेर एवं जालसू के अधिकांश गांव जिनका भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे वहां पेयजल का गम्भीर संकट बना हुआ है। मैंने इस संबंध में राज्य सरकार को अवगत भी कराया है। मुझे आमेर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से राज्य सरकार से अनुरोध करना है कि आमेर एवं जालसू पंचायत समिति को भी इस परियोजना से जोड़ा जाकर आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किया जाये। अतः मैं उक्त के संबंध में विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

सतीश पूनियां

(आमेर)

आसीन्द के गुलाबपुरा स्थित स्पिनफैड मिल में कार्यरत कार्मिकों का समायोजन

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका क्षेत्र गुलाबपुरा में स्थित स्पिनफैड मिल गुलाबपुरा के कार्मिकों का अब तक समायोजन नहीं हो पाया एवं अभियोजन विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, जिनकी हर 06-06 माह पश्चात् अवधि बढ़ा दी जाती है। कार्मिकों को अभियोजन विभाग में ढाई वर्ष की अवधि से भी ज्यादा हो चुके हैं, वेतन के नाम पर मात्र 8,500/- रुपये दिये जाते हैं, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण करना भी सम्भव नहीं है। अभियोजन विभाग द्वारा अधिकतर कार्मिकों को अपने गांव से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है और अन्य जिले में भी प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, जिससे प्राप्त कम वेतन का पैसा आने-जाने में ही खर्च हो जाता है। ऐसे कार्मिक जिनकी प्रतिनियुक्ति जिले से बाहर की गयी है, उन समस्त कार्मिकों को वापस जिले में लगाया जावे और सभी कार्मिकों का समायोजन कराया जावे।

महोदय जी, दिनांक 25-02-2021 को गंगापुर स्पिनफैड इकाई के 135 श्रमिकों के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समायोजन किये जाने के आदेश किये गये हैं, लेकिन गुलाबपुरा इकाई के 124 श्रमिकों के अभी तक भी समायोजन के आदेश जारी नहीं किये गये, जिससे श्रमिकों में आवेश व निराशा देखने को मिल रही है। जबकि दोनों स्पिनफैड एक ही जिले में होने के पश्चात् भी गंगापुर का समायोजन किया गया परन्तु गुलाबपुरा स्पिनफैड का नहीं। मेरे विधान सभा की इकाई के श्रमिकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया, यह मेरी समझ से परे है और बड़े ही दुःख का विषय है। इससे सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

अत: मेरा निवेदन है कि गंगापुर स्पिनफैड के आदेश अनुसार नवीन आदेश जारी करवाकर गुलाबपुरा इकाई के शेष बचे श्रमिकों का समायोजन कराने की कृपा करवायें। इससे स्पिनफैड के गरीब श्रमिकों को राहत मिल सकेगी।

जब्बर सिंह सांखला

(आसीन्द)

पचपदरा की नहरी परियोजना में कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता के रिक्त पद

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में तहसील पचपदरा जिसकी 2011 के अनुसार जनसंख्या 4 लाख 23 हजार लोगों एवं 2017 की पशु गणना के अनुसार 52 लाख पशुओं को पानी उपलब्ध करवाने के लिए मेरे क्षेत्र पचपदरा के 118 गांवों को नहरी परियोजना (पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद पेयजल योजना, उम्मेदसागर एवं 3 गांव बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से जुड़े हैं, एवं 53 गांवों के स्थानीय स्रोतों एवं अन्य गांवों को परिवहन हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैलों से जोड़ कर पेयजल योजना से जोड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना के दो खण्डों, रेगुलर के एक खण्ड में 6 सहायक अभियन्ता एवं 4 कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं। साथ ही विभागीय मानदण्डानुसार आवश्यक तकनीकी स्टाफ के बदले महज 20 प्रतिशत कार्मिक ही कार्यरत हैं। नहरी परियोजना पोकरण-सिवाना में संतरा भाखरी से सिवाना के काठाडी उधर पायलाकला तक की लगभग 187 किमी लम्बाई में पाइपलाइनों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण हेतु महज एक अधिशासी अभियन्ता ही कार्यरत है। उनके पास एईएन, जेईएन, बाबू और चपरासी तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा। उम्मेद सागर और बाड़मेर लिफ्ट की भी यही स्थिति है।

इधर कुदरत ने कहर ढाया है। बरसात नहीं हुई है चारों और पानी की त्राहि-त्राहि मची है। सिवाना में 200 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। आये दिन पाइपलाइन फूटने से 10-15 दिनों तक नहरी पानी नहीं मिल पाता। इसलिए मानव एवं पशुओं के पानी के लिए व्यवस्था हेतु मेरी मांग है कि पहले तो परियोजना एवं रेगुलर के सभी रिक्त पदों को भरें एवं पानी के मामले को जिला प्रशासन अपने हाथ में लेकर परियोजनाओं के रख-रखाव एवं निगरानी हेतु लेबर महानरेगा, डीएमएफटी या अन्य विभागीय योजना से उपलब्ध करावें, टैंकरों के पानी परिवहन की भी व्यवस्था करावें। परियोजना के 4बी में प्राथमिकता पर रेलवे विभाग से अनुमति प्राप्त कर मूगडा, पचपदरा, उमरलाई आदि, वरिया से टापरा, जागसा, बिठूजा-कनाना एवं आसोतरा-किटनोद को जोड़ा जावे। छोर के गांवों तक पानी पहुंचाने हेतु अभियान चलाकर पुलिस की निगरानी में अवैध कनेक्शन काटे जाएं एवं दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। यदि उक्त व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से

बाहर हो सकती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उक्त समस्याओं के समाधान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को पाबन्द कर जनता को पानी उपलब्ध करावे।

मदन प्रजापत

(पचपदरा)

रामगढ़ (अलवर) में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्थित क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण निकलने वाले वाहनों तथा राहगीरों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। बारिश के दिनों में पानी सड़कों में हो रहे गड्ढों में भरा रहता है, जिसके कारण यहां घण्टों तक जाम भी लग जाता है। इन सड़कों के गड्ढे इतने गहरे हैं कि कभी-कभी यहां से निकलने वाली गाड़ियां भी पलट जाती हैं।

हनुमान सर्किल, अलवर से नौगांवा बोर्डर पर तो अभी हाल ही में सड़क निर्माण कार्य हुआ है, परन्तु यह सड़क इतनी जर्जर तथा इस पर इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि यहां से निकलने वाले वाहन कभी-कभी पलट भी जाते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाये जाने की कृपा करें:-

1. हनुमान सर्किल, अलवर से नौगांवा बोर्डर तक।
2. बगड का तिराहा से जालूकी (भरतपुर) तक।
3. रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से ललावडी तक।
4. नौगांवा से मुबारिकपुर तक।

धन्यवाद।

श्रीमती सफिया जुबेर

(रामगढ़)

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से नामों की कटौती लाभार्थियों की सूची का नोटिस बोर्ड पर अभाव

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को पक्के मकान

उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति छबड़ा की तत्कालीन विकास अधिकारी, सविता राठौड़ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र गरीब व्यक्तियों के नाम लाभान्वित/पात्रता सूची में से काट दिये गये हैं। इसके अलावा लाभार्थियों की सूची को पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र के आमजन को इसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। क्षेत्र के लोग पंचायत समिति कार्यालय में पात्रता सूची की जानकारी के लिए जाते हैं तो अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाकर उन्हें टालमटोल करके वापस भगा दिया जाता है। लाभार्थी एवं आमजन जानकारी के अभाव में इधर-उधर भटकते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में कई दलाल प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के नाम पर गरीब लोगों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु लाभार्थियों की सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी चाहिए. ताकि लाभार्थी अपना सहमति पत्र भरकर प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास का लाभ उठा सके।

निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में से तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा मनमानी कर पात्र लोगों के नाम काटे जाने एवं लाभार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं करने संबंधी क्रियाकलापों की जांच किए जाने हेतु विभाग को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।

प्रताप सिंह

(छबड़ा)

सांगानेर की कालोनियों में सीवरेज व नाली निर्माण कार्य

महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांगानेर जयपुर में सैकड़ों कालोनियों, जिसमें रामपुरा रोड़, कमला नेहरू नगर, केसरीचंद चौधरी नगर, जयसिंहपुरा रोड, भांकरोटा, माल की ढाणी, भौम्या जी का चबूतरा, टिब्बा टोल टैक्स की कालोनियां, मदरामपुरा, सांगानेर मुख्य बाजार, पृथ्वीराज नगर, मानसरोवर व प्रताप नगर क्षेत्र में लाखों लोग निवास कर रहे हैं। अधिकांश कालोनियों/ बाजारों में सीवरेज व नालियां नहीं होने के कारण भयंकर पानी भर जाता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में या तो सीवरेज व नालियां हैं ही नहीं या बहुत पुरानी हैं, जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी

हैं। पृथ्वीराज नगर सहित सैकड़ों कालोनियों में हजारों करोड़ रुपये नियमन के रूप में जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा है, परन्तु टेण्डर नहीं किये जा रहे, लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इनमें सीवरेज लाइनें व नालियां बनाने का कार्य अविलम्ब करवाया जाये तथा जहां वर्षों पुरानी लाइनें हैं, वहां आबादी के अनुसार नयी सीवरेज लाइनें डलवायी जाएं।

अतः स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

अशोक लाहोटी

(सांगानेर)

उदयपुर पुलिस प्रशासन द्वारा आदिवासी संगठनों को डराना व धमकी

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा समस्त थानाधिकारी को पत्र लिखकर कहा गया है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी व अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासियों की जायज/नाजायज मांगों को लेकर आदिवासी समाज को बरगलाया जा रहा है और 24 सितम्बर कांकरी डूंगरी काण्ड की वर्षगांठ आ रही है और यह लोग उक्त प्रवृत्ति की हरकतें कर सकते हैं। इस तरह के आदिवासी समाज पर आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की है। इस तरह समुदाय विशेष को लोगों के लिए पत्र जारी करके बदनाम कर आदिवासी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन खौफ का माहौल बना रहा है और क्षेत्र के कुछ पुलिस अधिकारी भारतीय ट्राइबल पार्टी व अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों की सूची बनाकर उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का इस तरह का पत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतम करता है और उक्त पत्र राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सरकार इस पत्र को वापस ले और आदिवासी संगठनों से सरकार का प्रतिनिधि मण्डल मिलकर चर्चा करे और आदिवासी क्षेत्र के हित में समाधान निकाले।

राजकुमार रोत

(चौरासी)

मुण्डावर के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों का ईसरदा बांध परियोजना के सर्वे में सम्मिलन

मान्यवर जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.02.2021 को बजट घोषणा के बिंदु संख्या 178 में ईसरदा बांध से अलवर जिले की पंचायत समिति उमरेन, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर के 4 कस्बों तथा 1061 ग्रामों की पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। उसी क्रम में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्तर्गत पंचायत समिति मुण्डावर के 146 तथा नीमराणा के 36 ग्राम आते हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अंतर्गत 3 बड़े कस्बे मुण्डावर, नीमराणा, शाहजहांपुर आते हैं, जिनमें नीमराणा तथा शाहजहांपुर के औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़े हैं, जहां करीब 25,000 से अधिक बाहर की आबादी निवास करती है। उक्त क्षेत्र में भूजल बिलकुल खतम हो चुका है। पंचायत समिति मुण्डावर के पहाड़ी क्षेत्र में भूजल की स्थिति भी भयावह है तथा 1000 से 1500 फीट गहराई की बोरिंग खोदने के बावजूद भी वर्तमान में पानी नहीं मिल रहा है। उक्त क्षेत्र परियोजना में शामिल बानसूर क्षेत्र से लगता हुआ है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए उक्त योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के 182 ग्रामों का सर्वे करवाने का श्रम करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के इन गांव को उक्त परियोजना में जोड़कर मुझे व जनता को अनुगृहित करें।

मंजीत धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

कोटा शहर की जीर्णशीर्ण व बदहाल सड़कें

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में पिछले 2 सालों में विकास के नाम से शोर तो बहुत किया जा रहा है किन्तु शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गलीमौहल्ले

तक की टूटी हुई व जीर्णशीर्ण हुई सड़कें जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। कोटा शहर के सम्पूर्ण महावीर नगर, दादाबाड़ी, बसंत विहार, सुभाष नगर, गुमानपुरा, विज्ञान नगर आदि क्षेत्रों में सड़कें जीर्णशीर्ण हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों को मुख्य मार्ग पर सड़क ढूंढने के लिये मैगनीफाइन गिलास से ढूंढना पड़ रहा है। रोजना लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। गत दिनों बदहाल सड़क के कारण एक महिला की चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई परन्तु सरकार व प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सारा ध्यान कोस्टमेटिक सौंदर्यीकरण में लगा हुआ है, जो कि वास्तविक विकास से कोसों दूर है। करोड़ों रुपये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त स्मार्ट शहर के तहत शहर की मूलभूत विकास सड़क, नाली, सीवरेज आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये किया जाना था, परन्तु उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि कोटा शहर की जीर्णशीर्ण व बदहाल सड़कों का निर्माण किया जाये ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

नोखा में अकाल राहत कार्यों की शुरुआत व 'काम-के-बदले-अनाज' योजना को प्राथमिकता

महोदय, निवेदन है कि इस बार अनावृष्टि के कारण बीकानेर जिला और विशेषकर नोखा विधान सभा क्षेत्र भयानक अकाल की चपेट में है और इस वजह से इस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे-पानी का एवं ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आम जनजीवन के लिए रोजगार की व पशुधन के बचाव के लिए निम्नानुसार तत्काल व्यवस्थाएं करने का श्रम करें:-

1. समूचे बीकानेर जिले में 90 से 100 प्रतिशत खराबे की स्थिति है, अतः राज्य सरकार बिना वक्त गंवाए तत्काल अकाल घोषित करे।
2. अकाल की घोषणा के तत्काल बाद हमारे जिले के किसानों को फसल बीमा क्लेम व उचित मुआवजे के भुगतान की त्वरित गति से व्यवस्था की जाए।

3. ग्रामीण क्षेत्र में अकाल की विकट स्थिति है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि गांवों व ढाणियों से लोग बड़ी संख्या में पलायन करेंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि जनता के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने की अविलम्ब कार्ययोजना बनाकर स्थानीय स्तर पर लोगों को काम दिया जाए।
4. मनरेगा योजना में एक परिवार के लिए निर्धारित रोजगार दिवसों में 100 दिन बढ़ाकर 200 दिनों तक काम दिया जाए तथा इस योजना में न्यूनतम मजदूरी 350/- प्रतिदिन की जाए।
5. ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाले पशुधन के लिए इस अकाल में चारे-पानी का गंभीरतम संकट पैदा हो गया है. इसलिए अनुदानित पशुसेवा शिविरों की आपात स्वीकृतियां जारी की जाएं तथा गांव-गांव अनुदानित चारा डिपो मंजूर किए जाएं।
6. यद्यपि प्रत्येक किसान अपने-अपने पशुधन को बचाने की जी-तोड़ कोशिश करेगा, किंतु अकाल की भयावहता को देखते हुए पशुपालकों को प्रति पशु चारा व पशु आहार पर नकद अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, अकाल राहत कार्यों की शुरुआत शीघ्रातिशीघ्र हो व व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को काम के बदले अनाज योजना को प्रमुखता दी जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता को शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहारीलाल

(नोखा)

लूणकरणसर में नहरी किसानों को कंवरसेन लिफ्ट योजना से पानी की प्रदायगी

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि लूणकरणसर क्षेत्र के नहरी किसानों का कंवरसेन लिफ्ट से पानी नहीं मिलने के कारण क्षेत्र में बिजाई भी कम हुई और जो फसल हुई वह पानी की कमी के कारण खराब हो रही है।

मेरा आपसे निवेदन है कि:-

- नहरी क्षेत्र के किसानों को सिचाई हेतु पूरा पानी उपलब्ध कराया जाए।
- कंवरसेन लिफ्ट योजना के राजीयासर व मलकीसर पम्पिंग स्टेशन पर पुरानी मोटर व पम्प बदले जाएं (कुछ तो लगभग 50 वर्ष पुराने हैं)
- कंवरसेन लिफ्ट 1974 में कार्य पूर्ण हुआ तब से आज तक ERN (Extension Renovation and Modernisation) कार्यक्रम के तहत कोई कार्य नहीं हुआ जबकि इसके बाद बनी दंतोर व बरसलपुर में ERN कार्य स्वीकृत हो गया है। कंवरसेन लिफ्ट की लूणकरणसर क्षेत्र में गांवों में खेती व पेयजल की महती भूमिका है। साथ ही सैनिक छावनी रीको व बीकानेर शहर में पेयजल आपूर्ति होती है।
- 03 वर्ष सरकार के कार्यकाल को होने जा रहे हैं। इस सरकार में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री ने न तो क्षेत्र का दौरा किया और न ही किसानों की सुध ली। वैसे तो किसान व आमजन की इस सरकार ने सुध ही नहीं ली है।

फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त कार्यों पर सरकार समुचित कार्यवाही करे जिससे किसानों को लाभ हो।

सादर।

सुमित गोदारा

(लूणकरणसर)

सिरोही के डी.एम.एफ.टी. फंड से रेवदर की क्षतिग्रस्त माइनिंग सड़कों का पुनः डामरीकरण

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से आग्रह है कि समूचे जिला सिरोही में सबसे अधिक माइन्स रेवदर विधान सभा क्षेत्र में ही संचालित होने के कारण सरकार के डीएमएफटी फण्ड राशि में भी सबसे बड़ी हिस्सा राशि रेवदर से ही जमा होती आ रही है लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि रेवदर की माइनिंग सड़कें जैसे रेवदर सेलवाडा सम्पर्क सड़क, आबूरोड वाया रामपुरा खेडा से मकावल सड़क, मंडार से गुंदवाडा सड़क, मगरीवाड़ा सहित अन्य माइनिंग सडकें 2019 से ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। उक्त माइनिंग सड़कों से प्रति दिन बड़ी संख्या में खनन परिवहन

के साथ क्षेत्रीय आमजन से जुड़े परिवहन के साधनों को आवागमन रहता आया है। उक्त सड़कों को डीएमएफटी फण्ड से मजबूत ग्राउण्ड के साथ बनाकर पुनः डामरीकरण हेतु बतौर क्षेत्रीय विधायक मैं निरन्तर सरकार से गुहार लगाता आ रहा हूं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सरकार ने जिला सिरोही के डीएमएफटी फण्ड को खुर्द बुर्द करने के लिये अनुपयोगी क्षेत्र में खर्च करने के प्लान और स्वीकृतियां जारी की हैं। पूर्व में स्वीकृतशुदा माइनिंग सड़कों पर आज दिनांक तक पुनः डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से आग्रह है कि प्राथमिकता के साथ रेवदर विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक क्षतिग्रस्त माइनिंग सड़क पर पुन: डामरीकरण करते हुए जिला सिरोही के डीएमएफटी फण्ड का न्यायोचित सदुपयोग लोक महत्व के माइनिंग सड़क सुधार कार्य में खर्च कर अनुगृहीत करें।

जगसी राम

(रेवदर)

ठेकेदारों को आबंटित कार्यों का शीघ्र प्रारम्भ

महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD एवं NCR सड़कों के निर्माण का टेन्डर कोई कहीं का भी व्यक्ति ऑनलाइन निविदा डाल सकता है। उसमें क्या दूर-दूर के लोगों को कार्य निविदा में आबंटित हो जाता है और वो कार्य कई-कई वर्षों तक नहीं कर पाता। कृपया जिले का जिले में है या तहसील का तहसील में निविदा हो तो क्षेत्र के लोग जाकर सम्पर्क कर सकते हैं। फर्म कोई और की, कार्य कोई और ने लिया, काम करने वाली तीसरी से चौथी फर्म ठेके पर काम लेकर काम कोई और करता है। कृपया इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन रहे पर निविदा लेने वाला जिले का ही हो। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकार की तरफ से अनेकों सड़कें स्वीकृत हैं लेकिन ठेकेदारों द्वारा सभी नवीनीकरण की सड़कों की खुदाई करके रोडी डालकर 6-6 महीने से कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। रोड़ियों से एवं खुदे हुई सड़कों पर आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं मोटर साइकिल वाले रोजाना गिरते हैं।

अतः निवेदन है कि जिन सड़कों का काम करे ठेकेदार, उसी एक सड़क की खुदाई करे, उस सड़क का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरी सड़कों का कार्य शुरू करे। कृपया लम्बे समय तक खुदाई करके नहीं पटके जैसे

साथेंलपुर से लोयती एवं कराना से जीवा की ढाणी एवं बिलाली से बड़ा गांव, किशोरपुरा लाखेड़ा, कुशालगढ़ से मुन्डावरा तक ऐसी अनेकों सड़कें हैं जहां पर कार्य अधूरे छोड़कर ठेकेदार चले जाते हैं। पूरा एक-एक वर्ष हो चुका है। एक वर्ष से छीन्ड की घाटी ओड़ा ग्राम पं. जयसिंहपुरा छीन्ड इस घाटी में 22 लोग एक साथ दुर्घटना में मरे थे एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी भी उस समय गये थे उस घाटी का कार्य भी अब तक अधूरा है। कृपया ऐसे ठेकेदारों का टेन्डर कैन्सिल करके दूसरों को स्वीकृति करने की प्रक्रिया का लम्बा समय होता है। कृपया तुरन्त प्रभाव से उन्हें कैन्सिल करके दूसरे ठेकेदार को टेन्डर कर जल्दी से जल्दी कार्य प्रारम्भ कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत

(बानसूर)

जोधपुर में बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्थायी प्रारम्भ

महोदय, निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की संबद्ध एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में पेट्रोलियम संकाय खोलने हेतु आदेश जारी किय गये, जिसके क्रम में कुलपति जे.एन.वी.यू. जोधपुर द्वारा विशेषाधिकारी 12(5) का उपयोग करते हुए उक्त संकाय को शुभारम्भ करने के साथ ही Building And Construction Engineering Department को बन्द कर दिया गया। जे.एन.वी.यू. जोधपुर द्वारा वर्ष 2011 से 2020 तक संबंधित विद्यार्थियों को आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर से सिविल, पुनः सिविल से स्ट्रक्चर में डाला गया है। इस ब्रांच का कोई स्थायी विभाग न होने के कारण विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है एवं इन्हें रोजगार में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

चूंकि विदित है कि कई आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी में यह विभाग संचालित है। राजस्थान एवं जोधपुर में इमारती निर्माण व विकास कार्यों को देखते हुए Building And Construction Engineering Department को स्थायी रूप से पुनः प्रारम्भ करवाया जाए, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हों।

श्रीमती मनीषा पंवार

(जोधपुर)

मनोहर थाना में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों तथा फसलों का मुआवजा

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं तथा इसके साथ-साथ कच्चे मकान सहित ग्रामीण सड़कें, पुलियाएं, एनिकट, तालाब, मिनीडेम आदि नष्ट हो चुके हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में जीवन आधार केवल कृषि ही है। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण 90 प्रतिशत फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार अतिवृष्टि के कारण जानवरों को चारा खिलाने की भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है।

गांवों में अत्यधिक वर्षा के कारण पुश्तैनी एवं अन्य निर्मित मकानों के पट्टे नहीं होने की वजह से अधिकारी सर्वे भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों की समस्या के लिये राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान करते हुए बिना पट्टे के मकानों का शीघ्र ही उचित मुआवजा दिलवाया जाये। साथ ही सड़कें, पुलियाएं, सरकारी भवन, चारदीवारी, एनीकट, मिनी डैम, तालाब आदि भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे में संबंधित विभागों द्वारा अविलम्ब सर्वे कार्य करवाकर उक्त कार्य प्रारम्भ कर उत्पन्न हो रही समस्याएं दूर करवाये जाने की कृपा करें तथा हो रही क्षतिग्रस्त फसलों का उचित मुआवजा एवं फसल बीमा भी दिलवाया जावे।

सादर।

गोविन्द प्रसाद

(मनोहर थाना)

अलवर शहर में पेयजल समस्या का निराकरण

महोदय, आग्रह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी के नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार एवं जन स्वा० अभि. विभाग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल की भारी विकराल समस्या व्याप्त है जिसके कारण अलवर शहर में आए दिन पार्षदगणों एवं आमजन को धरना प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ रहे हैं। शहर में पेयजल आपूर्ति की मात्रा के

अनुसार टंकियों में पानी नहीं भरा जाता जिसके चलते कहीं पानी आता है तो कहीं नहीं आता है। श्रीमान् अगर कहीं ट्यूबवैल की मोटर खराब हो जाती है तो उसे सही कराने में जलदाय विभाग को 3 से 4 दिन का समय लगता है। विभाग के पास न तो स्पेयर में कोई पम्पसैट है न ही सही करने वाले मैकेनिक। जलदाय विभाग द्वारा उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी प्रकार के कार्यादेश जारी नहीं किये गये, वहीं विभाग के मुख्यालय एवं विधायक निधि से स्वीकृत ट्यूबवैलों को भी समय पर नहीं लगाए जा रहे हैं एवं पम्पसैट नहीं खरीदे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में आमजन को पेयजल आपूर्ति करने हेतु अमृत जलम योजना के अन्तर्गत टंकियों का निर्माण व लाइनों को डालने का कार्य काफी समय से चल रहा है जो कि निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने पर भी अमृत जलम योजना के तहत होने वाले कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अत्यधिक धीमी गति से चल रहे कार्य के कारण आमजन को भी उक्त व्यवस्था से महरूम होना पड़ रहा है एवं जिन क्षेत्रों में अमृत जलम योजना के तहत लाइन डालने का कार्य विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है वहां डिमाण्ड नोट जमा होने के 6 माह से अधिक समय होने के बाद भी आमजन को विभाग में बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। जिन घरों के कनेक्शन हो चुके हैं उन्हें एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है, वह भी मात्र 20 से 30 मिनट उसमें भी 50 फीसदी घरों के कनेक्शन हुए 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी नलों में पानी नहीं आ रहा हैं, वो परिवार पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं और महंगे डिमाण्ड नोटिस जमा कराने पर पानी नहीं मिलने पर अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते उक्त क्षेत्र के निवासियों को अपनी पेयजल आपूर्ति हेतु निजी टैंकरों के माध्यम से महंगी कीमत चुकाकर अपनी पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु मेरी आपसे मांग है कि वर्णित समस्याओं के निवारण के लिए शीघ्र से शीघ्र आदेश जारी कर आमजन को पेयजल उपलब्ध करावें एवं अमृत जलम योजना से लाभान्वित होने वाले शेष परिवारों के लिए शीघ्र से शीघ्र कनेक्शन जारी कराये जावें ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके।

मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है। मेरी आपसे मांग है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु उक्त वर्णित समस्याओं के

निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही आदेश जारी कर आमजन को राहत पहु चाने की कृपा करें। धन्यवाद।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

उदयपुर के यू.आई.टी. पेरीफेरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवासीय पट्टों की अप्रदायगी

महोदय, अपरोक्त विषय में निवेदन है कि यू.आई.टी. पेरीफेरी क्षेत्र उदयपुर जिले के 132 गांव में वर्षों से बसे किसानों व आम जनता, सर्वसमाज के लोग वहां पर निवासरत हैं जिसमें जनजाति परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भी आवास का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूआईटी जब तक आवसीय पट्टा नहीं देगी तब तक वहां नियमों के तहत आवास नहीं बना सकते हैं।

उक्त योजना से बी.पी.एल. परिवार व आमजन इस योजना से वंचित हैं। इसलिए 02 अक्टूबर से सरकार की तरफ से प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग अभियान में गांवों की पंचायतों को अधिकार दे या यू.आई.टी. द्वारा पट्टा देकर आम जन को इस अभियान से जोड़कर वर्षों से पट्टा विहीन वंचित परिवारों को पट्टा दिलवाने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र इस योजना से जोड़कर आम जन को राहत प्रदान कराने की कृपा करें।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)